ध्येय IAS®
most trusted since 2003

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

मार्च 2019 | अंक-3

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

DHYEYA BOOK LIST
IAS & PCS (Prelims-cum-Mains) Study Material

INTERNAL SECURITY

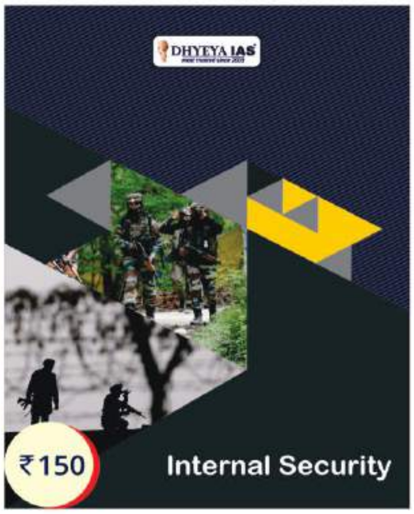

DISASTER MANAGEMENT

INDIAN ART & CULTURE

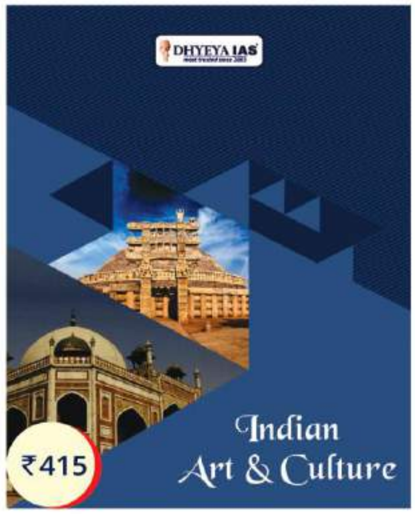

SCIENCE & TECHNOLOGY
(Fundamentals)

ECOLOGY & ENVIRONMENT
(Conventions, Treaties & Laws)

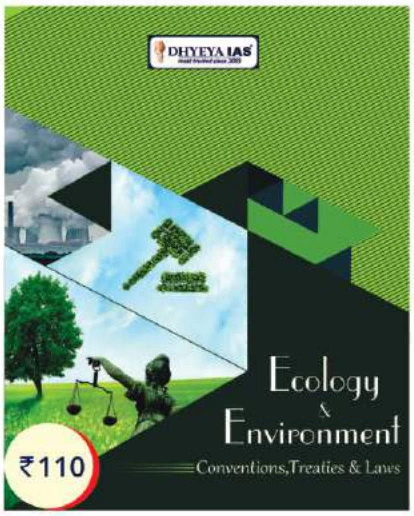

आपदा प्रबंधन

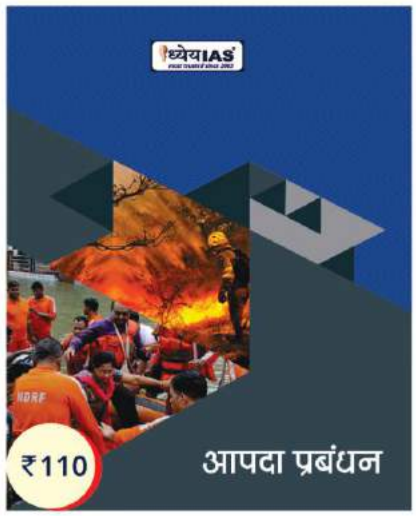

भारतीय अर्थव्यवस्था
एक मौलिक अध्ययन

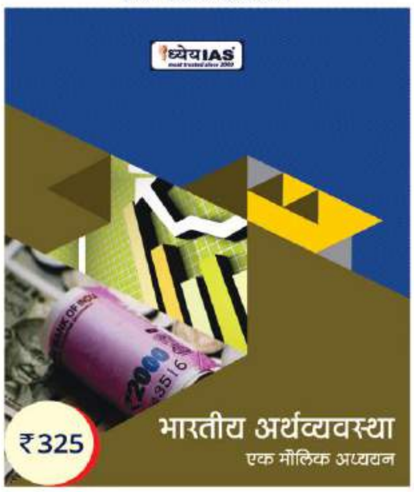

DOOR TO DOOR
DHYEYA BOOKS

IAS & PCS (Prelims-cum-Mains) Study Material
Available at

rankerssite.com

ध्येय IAS : एक परिचय

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे की छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सीईओ
ध्येय IAS

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक
ध्येय IAS

Perfect 7 : एक परिचय

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसमायिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

कुरबान अली
मुख्य सम्पादक
ध्येय IAS
(पूर्व संपादक - राज्यसभा टी.वी.)

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षित रूप में आपके सामने लाया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से अब तक हम लगभग 100 अंक सफलतापूर्वक प्रकाशित कर चुके हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

आशुतोष सिंह
प्रबंध सम्पादक
ध्येय IAS

प्रस्तावना

हमने 'Perfect 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'Perfect 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों का समावेशन 'Perfect 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'Perfect 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है।

अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'Perfect 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक
ध्येय IAS

Perfect 7

साप्ताहिक संस्करण

Perfect 7

ध्येय IAS के द्वारा की गई पहल (सिविल सेवाओं हेतु)

मार्च 2019 | अंक-3

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.
विनय कुमार सिंह

प्रबंध निदेशक
क्यू.एच.खान

मुख्य संपादक
कुरबान अली

प्रबंध संपादक
आशुतोष सिंह

संपादक
जीत सिंह, ओमवीर सिंह चौधरी,
रजत झिंगन, शशिधर मिश्रा

संपादकीय सहयोग
प्रो. आर. कुमार, बाघेन्द्र प्रताप सिंह

मुख्य लेखक
अजय सिंह, अहमद अली,
अवनीश पाण्डेय, धर्मेन्द्र मिश्रा, रंजीत सिंह,
रमा शंकर निषाद

लेखक
अशरफ अली, विवेक शुक्ला, स्वाति यादव,
नितेश श्रीवास्तव

मुख्य समीक्षक
अनुज पटेल, प्रेरित कान्त, राजहंस सिंह

त्रुटि सुधारक
संजन गौतम, जीवन ज्योति

विज्ञापन एवं प्रोन्नति
जीवन ज्योति, शिवम सिंह

प्रारूपक
विपिन सिंह, रमेश कुमार,
कृष्णा कुमार, निखिल कुमार, सचिन कुमार

टंकण
कृष्णकान्त मण्डल, तरून कनौजिया

लेख सहयोग
रजनी तिवारी, मृत्युंजय त्रिपाठी, रजनी सिंह,
लोकेश शुक्ला, गौरव श्रीवास्तव, आयुषी जैन,
प्रीति मिश्रा, आदेश, अंकित मिश्रा, प्रभात

संवाददाता
मानषी द्विवेदी, राधिका अग्रवाल, सत्यम,
सौम्या त्रिपाठी, अनुराग सिंह, राशि श्रीवास्तव

कार्यालय सहायक
हरीराम, संदीप, राजू यादव, शुभम,
अरूण त्रिपाठी, चंदन

Content Office

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
DR. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विषय सूची

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01-19

- मृत्युदण्ड : उचित या अनुचित
- जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का बढ़ता प्रभाव
- ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट बनाम सूचना का अधिकार
- इस्लामिक सहयोग संगठन और भारत का दृष्टिकोण
- स्टॉक एक्सचेंज और अर्थव्यवस्था: एक विश्लेषण
- 'जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफ्रेंसेज' का भारत पर प्रभाव
- ब्लॉकचेन तकनीक : संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 20-24

सात महत्वपूर्ण खबरें 25-27

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 28-36

सात महत्वपूर्ण तथ्य 37

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी 38-40

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से 41-44

Our other initiative

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. मृत्युदंड : उचित या अनुचित

चर्चा का कारण

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने घुमंतू जनजाति (Nomadic Tribe) के तीन लोगों को जिन्हें मृत्युदंड की सजा मिली हुई थी, उसे रद्द कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि इन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सुबूत नहीं हैं, इस प्रकार बहस का एक नया मुद्दा प्रकाश में आ गया है कि क्या भारत में मृत्युदंड देना प्रासंगिक है अथवा नहीं।

परिचय

सन् 2003 में महाराष्ट्र के बोखरधन कस्बे में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या व एक 15 साल की लड़की की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गयी थी। पुलिस ने इस जघन्य अपराध के लिए महाराष्ट्र की घुमंतू जनजाति के 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद सेशन कोर्ट ने इन सभी 6 लोगों को मृत्युदंड दिया और फिर हाई कोर्ट ने इन 6 लोगों में से 3 लोगों की सजा को मृत्युदंड में ही बरकरार रखा परंतु 3 लोगों की सजा को कुछ कम करके उम्रकैद में तब्दील कर दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले पर सन् 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी।

वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2009 के सुनाए गए निर्णय के संबंध में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने पूर्व के निर्णय (2009) को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने घुमंतू जनजाति के सभी लोगों को बरी करते हुए कहा कि पुलिस और जाँच एजेंसियों ने अपनी जिम्मेदारी को सतर्कता व ईमानदारी से नहीं निभाया है। इसीलिए इन बेकसूर लोगों को बिना किसी जुर्म के लगभग 16 साल जेल में बिताने पड़े। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने एक बार फिर से मृत्युदंड की औचित्यता पर सवाल खड़े किये हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 2009 के निर्णय के अनुसार यदि घुमंतू जनजाति के 3 लोगों को फाँसी दे दी जाती तो सच उनके साथ ही दफन हो जाता और उन्हें अपनी जिन्दगी उस कृत्य के लिए गँवानी पड़ती, जिसे उन्होंने कभी किया ही नहीं था।

मृत्युदंड के पक्ष में तर्क

भारत में मृत्युदंड जैसी कठोर सजा का बना रहना आवश्यक समझा जाता है। दक्षिण एशिया में भारत के पड़ोसी देश भारत को अस्थिर करने के लगातार प्रयास करते रहते हैं। पाकिस्तान की आतंकवाद समर्थन की नीति भारत की आंतरिक व बाह्य दोनों सुरक्षा को खतरे में डालती है। इसीलिए विधि आयोग ने भी भारत में मृत्युदंड बने रहने का समर्थन किया है। उल्लेखनीय है कि मृत्युदंड की अकसर माँग उन देशों द्वारा उठाई जाती है, जिनके यहाँ आर्थिक समृद्धता अच्छी व आंतरिक व बाह्य सुरक्षा की चुनौतियाँ लगभग नगण्य होती हैं।

किसी भी दण्ड के प्रभाव को इस आधार पर नहीं जाँचा जाना चाहिए कि इसका प्रभाव अपराधियों पर कैसा है, बल्कि इसे जाँचने व परखने का आधार सम्पूर्ण समाज होना चाहिए अर्थात् यदि कोई दण्ड समाज की रक्षा करने व स्थिरता कायम करने में सक्षम है तो उसका व्यवस्था में बना रहना उचित है। जघन्य अपराध करने वाले व्यक्ति को सुधार के नाम पर कठोर सजा (यथा- मृत्युदंड इत्यादि) से वंचित किया गया तो अपराध के प्रति समाज में भय कम व्याप्त होगा और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जीवन की पवित्रता को तभी संरक्षित किया जा सकता है जब इसे अपवित्र करने वालों को आनुपातिक रूप से दण्डित किया जाये।

मृत्युदंड का प्रावधान प्रतिशोधात्मक न्याय पर आधारित नहीं है बल्कि यह समाज से घृणा दूर करने और समरसता व्याप्त करने का उपबन्ध करता है। संविधान में भी मौलिक अधिकारों (यथा-जीवन का अधिकार इत्यादि) को युक्ति-युक्त निर्बन्धन के साथ उपलब्ध कराया गया है। समाज के हितों को यदि लघुकालिक एवं दीर्घकालिक रूप से सुरक्षित करना है तो बड़े-बड़े अपराधियों या फिर कई लोगों को एक साथ मौत के घाट उतारने वाले आतंकियों (यथा-अजमल कसाब, याकूब मेनन आदि) को मृत्युदंड जैसी सजा देने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचता।

मृत्युदंड के विपक्ष में मत रखने वाले अकसर यह दलील देते हैं कि भारत में मृत्युदंड देने की प्रक्रिया को व्यावहारिक धरातल पर उचित रूप से क्रियान्वित नहीं किया जाता है, जिससे निर्दोष लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इस स्थिति में मृत्युदंड की प्रक्रिया के क्रियान्वयन को त्रुटिरहित और मजबूत बनाना होगा न कि मृत्युदंड के प्रावधान को हटा ही देना चाहिए। हालाँकि केन्द्र व विभिन्न राज्य सरकारों और न्यायालय ने इस दिशा में काफी सराहनीय कदम भी उठाये हैं।

कार्ल मार्क्स व कांट जैसे चिंतकों का भी मानना है कि किसी अपराध के पीछे व्यक्तिगत हित से अधिक सामाजिक हितों को वरीयता प्रदान करनी चाहिए। इसी प्रकार, उपयोगितावादी दर्शन भी कहता है कि 'अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख' तभी निर्धारित हो सकता है जब समाज अपराधीकरण से मुक्त हो।

मृत्युदंड के विपक्ष में तर्क

विभिन्न मानवाधिकार कार्यकर्त्ताओं और अन्य विद्वानों का मानना है कि मृत्युदंड, सजा के उद्देश्य को सही मायने में पूरा नहीं करता है, अतः इसे हटा देना चाहिए। मृत्युदंड के विपक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जा सकते हैं-

- किसी भी सभ्य समाज में सजा/दण्ड का मुख्य उद्देश्य अपराधियों को सुधारने का होता है, इसलिए जब उन्हें मृत्युदंड सुनाया जाता है तो सजा/दण्ड का उपर्युक्त उद्देश्य पूरा नहीं होता है और अपराधी के सुधरने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं।
- पृथ्वी पर किसी भी प्राणी को जीवित रहने और यथोचित रूप से जीवन-यापन करने हेतु प्रकृति ने अनन्य अधिकार दिए हैं। जीवन के अधिकार का दर्शन कहता है कि यदि मनुष्य किसी को जीवन दे नहीं सकता है तो उसे जीवन को छीनने का भी अधिकार नहीं है।

जीवन का अधिकार एक ही रूप में छीना जा सकता है, जब आत्मरक्षा का सवाल हो, लेकिन राज्य द्वारा दिया गया मृत्युदंड आत्मरक्षा न होकर, एक प्रकार की सजा है।

- न्याय का पुनर्विचार का सिद्धान्त कहता है कि न्यायालय या अन्य के द्वारा उपलब्ध कराया गया निर्णय अपने आप में अंतिम नहीं होता है, उसमें हमेशा व्याख्या एवं सुधार की गुंजाइश बनी रहती है।
- न्यायाधीश और जाँच करने वाली एजेंसियों से मानवीय भूल होने की संभावना बनी रहती है। सन् 2000 से लेकर सन् 2015 तक के 15 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने 60 निर्णयों में मौत की सजा सुनाई, लेकिन पुनर्विचार याचिका के तहत सुप्रीम कोर्ट ने 15 (लगभग 25%) निर्णयों को त्रुटिपूर्ण माना और अपने निर्णयों में सुधार किया।
- कुछ विद्वान मृत्युदंड को प्रतिशोधात्मक न्याय (Retributive Justice) की संज्ञा देते हैं और अपराध पर अंकुश लगाने की इसकी प्रभावशीलता को संदेहात्मक मानते हैं। अभी तक ऐसे कोई भी आँकड़े या तथ्य उपलब्ध नहीं हैं जो यह सिद्ध करते हों कि मृत्युदंड जैसे कठोर सजा के प्रावधानों ने समाज में अपराधीकरण की प्रवृत्ति को कुंद किया हो।
- भारत अभी विकासशील देश है, जहाँ अपराधों की जाँच हेतु उच्च तकनीकी का अभाव है। इस कारण भारतीय जाँच एजेंसियाँ और पुलिस से चूक होने की सम्भावना बढ़ जाती है। इसके अलावा ये जाँच एजेंसियाँ विभिन्न कारणों (जैसे- राजनैतिक एवं प्रशासनिक दबाव, भ्रष्टाचार, पूर्वाग्रह इत्यादि) के चलते कई बार निष्पक्षतापूर्वक जाँच भी नहीं करती हैं।
- भारत में न्यायिक व्यवस्था का आधारभूत ढाँचा अभी उस स्तर का नहीं है कि निचली अदालतें सटीकता के साथ त्वरित निर्णय सुना सकें। कई बार यह देखा गया है कि ऊपरी अदालतें, सेशन कोर्ट के निर्णय को पलट देती हैं या मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर देती हैं। उदाहरण के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने सन् 2018 में निचली अदालतों एवं विभिन्न हाईकोर्टों के द्वारा सुनाए गए 12 मृत्युदंड के मामलों में से 11 को उम्रकैद में तब्दील कर दिया।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 'जीवन के अधिकार' की गारण्टी देता है। जीवन का अधिकार, अन्य सभी मानवाधिकारों के लिए रीढ़ की हड्डी का कार्य करता है अर्थात् यह सभी अधिकारों को आधार प्रदान करता है। दूसरी ओर दण्ड के सुधारात्मक सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि मृत्युदंड की व्यवस्था जीवन के अधिकार को समाप्त करने के साथ-साथ मानवीय गरिमा को भी क्षति पहुँचाता है और किसी अपराधी को सुधरने के अवसर से वंचित कर देता है।
- अधिकांश देशों ने मृत्युदंड के प्रावधान को समाप्त कर दिया है और कुछ देश इस दिशा में प्रयासरत हैं। संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा कहा गया है कि 'मृत्युदंड के निवारक मूल्य का कोई निर्णायक सबूत नहीं है'।
- अभी तक किसी भी अध्ययन से यह सिद्ध नहीं हो पाया है कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास से अधिक प्रभावशाली है और हत्या, आतंकवाद, यौन हिंसा एवं अन्य जघन्य अपराधों को रोकने में सक्षम रहा है।
- भारत के संदर्भ में देखा गया है कि मृत्युदंड से सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब व पिछड़े लोग हुए हैं। अधिकतर सरकार की ओर से कानूनी सहायता प्राप्त करने वाले कैदियों को मृत्युदंड की सजा मिलती है, जबकि इसके विपरीत धनवान व निजी वकीलों की फौज रखने वाले लोगों को न के बराबर मृत्युदंड मिला है।
- मृत्युदंड को निष्पक्ष या तर्कसंगत रूप से नियंत्रित करना लगभग असम्भव है। विभिन्न न्यायाधीशों ने अपनी विचारधारा के अनुसार ही मृत्युदंड पर निर्णय लिया है। यही कारण है कि प्रति एक लाख हत्या के केसों में सिर्फ 5.2 मामलों पर ही मृत्युदंड की सजा पर मुहर लगाई गई है। विभिन्न राष्ट्रपतियों ने भी अपनी विचारधारा के अनुसार ही दया याचिकाओं पर निर्णय लिया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मृत्युदंड के संबंध में भारत में कोई स्पष्ट नीति न होकर विभिन्न न्यायाधीश व राष्ट्रपतियों की इच्छा पर निर्भर करती है और ऐसे संवेदनशील मामले में विषयनिष्ठता (Subjectivity) का होना अनुचित है।

मृत्युदंड पर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य

यूरोपीय संघः 'चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन' (Charter of Fundamental Rights of the European Union) के अनुच्छेद 2 में मृत्युदंड के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। 'मानवाधिकार पर यूरोपीय सम्मेलन' (European Convention on Human Rights) भी मृत्युदंड को पूरी तरह से प्रतिबन्धित करता है। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में मृत्युदंड जैसे कठोर प्रावधान न सुनाए जायें, इसके लिए यूरोपीय परिषद निगरानी करती है।

संयुक्त राष्ट्र महासभाः संयुक्त राष्ट्र की महासभा (जनरल एसेम्बली) ने सन् 2007, 2008, 2010, 2012 और 2014 में मृत्युदंड के सिद्धान्त के विपरीत गैर बाध्यकारी संकल्पों को पारित किया और सदस्य देशों से आह्वान किया कि वह अपने यहाँ इस तरह की कठोर सजा के कानूनी प्रावधानों का उन्मूलन करें। इसलिए दुनिया के ज्यादातर देशों ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है, लेकिन दुनिया की 60% से भी अधिक आबादी उन देशों में रह रही हैं, जहाँ मौत की सजा अभी भी बरकरार है, यथा- चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, इथोपिया, मिस्र, सऊदी अरब, ईरान, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान इत्यादि।

मृत्युदंड पर भारतीय परिदृश्य

- हत्या के मामले में आईपीसी की धारा 302 के तहत, न्यायाधीश मौत की सजा और आजीवन कारावास के बीच चयन कर सकते हैं यानि मृत्युदंड का निर्णय न्यायाधीश के विवेक पर छोड़ दिया गया है।
- 1980 में 'बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य' के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने मौत की सजा की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि मृत्युदंड को 'दुर्लभतम' (Rarest of Rare) मामलों में ही दिया जाना चाहिए, जिसमें हत्या, राजद्रोह एवं अन्य जघन्य अपराध हो सकते हैं।
- बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते समय माना कि 1980 (बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य) में उसके द्वारा मृत्युदंड हेतु निर्धारित किये गए मानदण्डों का असमान अनुप्रयोग हुआ है।
- दिसम्बर 2012 में दिल्ली में एक युवती के सामूहिक बलात्कार के बाद सन् 2013 में 'भारतीय दंड संहिता' में संशोधन किया गया, जिसमें जघन्य रूप से बलात्कार करने वाले बालिग एवं नाबालिग दोनों के लिए फाँसी का प्रावधान किया गया।
- विधि आयोग ने सन् 2015 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में मृत्युदंड की सजा की नीति उपयुक्त तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पायी है। यह कई बार न्यायाधीशों के द्वारा मनमाने एवं गलत तरीके से लागू की गई है।
- सरकार ने 'आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2018' के द्वारा 'पॉक्सो (POCSO) कानून, 2012' और आईपीसी में संशोधन करके 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार करने वालों को मृत्युदंड का प्रावधान किया है।

निष्कर्ष

सरकार को मृत्युदंड के संबंध में एक उपयुक्त नीति बनानी होगी, ताकि ऐसे संवेदनशील मामलों में एकरूपता लाई जा सके। इसके अलावा, भारतीय न्यायिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ता प्रदान करनी होगी, जिससे कि त्वरित व त्रुटिपूर्ण निर्णय प्राप्त हो सकें। सरकार को जाँच एजेंसियों की भी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए ताकि कोई भी प्राधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके निर्दोष व्यक्ति को फँसा न सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- भारतीय संविधान-ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना।

■

2. जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का बढ़ता प्रभाव

चर्चा का कारण

हाल ही में जारी 'जीओक्यूआईआई' (GOQII) की नवीनतम रिपोर्ट 'India Fit Report' के अनुसार भारत की लगभग 57% जनसंख्या जो भारत के प्रमुख शहरों जैसे- दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई आदि में रहती है, मोटापे और अधिक वजन से ग्रसित हैं। मधुमेह से संबंधित मरीजों की संख्या 2017 में जहाँ 3.6% थी, वहीं 2018 में बढ़कर 5.1% हो गई है। कोलेस्ट्रॉल से संबंधित मरीजों की संख्या जहाँ 2017 में 5.2% थी, वहीं 2018 में बढ़कर 12.1% हो गई है। उच्च रक्त चाप से ग्रसित लोगों की संख्या जहाँ 2017 में 4.9% थी, वहीं 2018 में बढ़कर 9.4% हो गई है। स्टैनफोर्ड द्वारा जारी एक अन्य अध्ययन में पाया गया है कि भारत सबसे आलसी देशों की सूची में शामिल हैं। इस सर्वेक्षण में शामिल 46 देशों में भारत 39वें स्थान पर है।

परिचय

जीवन शैली से जुड़ी बिमारियाँ भारत में लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये वे पुरानी बिमारियाँ हैं, जिनको आसानी से रोका जा सकता था लेकिन अस्वास्थ्यकर विकल्पों के कारण ये बिमारियाँ लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। बदलते जीवन शैली और आहार विकल्पों में बदलाव के कारण मोटापा, टाइप 2 मधुमेह, उच्च रक्त चाप, डिस्लिपीडेमिया, स्लीप-एपनिया, ऑस्टियो ऑर्थराइटिस तथा कैंसर जैसी बिमारियाँ हाल के वर्षो में बढ़ी हैं। कुल रोगों में इन रोगों से मरने वालों की संख्या 42% से अधिक है। मरने वाले लोगों में 15 मिलियन लोग 30 वर्ष से लेकर 70 वर्ष की आयु के होते हैं। गलत जीवन शैली से होने वाली मृत्यु में हृदय रोग (17.9 मिलियन), कैंसर (9 मिलियन), श्वास रोग (3.9 मिलियन) और मधुमेह (1.6 मिलियन) है।

इसके अलावा माइक्रोवियल संक्रमण, अस्वास्थ्यकर भोजन, गतिहीन व्यावसायिक व्यवहार, अपर्याप्त शारीरिक गतिविधियों से एक अन्य उभरती हुई समस्या चयापचय (Metabodic-disordess) की है। प्रगतिशील सामाजिक आर्थिक नीतियाँ, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्रों में सुधार, शैक्षिक अवसरों में वृद्धि तथा पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोण निकट भविष्य में जीवन शैली से जुड़ी बिमारियों के रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण रणनीति साबित हो सकती है।

गलत जीवन शैली के रोग व उनके कारण

इस तरह के रोग काफी हद तक आपके जीवन शैली से संबंधित होते हैं- जैसे कि आप किस तरह से अपनी प्रतिदिन की जिंदगी जी रहे हैं। जब हम अपनी जिंदगी को लापरवाही के साथ जी रहे होते हैं, जैसे कि जंक फूड का सेवन, अल्कोहल का सेवन, सिगरेट या बीड़ी पीना और सबसे ऊपर आप किसी भी तरह का शारीरिक श्रम नहीं कर रहे होते हैं- यह सभी कारण जीवन शैली से संबंधित रोगों को उत्पन्न कर सकते हैं। जीवन शैली के रोगों में डायबिटीज, कैंसर, हृदयाघात, हृदय से संबंधित अन्य रोग आदि शामिल हैं।

मधुमेह

मधुमेह को 'धीमी मौत' भी कहा जाता है। इस बीमारी का सबसे बुरा पक्ष यह है कि यह शरीर में अन्य कई बीमारियों को भी निमंत्रण देती है।

मधुमेह का कारण: जब हमारे शरीर के पैंक्रियाज में इंसुलिन का पहुँचना कम हो जाता है तो खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इस स्थिति को डायबिटीज कहा जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पाचक ग्रंथि द्वारा बनता है। इसका कार्य शरीर के अंदर भोजन को ऊर्जा में बदलना होता है। यही वह हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। मधुमेह से ग्रसित शरीर को भोजन से एनर्जी बनाने में कठिनाई होती है। इस स्थिति में ग्लूकोज का बढ़ा हुआ स्तर शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है।

वंशानुगत मधुमेह (टाइप-1): यह रोग महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होता है। मधुमेह ज्यादातर वंशानुगत और गलत जीवन

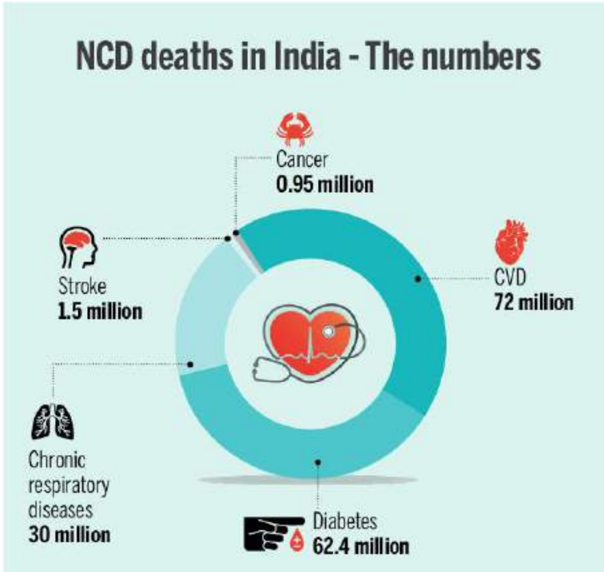

शैली के कारण होता है। पहली श्रेणी के अंतर्गत वे लोग आते हैं जिनके परिवार में माता-पिता, दादा-दादी में से किसी को मधुमेह हो तो परिवार के सदस्यों को यह बीमारी होने की संभावना अधिक रहती है।

मधुमेह (टाइप-2): अनियमित जीवन शैली की वजह से होने वाले मधुमेह टाइप-2 श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा यदि आप शारीरिक श्रम कम करते हैं, नींद पूरी नहीं लेते, अनियमित खान-पान है और ज्यादातर फास्ट फूड और मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो मधुमेह होने की संभावना बढ़ जाती है।

मधुमेह के दुष्प्रभाव: जो व्यक्ति डायबिटीज से ग्रस्त होते हैं, उनमें हार्ट अटैक का खतरा आम व्यक्ति से पचास गुना ज्यादा बढ़ जाता है। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से हार्मोनल बदलाव होता है और कोशिकाएँ क्षतिग्रस्त होती हैं जिससे खून की नलिकाएं और नसें दोनों प्रभावित होती हैं। इससे धमनी में रूकावट आ सकती है या हार्ट अटैक हो सकता है। स्ट्रोक का खतरा भी मधुमेह रोगियों में बढ़ जाता है। डायबिटीज का लंबे समय तक इलाज न करने पर यह आँखों की रेटिना को नुकसान पहुँचा सकता है। इससे व्यक्ति हमेशा के लिए अंधा भी हो सकता है।

मधुमेह के लक्षण: मधुमेह के रोगियों मे ज्यादा प्यास लगना, बार-बार पेशाब का आना, आँखों की रोशनी कम होना, कोई भी चोट या जख्म देरी से भरना, हाथों, पैरों और गुप्तांगों पर खुजली वाले जख्म, बार-बर फोड़े-फुंसियाँ निकलना, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन आदि लक्षण पाये जाते हैं।

कैंसर

शरीर कई प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। यह कोशिकाएँ शरीर में बदलावों के कारण बनती रहती हैं। जब ये कोशिकाएँ अनियंत्रित तौर पर बढ़ती हैं और पूरे शरीर में फैल जाती हैं, तब यह शरीर के बाकी हिस्सों को अपना काम करने में बाधा उत्पन्न करती हैं, जिससे उन हिस्सों पर कोशिकाओं का गुच्छा सौम्य गाँठ या ट्यूमर बन जाता है। इस अवस्था को कैंसर कहते हैं।

कैसे फैलता है कैंसर?: यह ट्यूमर शरीर में खून के जरिये शरीर के बाकि हिस्सों में फैलता है। इस प्रक्रिया को मेटास्टैसिस कहते हैं। इसमें कैंसर सेल्स बढ़कर नया ट्यूमर बनाती हैं। सबसे पहले ये सेल्स शरीर को इंफेक्शन से बचाने वाले अंग लिम्फ नोड अर्थात् लसीका ग्रंथ में फैलती हैं। लिम्फ नोड गले, प्राइवेट पार्ट्स और अंडर आर्म्स में मौजूद होते हैं। इनके अलावा कैंसर खून या ब्लड स्ट्रीम के जरिये हड्डियों, लीवर, फेफड़ों और दिमाग में फैलता है।

कैंसर के कारण: कैंसर के आम कारणों में धूम्रपान, तम्बाकू, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, खराब डाइट, एक्स-रे से निकली रेज, राडोन रेज, सूरज से निकलने वाली यूवी रेज, इंफेक्शन, फैमिली के जीन आदि होते हैं।

कैंसर के लक्षण: थकान, लंग्स और मस्तिष्क में तेज दर्द होता है। लेकिन सबसे आम लक्षणों में गले में खराश, स्तनों और टेस्टिकल्स का मोटा होना या गांठ पड़ना, खाना निगलने में कठिनाई, शरीर पर मौजूद मस्सों या तिल का रंग और आकार बदलना, अचानक वजन का बढ़ना और कम होना, ज्यादा थकान, उलटी, बार-बार बुखार और बीमार होना होता है।

कैंसर के प्रकार: सामान्यतया लगभग 100 से ज्यादा प्रकार के कैंसर होते हैं। लेकिन सबसे आम स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, ब्लैडर कैंसर, मेलानोमा, लिम्फोमा, किडनी कैंसर और ल्यूकेमिया हैं।

कैंसर का इलाज: आमतौर पर इसका इलाज सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन से किया जाता है।

सर्जरी: इसमें डॉक्टर प्रभावित अंग को शरीर से अलग करते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर होने पर ब्रेस्ट को हटा दिया जाता है। प्रोस्टेट कैंसर होने पर प्रोस्टेट ग्लैंड को निकाल दिया जाता है। सभी तरह के कैंसर में सर्जरी की जरूरत नहीं होती। जैसे ब्लड कैंसर को सिर्फ दवाइयों से ठीक किया जा सकता है।

कीमोथेरेपी: इसमें ड्रग्स या दवाइयों के जरिये कैंसर सेल्स को खत्म किया जाता है। कुछ कीमो में आईवी (नसों में सुइयों के जरिये) से ठीक किया जाता है, कुछ में आपको दवाई दी जाती है। यह दवाइयाँ पूरे शरीर में अपना असर दिखाती हैं और हर जगह फैले कैंसर को खत्म करती हैं।

रेडिएशन: इसमें कैंसर की बढ़ती सेल्स को रोका और उन्हें मारा जाता है। कभी-कभार सिर्फ रेडिएशन या फिर सर्जरी और कीमो के दौरान इससे इलाज किया जाता है। इसमें आपके पूरे शरीर को एक्स-रे मशीन में डाला जाता है और कैंसर सेल्स को खत्म किया जाता है।

कार्डियोवस्कुलर रोग

कार्डियोवस्कुलर हार्ट डिजीज दिल और रक्त वाहिकाओं के विकारों के कारण होती हैं। इनमें कोरोनरी हृदय रोग (दिल के दौरे), केर्ब्रोवेस्कुलर रोग (स्ट्रोक), बढ़ा हुआ रक्तचाप (हाइपरटेंशन), परिधीय धमनी रोग, आम हृदय रोग, जन्मजात हृदय रोग तथा दिल का फेल होना शामिल हैं।

कारण: हृदय रोग के प्रमुख कारण तम्बाकू का सेवन, शारीरिक निष्क्रियता (अनियमित, भागदौड़ भरी जिंदगी), अनियमित भोजन और शराब का अधिक सेवन शामिल हैं। हृदय में उपस्थित कोरोनरी धमनियों में खून की सप्लाई सही प्रकार से न होने पर भी हृदय सम्बंधी बीमारियाँ होने की आशंका बनी रहती हैं।

प्रभाव: ज्यादा मात्रा में फास्टफूड या अन्य वसा भरे खाद्य पदार्थों के सेवन से कोरोनेरी धमनियों की आयु कम हो जाती है। धूम्रपान और मदिरापान से भी हृदय स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसके अतिरिक्त रक्त के थक्के धमनियों को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हृदय से शरीर के अन्य हिस्सों तक खून की सप्लाई बेहद धीमी होने लगती है और एक समय ऐसा आता है जब हृदय काम करना बंद कर देता है।

कार्डियोवस्कुलर हार्ट डिजीज के लक्षण: सीने में दर्द (एनजाइना), सांस की तकलीफ, सुन्नता, कमजोरी और पैर या हाथ में शीतलता आदि।

उपाय: इस समस्या से बचने का एक आसान तरीका है व्यायाम। व्यायाम के जरिये न सिर्फ हृदय रोग बल्कि कई अन्य रोगों से भी बचा जा सकता है। व्यायाम के जरिये डायबिटीज, तरह-तरह के कैंसर और कई तरह की मानसिक बीमारियों को दूर रखा जा सकता है।

सरकारी प्रयास

कैंसर को रोकने और जल्दी पता लगाने और इलाज के उद्देश्य से 1975-76 में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया। बीमारियों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसमें तीन संशोधन किए गए जिसमें तीसरा संशोधन दिसंबर 2004 में हुआ।

संशोधित कार्यक्रम के अंतर्गत 5 महत्वपूर्ण स्कीमें आती हैं:

- नए क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों को मान्यता। इन केंद्रों को 5 करोड़ रुपए का एकबारगी अनुदान दिया जाता है।
- पहले से विद्यमान क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों को मजबूत बनाना। इन केंद्रों को 3 करोड़ रुपए का एकबारगी अनुदान दिया जाता है।
- ओंकोलॉजी विभाग की स्थापना के लिए सरकारी संस्थानों (मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों) को दिए जाने वाले अनुदान की राशि बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दी गई है।
- जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, इन्हें दिए जाने वाले अनुदान की रकम बढ़ाकर 90 लाख रुपए कर दी गई है जिसे 5 वर्षों में दिया जाएगा।
- विकेंद्रीकृत गैर-सरकारी संगठन स्कीम, सूचना, शिक्षा और संपर्क गतिविधियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को प्रति शिविर 8 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग और आघात रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस): राज्यों ने गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) विशेषकर कैंसर, मधुमेह, सीवीडी और आघात की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कुछ गतिविधियाँ शुरू की हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग और आघात रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए उनके प्रयासों को सहयोग करता है।

एनपीसीडीसीएस कार्यक्रम के दो घटक मुख्यत: (क) कैंसर (ख) मधुमेह, सीवीडी और आघात हैं। संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के लिए इन दोनों घटकों को विभिन्न स्तरों पर एकीकृत किया गया है। कार्यक्रम के तहत राज्य, जिला, सीएचसी और उप केंद्र के स्तर पर गतिविधियों की योजना बनाई गई है तथा विभिन्न स्तरों पर एनसीडी प्रकोष्ठ के माध्यम से नजदीक से निगरानी की जाएगी। एनपीसीडीसीएस का उद्देश्य अल्प संसाधनों का पर्याप्त उपयोग और सेवाओं तक जनसामान्य और रोगियों की पहुँच तथा इस कार्यक्रम की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना है।

एनपीसीडीसीएस एनआरएचएम के संरचनात्मक ढाँचे के अंतर्गत है। इस प्रकार जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति इस कार्यक्रम के प्रशासनिक और वित्तीय क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्न स्तरों पर एनसीडी प्रकोष्ठ स्वास्थ्य संवर्धन, शीघ्र निदान, उपचार और रेफरल से संबंधित कार्यक्रम की गतिविधियों के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण को सुनिश्चित करेगा तथा आगे निजी क्षेत्र में प्रारंभिक निदान के लिए प्रयोगशालाओं के साथ साझेदारी की सुविधा भी प्रदान करेगा।

इसके साथ ही यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) और राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एनपीएचसीई) आदि जारी कार्यक्रमों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रभावी रोकथाम, निदान, रेफरल और उपचार रणनीतियों के साथ समुदाय में विस्तृत जानकारी का आधार बनाने का प्रयास करेगा तथा जन स्वास्थ्य के माध्यम से एक मजबूत निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली का निर्माण भी करेगा।

उद्देश्य

- व्यवहार और जीवन शैली में बदलाव के माध्यम से इन रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण।
- सामान्य एनसीडी का शीघ्र निदान और प्रबंधन करना।
- सामान्य एनसीडी की रोकथाम, निदान और उपचार के लिए स्वास्थ्य देखभाल के विभिन्न स्तरों पर क्षमता निर्माण करना।
- एनसीडी के बढ़ते बोझ से निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य ढाँचा मुख्यत: चिकित्सकों, पराचिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ के भीतर मानव संसाधन को प्रशिक्षित करना।
- उपशामक और पुनर्वास संबंधी देखभाल के लिए क्षमता स्थापित और विकसित करना।

मिशन मधुमेह

मधुमेह यानी डायबिटीज के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश भर में इससे बचाव और उपचार के लिए एक विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किया है। आयुर्वेद के जरिये मिशन मधुमेह कार्यक्रम की खास बात है कि इसमें आयुर्वेद, योग और अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का खास तौर पर सहारा लिया जाएगा। ज्ञातव्य है कि केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद यशो नाइक ने पहले राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम की शुरूआत की।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणाली के सभी विभागों जैसे संगठन, निवेश, स्वास्थ्य सेवाओं का वित्तपोषण, अच्छे स्वास्थ्य के प्रोत्साहन, तकनीकी की मदद से बीमारियों की रोकथाम, अच्छे स्वास्थ्य के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सकीय बहुलवाद को प्रोत्साहन तथा स्वास्थ्य संबंधी वित्तीय सुरक्षा रणनीतियों का विनियमन करना है।
- नयी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति देश भर के लोक स्वास्थ्य संस्थानों के पुनर्नवीनीकरण तथा सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान देती है ताकि रोग निदान, मुफ्त दवाइयाँ, तथा जरूरी स्वास्थ्य सेवाएँ सार्वभौमिक रूप से मुहैया करवाई जा सके।
- इस नीति का उद्देश्य देश में सभी को व्यापक तरीके से अच्छे स्वास्थ्य की ओर अग्रसर करना है।
- यह स्वास्थ्य नीति निजी संकाय के साथ मिलकर समस्याओं तथा उनके समाधानों की रणनीति बनाने पर जोर देती है। इसका उद्देश्य उभरती बीमारियों की रोकथाम के लिए निजी संकाय के साथ निवेश करने के साथ-साथ भारत में ही दवाई तथा अन्य उपकरण बनाना है।
- वितीय संरक्षण तथा द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य निकायों अथवा सभी तक पहुँचाने हेतु यह नीति मुफ्त रोग निदान, मुफ्त दवाई, तथा मुफ्त आपातकालीन सेवा सभी सरकारी अस्पतालों तक मुहैया करने का प्रस्ताव रखती है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% एक निर्धारित समय सीमा तक बढ़ाने का

प्रस्ताव रखती है। यह नीति स्वास्थ्य तथा कल्याण केन्द्रों के द्वारा प्राथमिक केन्द्रों में व्यापक सेवा देने हेतु वित्तीय पैकेज को बढ़ावा देने तथा सारे स्रोतों का दो तिहाई भाग प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों को देने की अनुशंसा करती है। यह नीति यह परिकल्पना भी करती है कि जिला स्तर पर ही माध्यमिक देखभाल की वो सारी सुविधाएँ मुहैया करवाई जाएँ जो एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल देता है।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 विशिष्ट मात्रात्मक लक्ष्य आवंटित करती है जो रोगों के फैलने वाली घटनाओं पर नियंत्रण करती है। इसके अलावा यह नीति स्वास्थ्य तथा जाँच तंत्र को मजबूत करने के साथ-साथ रोगों का पंजीकरण करने पर भी जोर देती है।
- यह नीति बच्चों तथा किशोरों की शुरूआती देख-भाल को सर्वोच्च स्तर तक पहुँचाने की प्रतिबद्धता दिखाती है। यह नीति विद्यालयी स्वास्थ्य प्रोग्राम द्वारा स्वस्थ तथा स्वच्छता पर जोर देती है।
- यह नीति आयुर्वेद को आयुष योजना की मदद से मुख्यधारा में लाने की परिकल्पना करती है एवं विद्यालयों तथा दफ्तरों में अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग को शुरू करने की सिफारिश करती है।
- यह नीति स्वास्थ्य विभाग में डिजिटल उपकरणों के उपयोग पर बल देती है तथा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य संस्था (NDHA) को इसके विनियमन के लिए सिफारिश करती है।

चुनौतियाँ

आधुनिक जीवन शैली से संबंधित रोगों के बढ़ने के पीछे चिकित्सा सुविधाओं की कमी, अल्प आय, गलत खान-पान, शिक्षा का अभाव, शारीरिक श्रम अथवा व्यायाम का अभाव जैसे प्रमुख कारण हैं।

इसके साथ ही स्वास्थ्य के बारे में सामान्य जानकारी का अभाव भी जीवन शैली के रोगों के बढ़ने के पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि पढ़े-लिखे लोगों के मध्य भी इस तरह के रोग काफी तेजी से बढ़ रहे हैं।

वर्तमान समय में बच्चों को डायबिटीज होने की बात सुनना एक सामान्य-सी बात हो गई है जो कि 20 वर्ष पूर्व एक आसामान्य घटना मानी जाती थी। जीवन शैली के कारण रोग खतरनाक रफ्तार से बढ़ रहे हैं और महामारी का रूप लेते जा रहे हैं।

इस बात को लेकर लोग पूरी तरह से अनभिज्ञ रहते हैं कि इस समस्या के निवारण के लिए सबसे पहले अपनी जीवन शैली में आमूल-चूल परिवर्तन करने की जरूरत हैं।

इस मामले में अशिक्षित लोगों की क्या हालत होगी, जिनके पास चिकित्सा की भी पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस वर्ग के लिए तो स्थिति और भी गंभीर है।

आगे की राह

जीवन शैली से जुड़े रोगों के निवारण के लिए चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है।

- इसके अलावा योग/ध्यान जैसी गतिविधियों को अपनाने की जरूरत है।
- लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की जरूरत है।
- नियमित रूप से हरी सब्जियाँ, ताजे फल, मोटे अनाज तथा डेयरी उत्पादों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- नियमित रूप से स्वास्थ्य जाँच कराने की आवश्यकता है।
- अधिक मात्रा में तेल, भुने व्यंजन और फास्टफूड खाद्य पदार्थों से परहेज किया जाना चाहिए।
- सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में शारीरिक श्रम को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

■

3. ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट बनाम सूचना का अधिकार

चर्चा का कारण

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय खण्डपीठ ने राफेल डील से जुड़ी गुप्त दस्तावेजों की चोरी और प्रकाशन से संबंधित मामलों पर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा था कि राफेल से संबंधित कागजात सार्वजनिक हो गये हैं और उन्हीं दस्तावेजों को आधार बनाकर याचिका लगाई गई हैं। ध्यातव्य है कि अंग्रेजी अखबार द हिंदू में राफेल से जुड़े विषयों को सार्वजनिक किया गया था, जिसके बाद सरकार और मीडिया संस्थानों के बीच टकराव बढ़ा है। सरकार ने कहा है कि अखबार ने 'ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट' का उल्लंघन किया है किन्तु मीडिया संस्थाओं का मानना है कि यह एक्ट लोकतंत्र और उसके प्रोफेशन के लिए बाधक है।

परिचय

अंग्रेजों ने 1889 में इंडियन ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट (Act XIV) नाम से कानून बनाया था। इसका मुख्य उद्देश्य उस दौरान देश में छपने वाले अखबारों की आवाज को दबाना था, क्योंकि अखबार लगातार लोगों के भीतर राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा दे रहे थे और यह अंग्रेजी राज के लिए खतरा बन रहा था। उस दौर में ब्रिटिश हुकूमत ने इस कानून की मदद से विभिन्न भाषा में छपने वाले कई अखबारों का गला घोंट दिया और कई संपादकों को जेल में बंद कर दिया। समय के साथ इस कानून में आगे चलकर और बदलाव किए गए। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान इसे 'इंडियन ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट, 1904 नाम दिया गया। फिर 1923 में इस कानून को संशोधित कर नए रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे 'द इंडियन ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट (Act No. XIX, 1923) नाम दिया गया। इस कानून के मुताबिक सरकार द्वारा किसी भी गोपनीय दस्तावेज को जनता के बीच उजागर नहीं किया जाता था।

ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट के प्रमुख प्रावधान

- यदि कोई व्यक्ति किसी गुप्त जानकारी को एकत्र, रिकॉर्ड, प्रकाशित या कोई गुप्त कोड या पासवर्ड, स्केच, योजना, मॉडल, आलेख या नोट या अन्य दस्तावेज को किसी ऐसे व्यक्ति को भेजता है जिससे कि देश की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा,

विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करने की संभावना से संबंधित है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

- यदि भारत सरकार या राज्य सरकार का कोई कर्मचारी जिसको सरकार की ओर से कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया गया हो और वह अपने पद या ऑफिस से संबंधित जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करता है जिसके साथ उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं है, तो वह अपराधी माना जायेगा।
- यदि कोई सरकारी प्राधिकारी किसी गुप्त जानकारी (जैसे कोई योजना, मॉडल, आलेख, नोट, दस्तावेज, गुप्त कोड, पासवर्ड इत्यादि) को गुप्त रखने में विफल हो जाता है, जिसको गुप्त रखना उसकी जिम्मेदारी थी, तो उसके विरुद्ध भी इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी।
- यदि कोई व्यक्ति देश के किसी गुप्त ऑपरेशन या लड़ाई या सैनिक कार्यवाही से सम्बंधित कोई नक्शा, फोटो, स्केच, योजना, मॉडल, लेख, दस्तावेज और जानकारी को देश के दुश्मनों या विदेशी एजेंट को भेजता है तो उसके खिलाफ इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
- इस एक्ट के तहत नौसैनिक, थल सेना, वायु सेना, पुलिस इत्यादि स्थानों में घुसने के लिए फर्जी आधिकारिक वर्दी पहनना या फर्जी पहचान पत्र रखना आदि की भी मनाही की गयी है।
- यदि कोई व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप से अपना पद गलत बताता है या किसी अन्य व्यक्ति को मौखिक या लिखित रूप से किसी ऐसी जगह पर भेजने की आज्ञा देता है, जहाँ पर सीक्रेट जानकारी रखी हुई है या किसी झूठे पद का नाम बताकर नियम में किसी प्रकार की रियायत की माँग करता है, तो उसके खिलाफ इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
- यदि कोई व्यक्ति ऊपर दिए आरोपों के लिए दोषी करार दिया जाता है तो उसे 3 साल तक की सजा होगी, लेकिन यदि अपराध का सम्बन्ध रक्षा कार्यों, सेना शस्त्रागार, नौसेना, सैन्य या वायुसेना प्रतिष्ठान या स्टेशन, सुरंगों, कारखाना, डॉकयार्ड, शिविर, जहाज, गुप्त आधिकारिक कोड से सम्बन्धित हो तो उसे 14 साल की सजा दिए जाने का प्रावधान है।

आधिकारिक दस्तावेजों का वर्गीकरण

केन्द्र सरकार ने 'मैनुअल ऑफ डिपार्टमेंट सिक्योरिटी इन्स्ट्रक्शन, 1994' के तहत दस्तावेजों का वर्गीकरण निम्नलिखित तरीके से किया है-

- शीर्ष गुप्त दस्तावेज (Top Secret Documents)
- गुप्त दस्तावेज (Secret Documents)
- गोपनीय दस्तावेज (Confidential Documents)
- प्रतिबंधित दस्तावेज (Restricted Documents)

उपर्युक्त दस्तावेजों के अलावा जिन दस्तावेजों का वर्गीकरण नहीं किया गया है, उन्हें अवर्गीकृत (Unclassified) श्रेणी में रखा जाता है। ध्यातव्य है कि विभिन्न सरकारी विभाग व संस्थाएँ दस्तावेजों के उपर्युक्त वर्गीकरण को मनमाने ढंग से करती हैं, क्योंकि सरकार ने इनके वर्गीकरण के मानदण्डों को स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किया है। इसके अलावा ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट, 1923 में गुप्त दस्तावेजों का जिक्र तो है लेकिन यह एक्ट 'गुप्त दस्तावेज' की परिभाषा को स्पष्ट नहीं करता है। विभिन्न सामाजिक कार्यकर्त्ताओं ने गृह मंत्रालय से अनुरोध किया था कि वह दस्तावेजों के वर्गीकरण के मानदण्डों को स्पष्ट करें, किन्तु सरकार द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया।

ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट के उल्लंघन के मामले

1985 में इस कानून का इस्तेमाल सर्वप्रथम कोमार नारायण (Coomar Narain) जासूसी केस में किया गया तथा 2002 में उन 12 सदस्यों को 10 साल की सजा सुनाई गई जो प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति भवन में कार्यरत थे। इन लोगों को दूसरे देशों को गोपनीय दस्तावेज साझा करने का दोषी पाया गया। इसके अलावा एक और मामला सामने आया, जिसमें इसरो में जासूसी की बात सामने आई। इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायण (Nambi Narayan) को भी ओएसए के तहत ट्रायल से गुजरना पड़ा। ताजा घटनाक्रम 2018 का है जब इस्लामाबाद में कार्यरत माधुरी गुप्ता को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को गोपनीय दस्तावेज देने के आरोप में तीन साल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा कश्मीर टाइम्स के पत्रकार इफ्तकार गिलानी को भी ओएसए के तहत 2002 में गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान सरकार ने लोकसभा में बताया था कि वर्ष 2014 से अब तक ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट के उल्लंघन के 50 मामले देश में पंजीकृत हैं। इन 50 मामलों में से 2016 में 30, वर्ष 2015 में 9 और 2014 में 11 मामले पंजीकृत हुए थे। वर्ष 2014 में पंजीकृत 30 मामलों में से 8 तमिलनाडु में, जबकि पंजाब और उत्तर प्रदेश में 5 मामले दर्ज किए गए थे।

इस परिप्रेक्ष्य में विभिन्न समितियों की राय

1952 में न्यायमूर्ति जे.एस. राजाध्यक्ष (J.S. Rajadhyaksha) की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रेस आयोग ने पहली बार अपने अध्ययन रिपोर्ट में शासकीय गोपनीयता कानून-1923 को साम्राज्यवादी परिपाटी की कड़ी बताते हुए समाप्त करने की सिफारिश की थी, जिस पर तत्कालीन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। हालाँकि, 1963 में भारत सरकार ने शासकीय गोपनीयता कानून-1923 में कुछ संशोधन जरूर किया, जिससे लोकतंत्र के तीन स्तंभों (विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका) में से पहले और अंतिम स्तंभों को गोपनीयता के बंधन से मुक्त कर दिया, लेकिन दूसरे स्तंभ- कार्यपालिका को मुक्ति नहीं मिली। न्यायपालिका और विधायिका को गोपनीयता कानून से मुक्त करने का सबसे बड़ा कारण यह रहा है कि न्यायपालिका की समस्त कार्यवाही आम आदमी के सामने होती है। कार्यवाही के दौरान वादी और प्रतिवादी पक्ष के लोग मौजूद होते हैं। सभी के सामने न्यायालय अपना फैसला भी सुनाती है। कमोबेश यही स्थिति संसद के दोनों सदनों और राज्यों के विधानसभाओं की है, जिनके अधिवेशनों में खुली चर्चा होती है, जिनका समाचारपत्रों में प्रकाशन तथा टेलीविजन चैनलों पर प्रसारण होता है, जबकि कार्यपालिका आज भी गोपनीयता के बंधन में बँधा है। सत्ता पक्ष के राजनीतिज्ञ (शासक वर्ग) इसे मुक्त भी नहीं करना चाहते हैं।

1971 में विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट 'अपराधों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा' (Offences Against National Security) में कहा था कि ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट, 1923 की भावना का उचित रूप से क्रियान्वयन नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, आयोग ने कहा कि यदि कोई आधिकारिक दस्तावेज को उजागर करना जनहित

में है और वह राष्ट्रीय सुरक्षा को गम्भीर रूप से प्रभावित नहीं करता है तो उसे सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए।

1980 को द्वितीय प्रेस आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में शासकीय गोपनीयता कानून को समाप्त करने की सिफारिश की। लेकिन तत्कालीन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। देश के विख्यात कवि एवं कुशल संपादक अटल बिहारी वाजपेयी के छः साल के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में भी मीडिया के विरुद्ध कार्य करने वाले इस कानून को समाप्त नहीं किया जा सका।

एम. वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने 15 जून, 2006 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भी शासकीय गोपनीयता कानून- 1923 को निरस्त करने की सिफारिश की थी। इस संदर्भ में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने स्पष्ट लिखा था कि लोकतांत्रिक समाज के पारदर्शी प्रशासन में ऐसा कानून असंगत है। आयोग ने सुझाव दिया था कि यदि सरकार शासकीय गोपनीयता कानून के कुछ प्रावधानों को बेहद जरूरी मानती है तो उसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में समाविष्ट कर सकती है।

इसके बाद वर्तमान सरकार ने 2015 में ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट (ओएसए) और आरटीआई के प्रावधानों को लेकर एक समिति का गठन किया। 16 जून, 2017 को अपनी रिपोर्ट में कमेटी ने सुझाव दिया कि ओएसए को और अधिक पारदर्शी तथा आरटीआई अधिनियम को सुसंगत बनाने की जरूरत है।

ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट (ओएसए) का विश्लेषण

ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी औपनिवेशिक सत्ता को किसी भी दशा में बनाये रखने तथा अपने कारनामों को छुपाने के लिए 1923 में शासकीय गोपनीयता कानून (ओएसए) को प्रभावी तरीके से लागू किया। यह कानून मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है, पहला जासूसी और दूसरा गुप्तचरी से सम्बन्धित है। इस अधिनियम की धारा- 3 के अंतर्गत जासूसी तथा धारा- 5 के अंतर्गत गुप्तचरी (जिसे सरकार गुप्त मानती है) का प्रावधान किया गया है। यह कानून स्पष्ट रूप से मीडिया के विरुद्ध कोई निर्देश तो नहीं देता है, लेकिन मीडिया पर इसका प्रतिकूल प्रभाव जरूर पड़ता है। अतीत के पन्नों (आजादी से पूर्व और आजादी के बाद) की पड़ताल करने पर ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिनमें सत्ता वर्ग ने शासकीय गोपनीयता कानून- 1923 का सहारा लेकर मीडिया की आवाज को दबाने का कार्य किया है।

सूचना का अधिकार

भारतीय संसद ने 2005 में सूचना का अधिकार कानून पारित किया। इस कानून के तहत देश का कोई भी नागरिक मात्र 10 रुपया (कुछ राज्यों में अधिक भी) शुल्क अदा करके किसी भी सरकारी, गैर-सरकारी विभाग से संबंधित जानकारी माँग सकता है। इस कानून की परिधि में केंद्र व राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत विभागों, सरकारी अनुदानों से संचालित गैर-सरकारी संगठनों को सम्मिलित किया गया है।

वैसे, भारत में आम आदमी को जानने (सूचना) का अधिकार देने की माँग काफी समय से की जा रही थी। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने 1976 में राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार प्रकरण की सुनवाई के दौरान अनुच्छेद 19 में वर्णित सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि- लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के रूप में अनुच्छेद 19 (1)(क) के अंतर्गत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, जो जानने के अधिकार के बगैर अधूरी होती है।

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आम आदमी देश का वास्तविक मालिक होता है, जो प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया में भाग लेकर स्वयं के लिए शासक का चुनाव करता है। इस आम आदमी के हाथों में जन-भावनाओं का आदर न करने तथा जन-अपेक्षाओं पर खरा न उतरने वाले शासकों को सत्ता से हटाने की ताकत भी होती है। भारत में शासक वर्ग को अपनी सत्ता को सुचारू रूप से चलाने के लिए जहां गोपनीयता के अधिकार की व्यवस्था है, वहीं वास्तविक मालिक होने के कारण आम आदमी को जानने का अधिकार (आरटीआई अधिनियम, 2005) भी प्राप्त है, जिसके माध्यम से आम आदमी यह जानने का प्रयास करता है कि शासक वर्ग जनहित में क्या-क्या और कैसे-कैसे कार्य कर रहे हैं। चूँकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम आदमी टैक्स देकर सरकार चलाने में शासक वर्ग की मदद करता है, इस कारण से भी उसे यह जानने का अधिकार प्राप्त है कि शासक वर्ग उनके पैसे का सही और समुचित उपयोग कर रहे हैं या नहीं। ऐसे में शासक वर्ग को प्राप्त शासकीय गोपनीयता कानून, 1923 तथा आम आदमी को प्राप्त लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित सूचना का अधिकार कानून, 2005 के मध्य विरोधाभास के तत्व उभरकर सामने आते हैं।

ओएसए की धारा 5, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के संभावित उल्लंघनों से संबंधित है, की अकसर गलत व्याख्या की जाती है। यह धारा कहती है कि हर वह जानकारी गोपनीय होनी चाहिए जो दुश्मन देश को मदद पहुँचाती हो। इसी धारा के उपयोग द्वारा पत्रकारों के हाथ बाँध दिये जाते हैं, इसीलिए रक्षा क्षेत्र में धन के दुरुपयोग की कई जानकारियाँ भी सामने नहीं आ पाती हैं। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में इस प्रकार की गोपनीयता सशस्त्र बलों के मानवाधिकारों को भी दबाती हैं। ध्यातव्य है कि सार्क (SARC) रिपोर्ट में भी ओएसए कानून की आलोचना की गयी है।

आगे की राह

चूंकि यह कानून अंग्रेजों के समय 1923 में बनाया गया था, इसलिए बदलते परिप्रेक्ष्य में इसमें परिवर्तन करना जरूरी हो गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस कानून के प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए जुलाई 2017 में कैबिनेट सचिवालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा और आधिकारिक गोपनीयता के नाम पर मनमाने ढंग से संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जानने के अधिकार को दबाने से बचना होगा, ताकि भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का उचित रीति से परिरक्षण किया जा सके। ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट, 1923 और सूचना का अधिकार, 2005 के प्रावधानों के मध्य संतुलन साधते हुए सरकार को ऐसी नीति या कानून बनाना चाहिए, जिससे शासन-प्रशासन में पारदर्शिता भी स्थापित हो सके और देश की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस- अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

■

4. इस्लामिक सहयोग संगठन और भारत का दृष्टिकोण

चर्चा का कारण

हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन (Organisation of Islamic Cooperation) के विदेश मंत्रियों की परिषद का 46वाँ सत्र का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबुधाबी में किया गया। भारत की तरफ से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस बैठक में भाग लिया। ज्ञातव्य है कि पाकिस्तान की आपत्तियों के बावजूद पिछले 50 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत को पहली बार 'गेस्ट ऑफ ऑनर' के रूप में आमंत्रित किया गया।

परिचय

ओआईसी इस्लामिक देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 25 सितंबर, 1969 को मोरक्को के रबात में आयोजित शिखर सम्मेलन में की गई थी। इसका मुख्यालय सऊदी अरब के जेद्दा में स्थित है। इस संगठन में कुल 57 सदस्य देश हैं जिनका विस्तार 4 महाद्वीपों यथा अफ्रीका (27 देश), एशिया (25 देश), यूरोप (3 देश) तथा दक्षिण अमेरिका (2 देश) तक है। ज्ञातव्य है कि इस्लामिक सहयोग संगठन संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर-सरकारी संगठन है।

ओआईसी इस्लामिक देशों से संबद्ध महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने के लिए प्रत्येक तीन वर्ष के अंतराल पर सम्मेलन आयोजित करता है। इस्लामिक शिखर सम्मेलन में सभी सदस्य देशों के राजा, राष्ट्र प्रमुख तथा विदेश मंत्री शामिल होते हैं। इस संगठन के कार्यों का वर्तमान घोषणा पत्र को 13-14 मार्च, 2008 को 'डगर' में आयोजित 11वें इस्लामिक शिखर सम्मेलन में अपनाया गया।

ओआईसी के उद्देश्य

- ओआईसी अपने सदस्य देशों के मध्य, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इस्लामिक एकजुटता को प्रोत्साहन देता है।
- यह संगठन किसी भी रूप में विद्यमान साम्राज्यवाद, नव-उपनिवेशवाद या उपनिवेशवाद की समाप्ति तथा जातीय अलगाव और भेदभाव की समाप्ति के लिए प्रयास करता है।
- न्याय पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वकालत करना तथा इसके विकास के लिए आवश्यक कदम उठाना।
- विश्व के सभी देशों के मध्य गरिमापूर्ण जीवन, स्वतंत्रता, समानता और मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए मजबूती प्रदान करना।
- सदस्य देशों के मध्य आपसी सहयोग और तालमेल को प्रोत्साहित करने के लिए एक उपयुक्त वातावरण तैयार करना।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून में निर्धारित विषयों के तहत लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करना।

इस्लामिक सहयोग संगठन और भारत

कश्मीर मुद्दे को लेकर यह संगठन भारत की हमेशा आलोचना करता रहा है जिसके पीछे पाकिस्तान की मुख्य भूमिका रही है। पाकिस्तान सहित अन्य देशों का मानना है कि भारत कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन करता है। इसके अलावा पाकिस्तान का मानना है कि कोई भी देश जिसका ओआईसी से मतभेद है वो देश इस समूह का सदस्य नहीं बन सकता है।

बेशक यह अच्छी खबर थी कि पहली बार इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआइसी) के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भारत की विदेश मंत्री विशेष निमंत्रण पर पहुँची थीं। वहाँ उन्होंने इस्लामिक देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। इस बैठक की खासियत यह थी कि एशिया की बदलती परिस्थितियों में मेजबान देश ने न तो भारत को नाराज किया और न ही पाकिस्तान को। कश्मीर मसले पर ओआईसी ने कहा कि दक्षिण एशिया में शांति स्थापना के लिए इसका हल होना जरूरी है, वहीं भारत ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को घेरा।

हालाँकि अगले ही दिन इस्लामिक देशों ने साफ संकेत दिए कि फिलहाल भारत की कीमत

पर वे पाकिस्तान को नाराज नहीं करना चाहते हैं। इस बैठक की समाप्ति के बाद पता चला कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान अभी भी इस मंच से दुष्प्रचार करने में सफल रहा है।

भारत का महत्त्व क्यों

- ओआईसी में सऊदी अरब एवं संयुक्त अरब अमीरात की अहम भूमिका रही है। इसके पीछे कई कारण हैं- दोनों देश निश्चित तौर पर पाकिस्तान को नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर दोनों देश चिंतित हैं।
- सऊदी अरब और यूएई नहीं चाहते कि आर्थिक रूप से ताकतवर होता भारत, ईरान के ज्यादा नजदीक हो जाए।
- पेट्रोलियम और गैस के संसाधनों से युक्त सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को भारत में ऊर्जा का बड़ा बाजार दिख रहा है।
- भारत में लगभग 185 मिलियन मुस्लिम रहते हैं, जिनका एक अपना अलग ही सांस्कृतिक पहचान है। भारत की विविधता में एकता को बनाए रखने में मुसलमानों का अहम योगदान है। अगर भारत ओआईसी का सदस्य नहीं है तो इसका तात्पर्य यह है कि यह संगठन विश्व के सभी मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। जब इस संगठन में थाईलैण्ड और रूस जैसे कम मुस्लिम आबादी वाले देशों को पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है तो भारत को भी पर्यवेक्षक का दर्जा मिलना चाहिए।
- भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया जाना इस बात का द्योतक है कि भारत का पश्चिम एशियाई देशों के साथ संबंधों में सुधार हुआ है।
- सऊदी अरब, यूएई, तुर्की आदि यहाँ तक कि मध्य एशिया के देशों ईरान, इराक, जॉर्डन, मिस्र, ट्यूनीशिया और मोरक्को आदि ने धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को अपनाया है, के साथ भी भारत के संबंधों में सुधार हुआ है।
- पश्चिमी एशिया खासतौर पर यूएई के साथ प्रगाढ़ होते संबंधों की वजह से भारत को इस मंच पर आने का मौका मिला। कतर ने वर्ष 2002 में पहली बार इस मंच से भारत को पर्यवेक्षक देश का दर्जा देने की बात कही थी। पिछले वर्ष तुर्की और बांग्लादेश ने भी भारत को इस संगठन में शामिल करने के लिए कहा था। साथ ही अधिकांश सदस्य देशों के साथ भारत के व्यक्तिगत रूप से सौहार्दपूर्ण संबंध हैं।
- इस प्रकार वर्तमान सत्र में भारत का विरोध उतना नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। अगर भारत अपनी लुक वेस्ट नीति को इसी प्रकार से मजबूत करता है तो आने वाले समय में इस संगठन का सदस्य बन सकता है।

लाभ

अगर भारत ओआईसी का पर्यवेक्षक या सदस्य बनेगा तो भारत को निम्नलिखित लाभ होंगे-

- चूँकि भारत ओआईसी का सदस्य नहीं है इसलिए भारत की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर पाकिस्तान किसी तरह के प्रस्ताव को पारित करा लेता है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण कश्मीर मुद्दा है। इस प्रकार देखा जाए तो भारत अगर इस संगठन का सदस्य होगा तो पाकिस्तान अपनी मर्जी का प्रस्ताव पारित नहीं करा पाएगा, साथ ही आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर भारत और दबाव बना पायेगा।
- पाकिस्तान के विरोध के कारण ओआईसी देश भारत को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता को लेकर विरोध करते रहे हैं लेकिन जब भारत इस संगठन का सदस्य होगा तो संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनने का मार्ग भी प्रशस्त होगा।
- ज्ञातव्य है कि ओआईसी के ज्यादातर सदस्य देशों में तेल के प्रचुर भण्डार हैं। अगर भारत ओआईसी का सदस्य बनता है तो भारत का सदस्य देशों के साथ संबंध और मजबूत होगा।
- चूँकि भारत ऊर्जा का सबसे बड़ा आयातक देश है, इसलिए भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना इन देशों के हित में है।

ओआईसी के भीतर राजनीति

- सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात का जोरदार विरोध कतर से है। ईरान और सऊदी अरब के बीच जंग जगजाहिर है। दोनों देश यमन में एक-दूसरे के सामने सैन्य टकराव की स्थिति में हैं, साथ ही दोनों के बीच शिया-सुन्नी विवाद भी तनाव का बड़ा कारण है।
- ओआईसी की बैठक में जब भी इस्लामिक देशों के भीतर शिया या सुन्नी अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की बात उठती है तो कोई हल नहीं निकलता। ईरान में सुन्नी मुसलमानों और सऊदी अरब में शिया अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का मसला लगातार उठता रहा है। लेकिन इस्लामिक सहयोग संगठन इसे हल करने में विफल रहा है।

सुझाव

- भारत ने बुद्धिमानी से ओआईसी के मुद्दों को परे रख ओआईसी के सदस्य देशों के साथ अपने हित को नजरअंदाज नहीं होने दिया है।
- भारत जानता है कि पर्यवेक्षक या सदस्य के रूप में उसे ओआईसी के प्रस्तावों को स्वीकार करना होगा, जो उसके नैतिक मूल्यों के खिलाफ है।
- भारत का ओआईसी से दूर रहने के लिए सम्मोहक कारण घरेलू राजनीति भी है। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश के लिए औपचारिक रूप से खुलकर एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ खुद को संबद्ध करना बिल्कुल भी वांछनीय नहीं प्रतीत होता है।
- एशिया और फारस की खाड़ी भारत के विस्तारित और सामरिक पड़ोस का नि:संदेह एक हिस्सा है, जो भी यहाँ घटना घटित होती है वह सीधे भारत की सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण हितों को प्रभावित करता है। इसलिए यह भारत के हित में है कि यह क्षेत्र शांतिपूर्ण और स्थिर रहे। कोई भी विस्तृत पैमाने की गड़बड़ी भारत की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है।
- भारत को ऐसी नीतियों का पालन करना होगा जिससे अरब देशों व फारस की खाड़ी में शांति व सुरक्षा बना रहे। सच्चाई यह है कि दुनिया में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो फारस की खाड़ी से ज्यादा अस्थिर हो। इस क्षेत्र के राजतंत्र, अमीरात, शेख शाही और तानाशाही संभावित रूप से अस्थिर हैं, जिसके कारण ओआईसी का गठन हुआ था। भारत को सभी पक्षों को साधकर संतुलन साधने का प्रयास करना चाहिए, इसके अलावा भारत के विदेश मंत्रियों को इन क्षेत्रों में वार्ताएँ एवं यात्राएं भी नियमित अंतराल पर करना चाहिए।
- भारत को इस क्षेत्र के लिए ऐसी रणनीति और सुरक्षा का ढाँचा अपनाने की आवश्यकता है जो फारस की खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में इसके राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखे।
- भारत एक ऐसा देश है, जो ओआईसी देशों

के बीच मनमुटाव या मतभेदों को पाटने में न केवल एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है बल्कि इस मामले में पहल भी कर सकता है।

- कुछ वर्षों पहले भारत ने ओआईसी की सदस्यता के लिए आवेदन किया था, साथ ही इसके पहले शिखर सम्मेलन में भी भारत को आमंत्रित किया गया था लेकिन पाकिस्तान के विरोध के कारण इसे अस्वीकार कर दिया गया। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को ओआईसी के लिए आवेदन ही नहीं करना चाहिए था।
- विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को खास सतर्क रहने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि मोहम्मद बिन जायद और मोहम्मद बिन सलमान ईरान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। भारत को इस बैठक में बुला कर वे भारत को इस्लामिक दुनिया की आंतरिक राजनीति में भी इस्तेमाल करना चाहते थे। उनकी मंशा ये भी है कि भारत ईरान से दूरी बनाए।
- भारत के लिए ईरान से दूरी बनाना उचित नहीं होगा, क्योंकि भारत का चाबहार में भारी निवेश है। ईरान भारत के लिए अफगानिस्तान में जाने का रास्ता भी दे रहा है। इसलिए सुन्नी इस्लामिक देशों की राजनीति और कूटनीति दोनों को भारत को समझना होगा।
- ओआईसी देशों के भीतर भी गहरी राजनीति है, भारत को इससे बचना होगा। इस संगठन के सदस्य देशों के बीच ही आपस में भारी विरोध हैं, इसलिए उनकी आंतरिक राजनीति में पड़ना भारत के लिए ठीक नहीं है।

आगे की राह

आने वाले समय में पश्चिम एशिया से भारत का संबंध काफी महत्त्व रखता है और यह क्षेत्र इस्लामिक सहयोग संगठन के परिप्रेक्ष्य में भारत की लुक वेस्ट पॉलिसी का अभिन्न हिस्सा भी है। सामरिक,सांस्कृतिक और भू-राजनीतिक सन्दर्भ के अलावा भारत के लिए तीन अन्य विषयों के कारण यह क्षेत्र और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला है- भारत की ऊर्जा-सुरक्षा, ज्ञात रहे कि भारत 55 प्रतिशत तेल और प्राकृतिक गैस इसी क्षेत्र से आयात करता है। दूसरा है- पश्चिम एशिया में काम करने वाले प्रवासी भारतीय, जिनकी संख्या लगभग सत्तर से अस्सी लाख है जो अपने देश में करीब छत्तीस अरब डॉलर भेजकर देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देते हैं। तीसरा है- आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और धार्मिक कट्टरवाद को रोकने के लिए भारत को पश्चिम एशियाई देशों का साथ बहुत ही आवश्यक है। इस क्षेत्र के तीन बड़े खिलाड़ी इजरायल, ईरान और सऊदी अरब तीन अलग-अलग शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और तीनों ही आपस में एक-दूसरे के धुर-विरोधी भी हैं। ऐसे में भारत के लिए इन देशों के साथ मधुर संबंध स्थापित करना और उनके बीच में संतुलन बनाए रखना आसान नहीं है। विशेष रूप से इजरायल के साथ भारत के नए संबंध को पश्चिम एशिया में बड़े ध्यान से देखा जा रहा था क्योंकि पारंपरिक रूप से भारत इजरायल के प्रतिद्वंद्वी फिलिस्तीन का समर्थक रहा है।

वर्तमान में भारत के द्वारा ओआईसी के सदस्य देशों की अनदेखी नहीं की जा सकती, जिनमें से अधिकांश के साथ भारत के आर्थिक हित विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। ऐसे में भारत को बेहद सावधानीपूर्वक और बेहतर कूटनीतिक संबंध स्थापित करना होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।
- भारत के हितों, भारतीय डायसपोरा पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।

■

5. स्टॉक एक्सचेंज और अर्थव्यवस्था : एक विश्लेषण

चर्चा का कारण

हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव से दोनों देशों के स्टॉक एक्सचेंज के संवेदी सूचकांकों में गिरावट देखने को मिली। ज्ञातव्य है कि अकसर स्टॉक एक्सचेंज के संवेदी सूचकांक के उतार-चढ़ाव के बारे में खबरें आती रहती हैं।

पृष्ठभूमि

किसी भी देश के आर्थिक विकास में वित्त बाजार (Financial Market) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह न केवल स्वतंत्र रूप से बचत और निवेश को बढ़ावा देता है, बल्कि बचतों को निवेश में परिवर्तित करके देश के पूँजी निर्माण, जीडीपी और रोजगार आदि में महत्वपूर्ण योगदान करता है। भारत में वित्त बाजार की संरचना को दो भागों में बाँटा जा सकता है- मुद्रा बाजार (Money Market) और पूँजी बाजार (Capital Market)। मुद्रा बाजार में अल्पकाल (लगभग 1 वर्ष तक) के लिए धन का लेन-देन किया जाता है जबकि पूँजी बाजार में दीर्घकाल (1 वर्ष से अधिक समय) के लिए धन का लेन-देन किया जाता है। पूँजी बाजार में विभिन्न कम्पनियाँ अपने व्यवसाय के लिए जनता से दो प्रकार से पूँजी (Capital) जुटाने का कार्य करती हैं-

- **व्यवसाय में भागीदारी उपलब्ध कराकर:** इससे जुटाई गई पूँजी को भागीदारी पूँजी (Participatory Capital) कहते हैं। इसके लिए कम्पनियाँ प्राथमिक और द्वितीयक बाजार के माध्यम से 'समता अंशपत्र' (Equity Shares) जारी करती हैं।
- **व्यवयाय में भागीदारी न उपलब्ध कराकर:** इसके तहत प्राप्त की गई पूँजी को 'ऋण पूँजी' (Debt Capital) कहते हैं। इसमें बॉण्ड (Bonds), डिबेन्चर (Debentures) इत्यादि निर्गत किये जाते हैं।

प्राथमिक बाजार (Primary Market) के द्वारा नई इक्विटी का निर्गमन किया जाता है, इसलिए इस बाजार को 'नई निर्गम बाजार' (New Issue Market- NIM) भी कहते हैं। इसमें आईपीओ, एफपीओ, ओएफएस और क्यूआईपी आदि जारी किये जाते हैं। द्वितीयक बाजार (Secondary Market) में पहले से ही जारी (प्राथमिक बाजार के माध्यम से) इक्विटी का लेन-देन किया जाता है। इसके माध्यम से निवेशक तरलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने निवेश से निकल भी सकते हैं।

प्राथमिक और द्वितीयक बाजार के लिए आधारभूत संरचना 'स्टॉक एक्सचेंज' (Stock Exchange) उपलब्ध कराते हैं। **भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित हैं-**

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE): नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। यह

मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1992 में 25 करोड़ रुपये की समता पूँजी के साथ हुई थी। कारोबार के लिहाज से यह विश्व का तीसरा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना देश में वित्तीय सुधार के लिए 'एम.जे. शेरवानी समिति' की सिफारिशों के आधार पर की गयी थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का देशव्यापी नेटवर्क है। निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत आने वाला संवेदी सूचकांक है।

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE): यह स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी स्थापना 1875 में की गयी थी। इसका कार्यालय मुंबई की दलाल स्ट्रीट में स्थित है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार में अपना श्रेष्ठ स्थान दिलाने में बीएसई की अहम भूमिका रही है। वर्तमान में मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार बीएसई विश्व का 10वाँ सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई में 5000 से अधिक कंपनियाँ सूचीबद्ध हैं।

भारत के कुछ अन्य स्टॉक एक्सचेंज की सूची		
स्टॉक एक्सचेंज का नाम	**मुख्यालय**	**स्थापना वर्ष**
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE)	मुम्बई	1875
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE)	मुम्बई	1992
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX)	मुम्बई	2003
नेशनल कमोडिटी एण्ड डेरीवेटिव एक्सचेंज (NCDEX)	मुम्बई	2003
कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज (CSE)	कोलकाता	1908
मद्रास स्टॉक एक्सचेंज (MSE)	चेन्नई	1937
लखनऊ सिटी स्टॉक एक्सचेंज	लखनऊ	1978
मेरठ स्टॉक एक्सचेंज	मेरठ	1956
पुणे स्टॉक एक्सचेंज	पुणे	1982
गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज	गुवाहाटी	1983
कोयम्बटूर स्टॉक एक्सचेंज	कोयम्बटूर	1991

विश्व के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज

न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज: न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। यहाँ सूचीबद्ध कंपनियों में एप्पल, फेसबुक और गूगल जैसी दुनिया की बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ शामिल हैं।

जापान एक्सचेंज ग्रुप: जापान एक्सचेंज ग्रुप एक जापानी वित्तीय सेवा निगम है जो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज और ओसाका सिक्योरिटीज एक्सचेंज सहित कई प्रतिभूतियों का आदान-प्रदान करता है। प्रसिद्ध निक्केई सूचकांक को जापान की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार का बैरोमीटर माना जाता है। उपभोक्ता वस्तुओं की कम्पनियाँ जैसे- निकॉन, ओलिंपस और कोनिका यहाँ सूचीबद्ध कुछ सबसे प्रसिद्ध कम्पनियाँ हैं।

शंघाई स्टॉक एक्सचेंज: यह चीन का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है जो कि देश के वित्तीय केंद्र शंघाई में स्थित है।

लंदन स्टॉक एक्सचेंज: लंदन स्टॉक एक्सचेंज यूरोप का सबसे प्रसिद्ध शेयर बाजार है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज लंदन में स्थित है।

ब्रोकर्स: किसी व्यापारी अथवा जनता को किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए ब्रोकर्स की सहायता लेनी होती है, क्योंकि ये ट्रेडिंग एकाउंट, डीमैट एकाउंट तथा शेयर से संबंधित सूचना मुहैया कराते हैं।

ट्रेडर्स: वस्तु, शेयर, सेवा आदि की खरीद एवं बिक्री करने वाला व्यक्ति ट्रेडर्स (व्यापारी) कहलाता है।

डिविडेंड: कोई कंपनी अपने लाभ का कुछ भाग निवेशक या शेयरधारक को प्रदान करती है, उसे डिविडेंड (लाभांश) कहते हैं।

स्टॉक (शेयर): किसी भी कंपनी को शुरू करने के लिए बहुत बड़ी पूँजी की आवश्यकता होती है, अतः कम्पनियाँ शेयर जारी कर पूँजी का प्रबंधन करती हैं। व्यापारी इन शेयरों को विभिन्न ब्रोकर्स के माध्यम से खरीदकर उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं, अर्थात् आप जितना शेयर खरीदेंगे उस कंपनी में उतने ही हिस्से के मालिक बन सकते हैं।

स्टॉक एक्सचेंज की भूमिका

अर्थव्यवस्था में स्टॉक एक्सचेंज की बहुमुखी भूमिका होती है, यथा-

- स्टॉक एक्सचेंज अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर होता है। इस बात की पुष्टि ब्रोकरेज फर्म 'क्रेडिट सुइस' (Credit Suisse) की एक रिपोर्ट से भी होती है।
- विभिन्न प्रकार के बिजनेस के लिए पूँजी का प्रबंध करना।
- बचत को निवेश के लिए प्रोत्साहित करना।
- कम्पनियों के वृद्धि और विकास के लिए सुविधाएँ प्रदान करना।
- स्मॉल इंवेस्टर्स के लिए निवेश के अवसर प्रदान करना।
- विकासात्मक प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार को पूँजी जुटाने में सहयोग देना।

स्टॉक एक्सचेंज की सीमाएँ

स्टॉक एक्सचेंज के उपर्युक्त लाभों के अतिरिक्त कई प्रकार की सीमाएँ भी हैं-

- कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक किसी भी अर्थव्यवस्था का वास्तविक पैमाना नहीं होता है। इससे किसी क्षेत्र विशेष की व्यष्टि/सूक्ष्म अर्थव्यवस्था (Mirco Economy) के बारे में ही जाना जा सकता है। संवेदी सूचकांक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की समष्टि (Macro) गतिविधियों के बारे में स्थितियाँ स्पष्ट नहीं कर पाता है।
- स्टॉक एक्सचेंज में आने वाला निवेश बहुत अल्पकालिक होता है (एफआईआई के रूप में), जबकि विकासशील देश में विकास हेतु अकसर दीर्घकालिक निवेश की आवश्यकता होती है।
- कुछ विद्वान शेयर बाजार के निवेशकों को 'अच्छे मौसम का साथी' कहते हैं क्योंकि जब अर्थव्यवस्था की तस्वीर अच्छी होती है तो ये लोग निवेश को लेकर आते हैं और जैसे ही कुछ भी समस्याएँ उत्पन्न हुईं तो

निवेशक चन्द क्षणों में ही भारी मात्रा में निवेश निकाल कर निकल जाता है।

- भारत में अभी भी आर्थिक साक्षरता की काफी कमी है, ऐसे में आम आदमी का निवेश स्टॉक एक्सचेंज में नहीं पहुँच पाता है। इसलिए कुछ विद्वान स्टॉक एक्सचेंज को 'चंद व्यक्तियों का प्लेटफॉर्म' कहकर इसकी आलोचना करते हैं।

स्टॉक एक्सचेंज में उतार-चढ़ाव के कारण

- आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा (ब्याज दरों में कमी या वृद्धि), सरकार की राजकोषीय नीति, वाणिज्य नीति, औद्योगिक नीति, कृषि नीति आदि में किसी भी तरह के बदलाव की वजह से इन क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियों के शेयरों के भाव में उतार-चढ़ाव होता है।
- बजट पेश करने के दौरान सरकार द्वारा की गई घोषणाओं की वजह से भी शेयरों के भाव में उतार-चढ़ाव होता है।
- देश में राजनीतिक स्थिरता या राजनैतिक वातावरण भी निवेशकों के निर्णय को काफी हद तक प्रभावित करता है।
- देश का आम चुनाव और विभिन्न राज्यों के विधान सभा के नतीजे भी शेयर बाजार पर असर डालते हैं।
- समूह प्रभाव (Herd Effect) की वजह से भी शेयर बाजार में अधिक बिकवाली या खरीददारी की जाती है। इसकी वजह कोई अफवाह या गुप्त जानकारी हो सकती है। बड़ी संख्या में एक साथ बिकवाली या खरीददारी की वजह से शेयरों के भाव में अचानक उतार-चढ़ाव होता है। कभी-कभी शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव डर या अनिश्चितता की वजह से भी होता है।
- शेयर बाजार को अग्रिम अनुमानों के आधार पर तेजड़िया व मंदड़िया भी प्रभावित करते हैं।
- भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर मौसम विभाग मानसून की अच्छी बारिश का अनुमान लगाता है तो शेयर बाजार में तेजी आती है। निवेशक यह अनुमान लगाते हैं कि अच्छी बारिश से अनाज का उत्पादन ज्यादा होगा। अतः कृषि आधारित उद्योग की तरक्की ज्यादा होगी। इन उद्योगों में ट्रैक्टर, खाद, बीज और कीटनाशक आदि की कंपनियाँ शामिल होती हैं। निवेशकों को लगता है कि इन कंपनियों का कारोबार और मुनाफा बढ़ेगा, इसलिए इनसे जुड़ी कंपनियों के शेयरों की खरीददारी बढ़ जाती है।

> यदि रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति की घोषणा में ब्याज दर में कमी करे तो कर्ज की दर सस्ती होगी। इससे बैंकों से लोन लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी और अंत में बैंकों का लाभ बढ़ेगा। इस वजह से निवेशक बैंक एवं एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ) के शेयरों की खरीददारी करते हैं जिससे उनके भाव में तेजी आती है।

- दो देशों के बीच एवं वैश्विक स्तर पर किसी भी तरह के तनाव के फलस्वरूप स्टॉक एक्सचेंज में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। हाल ही में शुरू हुए ट्रेड-वार, उत्तर-कोरिया विवाद, रूस-अमेरिका विवाद, भारत-पाक विवाद, इजरायल-फिलिस्तीन विवाद आदि की वजह से निवेशक शेयरों से पैसे निकाल कर सोने, चाँदी या फिर अन्य सुरक्षित देशों में निवेश करते हैं।
- अमेरिका की केन्द्रीय बैंक (फेडरल रिजर्व बैंक) की ब्याज दरें पूरे विश्व के स्टॉक एक्सचेंजों को प्रभावित करती हैं। यदि यह बैंक अपनी ब्याज दरों को बढ़ाती है तो निवेशक अपने पैसे को विभिन्न देशों से निकालकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में लगाते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्राप्त होता है और उनका निवेश भी सुरक्षित रहता है। इसके विपरीत यदि फेडरल रिजर्व बैंक अपनी ब्याज दरों को उदार करती है तो निवेशक अमेरिका की बैंकों से सस्ता कर्ज लेकर अन्य देशों की अर्थव्यवस्था में निवेश करके लाभ कमाते हैं।

प्रमुख शेयर बाजार क्रैश की घटनाएँ

1929 का बाजार क्रैश: 1930 के दशक की महामंदी को दुनिया की अब तक की सर्वाधिक विध्वंसक आर्थिक त्रासदी माना जाता है। इसकी शुरूआत 29 अक्टूबर, 1929 को अमेरिका में शेयर बाजार के गिरने से हुई थी। इसके बाद अगले एक दशक तक दुनिया के अधिकांश देशों में आर्थिक गतिविधियाँ ठप्प रही थीं।

कैनेडी स्लाइड 1962: 1962 के कैनेडी स्लाइड को 'फ्लैश क्रैश' के रूप में भी जाना जाता है। दिसंबर 1961 से जून 1962 तक 'जॉन एफ. कैनेडी' के राष्ट्रपति पद के दौरान शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई थी।

ब्लैक मंडे की घटना (1987): 19 अक्टूबर, 1987 (सोमवार) को विश्व के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गए थे। यह शेयर बाजार में भारी गिरावट हांगकांग से आरम्भ हुई थी और विश्व के अन्य देशों में फैल गई। सबसे अधिक गिरावट अमेरिका के शेयर बाजार में देखने को मिली थी, डॉव जोंस (Dow Jones) 508 अंक गिरकर 1738.74 अंक (22.61% गिरावट) पर आ गया था। गिरावट के संभावित कारण प्रोग्राम ट्रेडिंग (कम्प्यूटर द्वारा गलत व्यापारिक सूचनाओं का आदान-प्रदान) और किसी शेयर का ओवर वैल्यूएशन तथा व्यापारियों द्वारा मार्केट का सही आकलन नहीं लगाना आदि माना जाता है।

आतंकी हमला 2001: अमेरिका के 'वर्ल्ड ट्रेड सेंटर' पर 11 सितंबर, 2001 को आतंकी हमला हुआ, जिसके परिणामस्वरूप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज सहित विश्व के लगभग सभी स्टॉक एक्सचेंज धराशायी हो गये थे।

इसी तरह का आतंकी हमला 26 नवंबर, 2008 को भारत की आर्थिक राजधानी मुम्बई पर हुआ था। इस वजह से भारत और पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में अत्यधिक गिरावट हुई और लाखों निवेशकों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ी थी।

2007-08 की आर्थिक मंदी: सन् 2007-08 की दूसरी वैश्विक आर्थिक मंदी अमेरिका से शुरू होकर पूरे विश्व में फैली थी। इस मंदी से अमेरिका के लेमन ब्रदर्श जैसे बड़े-बड़े बैंक दिवालिया हो गये थे और दुनियाभर के शेयर बाजारों में जबरदस्त निराशा का माहौल देखने को मिला था।

स्टॉक एक्सचेंज के उतार-चढ़ाव का प्रभाव

स्टॉक एक्सचेंज उतार-चढ़ाव का मुख्य प्रभाव आर्थिक गतिविधियों पर पड़ता है। जब स्टॉक एक्सचेंज में बढ़ोतरी होती है तो अर्थव्यवस्था में निवेश की मात्रा में इजाफा होता है और उत्पादन की गतिविधियाँ बढ़ती हैं, जिससे नए रोजगारों का सृजन होता है और रोजगार युक्त समाज देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, राजनैतिक व प्रशासनिक आदि सभी पक्षों पर सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है।

इसके विपरीत जब शेयर मार्केट में भारी गिरावट होती है तो इसका मतलब है कि संबंधित देश से निवेशक अपना पैसा निकालने में रुचि रखते हैं। इस कारण अर्थव्यवस्था में निवेश की मात्रा घट जाती है, जिससे वस्तुओं का उत्पादन भी कम होता है जबकि माँग पूर्ववत बनी रहती है,

फलस्वरूप वस्तुओं की कीमतों में भारी इजाफा देखने को मिलता है। इस प्रकार महँगाई की स्थिति काफी गम्भीर हो जाती है, जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है। इसके अलावा, निवेश की कमी रोजगार पर भी नकारात्मक असर डालती है।

सुझाव

स्टॉक एक्सचेंज में उतार-चढ़ाव व आर्थिक रुग्णता को सीमित करने हेतु सरकार व केन्द्रीय बैंक निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं-

- करारोपण तथा सार्वजनिक ऋण को अर्थव्यवस्था के अनुकूल बनाना।
- बैंक दर, रेपो रेट, नगद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) तथा सांविधिक तरलता अनुपात आदि में आवश्यकतानुसर बदलाव करना।
- खुली बाजार की नीति को अपनाना।
- नैतिक प्रभाव तथा प्रत्यक्ष कार्यवाही के माध्यम से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना।
- देश की आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा को मजबूत करना।
- विश्व के विभिन्न देशों से अनुकूल व्यापारिक संधि/समझौते करना।
- विश्व के विभिन्न देशों से दोस्ताना सबंध कायम करना।

आगे की राह

स्टॉक एक्सचेंज किसी अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, अतः सरकार को इसमें पारदर्शिता लाने और आम निवेशकों के हितों को सुरक्षित करने हेतु एक उपयुक्त तंत्र का विकास करना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

■

6. 'जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंसेज' का भारत पर प्रभाव

चर्चा का कारण

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने काँग्रेस (अमेरिका की विधायिका) को पत्र लिखा है कि भारत से जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंसेज (Generalised System of Preferences -GSP) के दर्जे (Status) को वापस ले लिया जाये। उन्होंने इसके पीछे दलील दी है कि भारत अपने बाजारों तक अमेरिका को 'उचित व तर्कसंगत पहुँच' उपलब्ध कराने को लेकर आश्वस्त करने में विफल रहा है। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ समय से अमेरिका द्वारा चीन और भारत समेत कई देशों पर अनुचित व्यापार पद्धति अपनाने का आरोप लगाया जा रहा है।

परिचय

जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंसेज (जीएसपी) एक प्रकार का वरीयता/तरजीही टैरिफ सिस्टम है, इसको अमेरिका ने 'व्यापार अधिनियम, 1974' (Trade Act, 1974) के द्वारा 1976 में स्थापित किया था। इस व्यवस्था को लाने का उद्देश्य था कि दुनिया के गरीब देशों को अमेरिका के साथ व्यापार करने का अवसर प्रदान किया जाये ताकि वे अपनी अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ता प्रदान कर सकें। अमेरिका के बाद यूनाइटेड किंगडम और अन्य विकसित देशों के द्वारा भी जीएसपी व्यवस्था को लाया गया। इसमें विकसित देश, विकासशील व पिछड़े देशों से आने वाली वस्तुओं पर बहुत कम या नगण्य आयात शुल्क लगाते हैं। जीएसपी व्यवस्था के अन्तर्गत जिन वस्तुओं को रखा जाता है, उनकी हर साल समीक्षा की जाती है कि जीएसपी सूची में उन्हें आगे आने वाले समय के लिए रखना है या नहीं। जीएसपी से संबंधित निम्नलिखित बिन्दुओं को समझा जा सकता है-

- अमेरिका 1976 से ही भारत को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंसेज की सुविधा देता आ रहा है। भारत से जाने वाली वस्तुओं पर अमेरिका 0-6 प्रतिशत के बीच रियायती शुल्क अधिरोपित करता है।
- वर्तमान में पूरे विश्व में 13 देशों ने जीएसपी व्यवस्था को अपनाया हुआ है इन देशों में शामिल हैं- यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस, यूरोपीय संघ, आइसलैण्ड, जापान, कजाकिस्तान, न्यूजीलैण्ड, नॉर्वे, रूस, स्विट्जरलैण्ड तथा तुर्की।
- अमेरिका की जीएसपी व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभार्थी भारत ही है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में अमेरिका के लिए भारत के कुल निर्यात का लगभग 11% हिस्सा जीएसपी वस्तुओं का था।
- अमेरिका ने जीएसपी लाभ पाने हेतु कई अनिवार्य शर्तों को भी रखा है-
    - वस्तुओं के उत्पादन में बाल श्रम का उपयोग न हुआ हो।
    - उत्पादन में श्रम की दशाएँ उपयुक्त हों तथा कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन न हुआ हो।
    - पेटेंट नियमों का कड़ाई से पालन।
    - जीएसपी व्यवस्था के तहत मुकदमा दर्ज होने पर अमेरिकी कम्पनियों व नागरिकों को प्राथमिकता प्राप्त होगी।

पृष्ठभूमि

पिछले वर्ष अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले एल्युमिनियम व स्टील के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया था, जिसके जवाब में भारत ने भी प्रतिकार (Retaliation) की धमकी दी थी, किन्तु अमेरिका और भारत के शीर्ष अधिकारियों की कई बैठकें हुईं और भारत ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। इसके बाद फिर से अमेरिका की मेडिकल व डेयरी फर्मों ने अमेरिकी सरकार पर दबाव बनाया कि अमेरिका भारत पर दबाव बनाये कि वह अमेरिकी डेयरी व मेडिकल उत्पादों को एमएफएन (Most Favoured Nation) के दर्जे के तहत आयात करें।

ध्यातव्य है कि अमेरिका और यूरोप के कई देशों में गायों को खिलाये जाने वाले चारे में गायों-सूअरों और भेड़ों का माँस और खून को मिलाया जाता है, इसी वजह से इसे ब्लड मील भी कहा जाता है। ऐसी खुराक पर पली गायों के दूध से बनी चीजों का आयात करने को लेकर भारत का रुख साफ है, उसका कहना है कि वह ऐसी गायों के दूध से बने उत्पाद नहीं खरीद सकता जिन्हें ब्लड मील दिया गया हो। इसके अतिरिक्त भारत का कहना है कि उसके इस फैसले के पीछे सांस्कृतिक और धार्मिक संवेदनाएँ हैं जिन पर समझौता नहीं किया जा सकता। भारत की आस्था और संस्कृति पर चोट पहुँचने के अलावा इससे छोटे स्तर के कारोबारियों व किसानों के आर्थिक हित प्रभावित होंगे। इस मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच कई दौर की वार्ताएँ भी हुईं किन्तु सकारात्मक परिणाम नहीं आये।

भारत का यह भी कहना है कि यदि अमेरिका के डेयरी व मेडिकल उत्पादों को एमएफएन के तहत लाया जायेगा तो जिन अन्य देशों को भारत ने एमएफएन का दर्जा दे रखा है, उन्हें भी इसी प्रकार की छूट देनी होगी, जिससे भारत को काफी नुकसान होगा और ग्रामीण रोजगार पर गम्भीर असर होगा।

भारत में अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए एफडीआई के नए नियम और डाटा लोकलाइजेशन को लेकर भी ट्रम्प सरकार ने चिंता जताई है। इन मुद्दों पर पॉलिसी निर्माण को लेकर भारत अपनी संप्रभुता से जोड़कर देखता है, जबकि अमेरिका को लगता है कि यह अमेरिकी कम्पनियों को दबाने के लिए किया जा रहा है।

अमेरिका चाहता है कि भारत ने जो 'नी इंप्लांट' (घुटना प्रत्यारोपण) और 'स्टेंट' (Stent) की कीमतों पर ऊपरी सीमा तय कर रखी है, उसे वह खत्म करे। अगर ऐसा होता है तो पश्चिमी देशों की दवा कम्पनियों को भारी फायदा होगा, जबकि भारत 'नी इंप्लांट' और 'स्टेंट' की कीमतों को जरूरी दवा के रूप में नियंत्रित करता है। अतः भारत ने उपर्युक्त दोनों (नी इंप्लांट और स्टेंट) से कीमत नियंत्रण के हटाने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है।

जीएसपी से विकासशील व पिछड़े देशों को लाभ

- जीएसपी सूची में शामिल वस्तुओं पर विकसित देश न्यून मात्रा में आयात शुल्क अधिरोपित करते हैं, इसलिए विकासशील देशों की वस्तुएँ विकसित देशों की बाजार में अपेक्षाकृत सस्ती व प्रतिस्पर्द्धात्मक (Competitive) हो जाती हैं। फलस्वरूप विकसित देशों के निर्यात में वृद्धि होती है।
- विकासशील व पिछड़े देशों का निर्यात बढ़ने से वहाँ उत्पादन गतिविधियाँ बढ़ती हैं, जिससे रोजगार का सृजन होता है।
- विकासशील देशों के निर्यात बढ़ने से उनका विदेशी मुद्रा भण्डार (Foreign Exchange Reserve) भी बढ़ता है।
- विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में मजबूती आती है।
- अर्थव्यवस्था में मजबूती आने से सामाजिक स्थायित्व भी आता है तथा गतिशील समाज का निर्माण होता है।

जीएसपी से विकसित देशों को लाभ

- उच्च तकनीकों से युक्त विकसित देश, विकासशील देशों से आने वाले माल का मूल्य संवर्द्धन करके पुनः अन्य देशों को निर्यात करके भारी मुनाफा कमाते हैं।
- जब विकासशील देशों से सस्ता माल आता है तो उसकी टक्कर लेने हेतु विकसित देशों की कम्पनियों को काफी मशक्कत करनी होती है, जिससे वहाँ के बाजार में प्रतिस्पर्द्धा का जन्म होता है। उल्लेखनीय है कि प्रतिस्पर्द्धा, क्षमताओं के विकास में सहायक होती है और आम उपभोक्ता के लिए फलदायी होती है।

अमेरिका का नजरिया

डोनाल्ड ट्रम्प ने जब से अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यभार सम्भाला है, तभी से वह विभिन्न देशों पर व्यापार घाटा को लेकर तीखे आरोप लगा रहे हैं। अमेरिका का सबसे ज्यादा व्यापार घाटा चीन से है, इसलिए दोनों देशों के बीच पिछले कई दिनों से व्यापार युद्ध जारी है। कुछ विद्वान अमेरिकी राष्ट्रपति की नीतियों की काफी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि ट्रम्प की नीतियों से दुनिया में आर्थिक गतिविधियाँ मंद पड़ रही हैं। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते की भी सदस्यता त्याग दी है और चीन व भारत पर आरोप लगाया है कि ये देश अपने आर्थिक लाभों के लिए इस समझौते को अपने अनुसार अनुकूल बनाये रखे हैं।

जीएसपी दर्जा वापस लेने से भारत को नुकसान

अमेरिका को जितनी भी वस्तुएँ भारत निर्यात करता है, उनमें से बहुत कम वस्तुएँ ही जीएसपी की सूची में शामिल हैं अर्थात् भारत के निर्यात का बहुत कम हिस्सा ही जीएसपी के दायरे में आता है। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, भारत द्वारा जीएसपी के अन्तर्गत अमेरिका के लिए कुल निर्यात 5.6 बिलियन डॉलर है, जिससे लगभग 190 मिलियन डॉलर का ही मुनाफा होता है। इसीलिए कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि जीएसपी दर्जा को यदि अमेरिका, भारत से वापस भी ले लेगा तो भारत पर कुछ खास असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत की जो भी वस्तुएँ जीएसपी व्यवस्था के अन्तर्गत आती हैं, उनके निर्यात पर अवश्यम्भावी रूप से नकारात्मक असर पड़ेगा, जिसके फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में उत्पादन गतिविधियाँ मंद पड़ सकती हैं और रोजगार सृजन पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है।

अमेरिका के इस निर्णय से उभरने वाले मुद्दे

यदि अमेरिका ने भारत और अन्य विकासशील देशों से जीएसपी का दर्जा वापस ले लिया तो कई प्रकार के मुद्दे उभरकर सामने आयेंगे-

- अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यूएसटीआर (United States Trade Representative) द्वारा भारत से व्यापार के संदर्भ में उपलब्ध कराये गए तथ्यों में अस्पष्टता तथा सीमित सच्चाई है। यूएसटीआर का कहना है कि भारत, अमेरिका के उत्पादों के प्रति अपने आयात शुल्क को कम नहीं कर रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि भारत ने उदारीकरण के बाद अपने आयात शुल्कों में भारी कमी की है। भारत सरकार और विभिन्न वैश्विक संस्थाओं (यथा- विश्व व्यापार संगठन

आदि) की रिपोर्टों के अनुसार भारत में 1991 में टैरिफ दरें लगभग 150% थीं जबकि ये 2007-08 में घटकर औसत रूप से लगभग 13 प्रतिशत ही रह गई हैं।

- अमेरिका और अन्य विकसित देश स्वेच्छा से जीएसपी व्यवस्था को गरीब देशों की मदद करने हेतु लाये थे, किन्तु अब ये विकसित देश इन गरीब देशों को स्वयं की मार्केट को खोलने हेतु दबाव बना रहे हैं, जो नैतिक रूप से गलत है।

विकसित और विकासशील देशों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

- विकसित देशों ने एक समय दुनिया के अधिकतर देशों को अपना उपनिवेश बनाया था और वहाँ के संसाधनों का दोहन अपने हित में किया था और अब वर्तमान में इसी प्रवृत्ति को नए रूप 'आर्थिक उपनिवेशवाद' में दोहराने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, जो मानवीयता व समानता के विरुद्ध है।
- औद्योगिक क्रांति के शुरूआती दिनों का फायदा उठाकर कुछ देशों (यथा- यूएसए, यूके एवं अन्य विकसित देश) ने अपने आपको विकसित देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर लिया, किन्तु अब जब अन्य देश की बारी है तो वह इसमें विभिन्न प्रकार के व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि औद्योगिक क्रांति का फल सभी को समान रूप से प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि इसके नकारात्मक प्रभावों (यथा- पर्यावरण प्रदूषण आदि) ने सभी को समान रूप से प्रभावित किया है।

- अमेरिका को भारत और चीन की एक साथ तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही देशों (चीन व भारत) की परिस्थितियाँ काफी भिन्न हैं, जैसे- चीन का अमेरिका के साथ व्यापार घाटा भारत की तुलना में 13 गुना से भी अधिक है।
- भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में पिछले कुछ सालों में काफी प्रगाढ़ता आई है और दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों (यथा- कॉमकासा एग्रीमेंट आदि) पर हस्ताक्षर किये हैं। इस स्थिति में भारत के खिलाफ अमेरिका यदि कोई बड़े कदम (यथा- जीएसपी दर्जा वापस लेना आदि) उठाता है तो दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास आ सकती है।

जीएसपी को वापस लेने से अमेरिका को हानि

विकासशील देशों से यदि अमेरिका जीएसपी का दर्जा वापस लेगा तो उसे भी कई प्रकार की हानियाँ उठानी होंगी। अभी अमेरिका की फूड प्रोसेसिंग कम्पनियाँ ब्राजील व भारत जैसे देशों से प्राप्त सस्ते माल का मूल्यवर्द्धन करके लाभ कमाती हैं, किन्तु जीएसपी की वापसी से वह इन लाभों से वंचित हो जायेंगी, क्योंकि वहाँ आने वाला माल महँगा हो जायेगा जिससे मूल्यवर्द्धित माल भी अपेक्षाकृत महँगा होगा। अतः अमेरिका के निर्यात पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त अमेरिका के बाजार में जीएसपी युक्त माल एक प्रतिस्पर्द्धा के वातावरण को जन्म देता है, लेकिन यदि जीएसपी व्यवस्था को खत्म किया गया तो यह प्रतिस्पर्द्धा का माहौल भी खत्म हो जायेगा। उल्लेखनीय है कि अमेरिका की वालमार्ट कम्पनी ट्रम्प सरकार के निर्णय का विरोध कर रही है।

उपर्युक्त के अलावा निम्न कारणों से भी भारत और अमेरिका के बीच गतिरोध उत्पन्न हुआ है-

- यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत, अमेरिका के उत्पादों को अपने बाजार में न्यायसंगत पहुँच प्रदान नहीं कर रहा है। उदाहरण के लिए अमेरिका की हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर भारत उच्च आयात शुल्क अधिरोपित करता है।
- यूएसटीआर का कहना है कि भारत और चीन जैसे देशों से अमेरिका का पिछले कई वर्षों से व्यापार घाटा बना हुआ है जिसे अमेरिका अब और नहीं वहन कर पायेगा।
- भारत का एक वृहद डायस्पोरा अमेरिका में रहता है, किन्तु अमेरिका सरकार की वीजा संबंधी अस्थायी नीतियाँ भारतीय डायस्पोरा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं।
- अमेरिका की सेनेटरी और फाइटोसेनेटरी (Santiary and Phytosanitary) शर्तें भारत के कृषि आधारित उत्पादों के निर्यात को प्रभावित करती हैं।
- भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) से संबंधित कानूनों एवं उन्हें क्रियान्वित करने को लेकर अकसर अमेरिका अपनी चिंताएँ जाहिर करता है। उल्लेखनीय है कि भारत पेटेंट के एवरग्रीनिंग पर कड़ा रुख अख्तियार करता है। अमेरिका ने भारत को आईपीआर की निगरानी सूची 'स्पेशल 301' में डाल रखा है।

भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक स्थिति

- भारत के लिए अमेरिका, यूरोपीय संघ (17%) के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश (लगभग 16%) है। इसी प्रकार भारत, चीन (17%) और यूरोपीय संघ (10%) के बाद सबसे ज्यादा अमेरिका (6%) से आयात करता है।
- भारत और अमेरिका के बीच वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 74.5 बिलियन डॉलर था, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 15.5% अधिक है।
- भारत, अमेरिका को निर्यात अपेक्षाकृत अधिक (आयात की तुलना में) करता है।

भारत के पास विकल्प

भारत, अमेरिकी सरकार के फैसले के विपरीत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में जा सकता है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के नियम कहते हैं कि कोई भी देश अन्य सभी देशों के साथ समान व्यवहार करेगा, जबकि वर्तमान में अमेरिका ने जीएसपी का दर्जा कई विकासशील देशों को दिया हुआ है किन्तु भारत पर वह इसको लेकर अनुचित दबाव बना रहा है। कुछ विद्वान भारत द्वारा डब्ल्यूटीओ में मुकदमा ले जाने के पक्ष में नहीं है क्योंकि अमेरिका डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटाने वाले तंत्र (WTO Dispute Settlement Mechanism) में नई नियुक्तियाँ नहीं होने दे रहा है और कई तरह से डब्ल्यूटीओ को कमजोर करने में लगा हुआ है। इसके अलावा, भारत के पास यह भी विकल्प है कि अमेरिकी सरकार के निर्णय के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करे और अमेरिका से आने वाली वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाये। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह भी कोई उपयुक्त विकल्प नहीं है क्योंकि भारत, अमेरिका को निर्यात ज्यादा करता है (आयात की तुलना में)। इसके अतिरिक्त अमेरिका एक बड़ी अर्थव्यवस्था है जिस पर भारत के प्रतिकार कोई खास असर नहीं पड़ेगा।

उपर्युक्त कथनों के अलावा भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित उपायों पर भी विचार किया जा सकता है-

- जीएसपी से प्रभावित क्षेत्र के लिए सरकार विशेष आर्थिक सहायता पैकेज प्रदान कर सकती है।
- निर्यात को बढ़ाने हेतु करों में छूट प्रदान करना व विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) का निर्माण करके आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना।
- सरकार को अपने उत्पादों की गुणवत्ता को

बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके लिए अनुसंधान और विकास (आर.एण्ड.डी.) पर बल दिया जाना चाहिए।

- निर्यात के लिए अमेरिका के अतिरिक्त अन्य बाजारों में विकल्प की तलाश करनी चाहिए।

आगे की राह

ट्रम्प की घोषणा के बाद भी अभी वर्तमान व्यवस्था भारत के लिए 60 दिन तक जारी रहेगी, अत: भारत सरकार को चाहिए कि अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों के साथ बातचीत के दौर को तेज किया जाये और द्विपक्षीय स्तर पर सभी तरह के मतभेदों को हल करके ऐसे तंत्र को स्थापित किया जाये, जिससे कि दोनों देश समान रूप से लाभान्वित हो सकें।

भारत और अमेरिका दोनों ही आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों को वरीयता देते हैं तथा दोनों के बीच व्यापार की असीम सम्भावनाएँ हैं, जिन्हें तलाश करने और अमल में लाने की जरूरत है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- भारत के हितों, भारतीय डायसपोरा पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।

■

7. ब्लॉकचेन तकनीक : संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ

चर्चा का कारण

हाल ही में अमेरिका के कानूनविदों ने राज्यों में जल अधिकार प्रबंधन में ब्लॉकचेन तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया है। उनका कहना है कि इस तकनीक से पानी का समुचित दोहन व उसकी निगरानी की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि तेलंगाना सरकार ने 2018 में हैदराबाद को भारत का प्रथम ब्लॉकचेन जिला घोषित किया था। इसके अतिरिक्त एसबीआई (SBI) दूसरे प्रमुख बैंकों के साथ ब्लॉकचेन तकनीक की संभावनाओं पर भी काम कर रही है।

पृष्ठभूमि

क्रिप्टोग्राफी की सुरक्षित शृंखला पर पहला काम 1991 में स्टुअर्ट हैबर व डब्ल्यू. स्कॉट रूटोर्नेटा ने किया। 1992 में बायर, हेबर और स्टोर्नेटा ने इसके डिजाइन में सुधार किया। ब्लॉकचेन में कई ब्लॉकों को एक ब्लॉक में एकत्रित करने की अनुमति दी जा सकती है। पहली ब्लॉकचेन को 2008 में सतोशी नाकामोतो नामक किसी व्यक्ति या समूह ने क्रिप्टोकरेंसी के लिए इस्तेमाल किया था। वर्ष 2016 में रूसी संघ की केन्द्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी ने ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर आधारित एक पायलट परियोजना की घोषणा की थी, जिसके अनुसार ब्लॉकचेन का इस्तेमाल स्वचालित मतदान प्रणाली के लिए किया जा सकता है।

ब्लॉकचेन तकनीक

पिछले कुछ वर्षों में इंटरनेट की मदद से सूचना प्रसार तथा डेटा के हस्तांतरण में तेजी आयी है। ब्लॉकचेन भविष्य की ऐसी तकनीक है जो एक सुरक्षित एवं आसानी से सुलभ नेटवर्क पर लेन-देन का एक विकेंद्रीकृत डाटाबेस तैयार करती है। लेन-देन के इस साझा रिकॉर्ड को नेटवर्क पर स्थित कोई भी व्यक्ति देख सकता है। वास्तव में ब्लॉकचेन डाटा ब्लॉकों की एक शृंखला होती है तथा प्रत्येक ब्लॉक में लेन-देन का एक समूह समाविष्ट होता है। ये ब्लॉक एक-दूसरे से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़े होते हैं तथा इन्हें कूट-लेखन के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस तकनीक की एक प्रमुख विशेषता इसका विकेंद्रीकृत होना है जिसका अर्थ यह है कि लेन-देन को पूरा करने के लिये इसमें किसी विश्वसनीय मध्यस्थ (जैसे-बैंक) की आवश्यकता नहीं होती। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम एवं सबसे बड़ा उदाहरण बिटकॉइन नेटवर्क है। यह तकनीक सुरक्षित है और इसे हैक करना मुश्किल है। साइबर अपराध और हैकिंग को रोकने के लिये यह तकनीक सुरक्षित मानी जा रही है।

ब्लॉकचेन तकनीक की कार्यप्रणाली

वर्तमान में दो लोगों के मध्य पैसों का स्थानान्तरण तीसरे पक्ष के माध्यम से ही होता है और ये तीसरे पक्ष जैसे बैंक, पेटीएम, मनी ट्रान्सफर आदि होती हैं और हमें इन लेन-देन के लिए सेवा शुल्क अधिक देना होता है, जबकि ब्लॉकचेन में तीसरे पक्ष की आवश्यकता नहीं होती है। ब्लॉकचेन तकनीक में किये गये ट्रांजेक्शन में बहुत कम समय लगता है। इसके अलावा ब्लॉकचेन पूर्ण रूप से सुरक्षित है। यह कभी भी हुए सभी डिजिटल ट्रांजेक्शन का ब्यौरा रखती है। साइबर क्राइम और हैकिंग को रोकने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक को फुलप्रूफ सिस्टम के तौर पर जाना जाता है।

ब्लॉकचेन वितरित डाटा बेस होती है। इसमें लगातार कई रिकॉर्ड्स को संधारित किया जाता है जिन्हें ब्लॉक कहते हैं। इनमें प्रत्येक ब्लॉक अपने पूर्व के ब्लॉक से लिंक रहता है। इस तकनीक में हजारों कंप्यूटर पर इन्क्रिप्टेड अथवा गुप्त रूप से डाटा सुरक्षित रहता है, इसे पब्लिक लेजर भी कहते हैं। इसे हैक करने के लिए सभी हजारों कंप्यूटर में एक साथ साइबर अटैक करना होगा जो कि नामुमकिन है। ब्लॉकचेन डिजिटल करेंसी बिटकॉइन पर आधारित है। बिटकॉइन मुद्रा विकेंद्रित क्रिप्टोकरेंसी होती है, जिसे कभी भी कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह मुद्रा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। बिटकॉइन पर किसी व्यक्ति, सरकार या कम्पनी का स्वामित्व नहीं होता है। इस कारण कभी किसी तरह की बेईमानी होती है तो उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती क्योंकि यह सरकार के नियंत्रण में नहीं है और सुरक्षित होने के कारण ड्रग्स स्मगलिंग आदि आपराधिक कार्यों में इसका दुरुपयोग बढ़ रहा है। हालांकि भारत में इसका उपयोग गैरकानूनी है।

भारत में ब्लॉकचेन तकनीक की स्थिति

भारत में एक अंतर-मंत्रिस्तरीय समिति इसे विनियमित करने के लिये विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है। इसे बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के भुगतान विनियामक बोर्ड के तहत लाने पर विचार किया जा रहा है। इस बोर्ड में केंद्रीय बैंक और केंद्र सरकार से प्रत्येक के तीन सदस्य होंगे। हालाँकि अभी तक इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा सके हैं।

कई कंपनियों ने सुरक्षित लेन-देन के लिए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। भारत में इसे लेकर बहुत संभावनाएँ और क्षमताएँ हैं। तकनीक से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में यह क्षमता है कि वह ब्लॉकचेन क्रांति का अगुआ बन सकता है। गौरतलब है कि बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एचएसबीसी (HSBC) और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने अपने वित्तीय लेन-देन के लिए 'ब्लॉकचेन' तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया था। 'ब्लॉकचेन' के आने से कारोबारी लेन-देन में कागजों का झंझट खत्म हो गया और यह तरीका बेहद सुरक्षित माना जा रहा है। ब्लॉकचेन न केवल सुरक्षित लेन-देन का साधन बनकर

उभर रहा है, बल्कि यह नया क्षेत्र बंपर नौकरियाँ भी लेकर आ रहा है। ज्ञातव्य है कि 2016 में विमुद्रीकरण के बाद से डिजिटल लेन-देन में भारी वृद्धि हुई है और ऐसा अनुमान है कि 2020 तक ये गत वर्ष की तुलना में 10 गुना बढ़ जाएंगे। सन् 2022 तक मोबाइल वॉलेट मार्केट की कुल वृद्धि दर 148 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। भारत में बढ़ते डिजिटल उपयोग को देखते हुए सरकार ने ब्लॉकचेन की महत्ता को समझ लिया है। इसी संदर्भ में आंध्रप्रदेश सरकार ने पहला ब्लॉकचेन सेंटर बनाने की पहल की है। इसके लिए स्टार्टअप और विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और राजस्थान भी इस दिशा में कदम उठा रहे हैं।

वैश्विक स्थिति

अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन जैसे विकसित देशों ने सार्वजनिक क्षेत्र में ब्लॉकचेन तकनीक को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसके अलावा दुबई ने घोषणा की थी कि वह ब्लॉकचेन तकनीक को सभी सरकारी लेन-देन में लागू करने के लिए प्रयास कर रही है। कुछ अन्य देश स्मार्ट सिटी और परिवहन जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों में ब्लॉकचेन का उपयोग किये जाने की संभावनाओं को तलाश रहे हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में ब्लॉकचेन से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि एक बार क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे रिकॉर्ड हो जाने के बाद दवा कंपनियाँ उनमें छेड़छाड़ नहीं कर सकेंगी। दवा उद्योग में, जहाँ नकली दवाइयों की बड़ी समस्या है वहाँ प्रामाणिक और पता लगाने योग्य रिकॉर्ड बनाने के लिए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल बहुत आकर्षक है। आईबीएम, अमेजॉन, फोर्ड, बीएमडब्ल्यू, नेस्ले, फाइजर और वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनियाँ अपनी सप्लाई चेन सुधारने के लिए ब्लॉकचेन के इस्तेमाल की संभावनाओं का पता लगा रही हैं।

ब्लॉकचेन तकनीक के अनुप्रयोग

क्रिप्टोकरेंसी और वित्तीय लेन-देन के अलावा ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल कानूनी कागजात, स्वास्थ्य आँकड़ों, नोटरी और निजी दस्तावेज आदि को सुरक्षित रखने में भी किया जा सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल सब्सिडी वितरण, भू-रिकॉर्ड नियमन और सरकारी योजनाओं पर हिसाब-किताब रखने में भी किया जा सकता है।

इस तकनीक का उपयोग क्लाउडेड स्टोरेज, डिजिटल पहचान, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिजिटल मतदान में भी किया जा सकता है। कई ऐसी योजनाएँ जो ढाँचागत कमियों, उच्च लागत, केन्द्रीयकरण और धीमे नेटवर्क की वजह से अभी तक कारगर नहीं मानी जाती थीं, ब्लॉकचेन तकनीक ने उन्हें काफी हद तक आसान बना दिया है।

दुनिया में कई जगह वाणिज्य संपत्तियों को किराये पर देने के लिए प्रॉपर्टी डीलर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लाउड होस्टिंग प्लेटफॉर्म में इसका इस्तेमाल शैक्षणिक जानकारियों के लिए किया जा रहा है। इसके जरिये अमेरिका जैसे देशों में छात्रों, अध्यापकों और कंपनियों को पारदर्शी और सुरक्षित प्लेटफॉर्म मुहैया कराये जा रहे हैं। वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी कंपनियाँ ब्लॉकचेन तकनीक से जुड़े तमाम काम-काज में तेजी से अपना प्रसार कर रही हैं। वित्तीय कंपनियाँ वित्तीय सेवाओं के लिए ब्लॉकचेन और एप की सहायता ले रही हैं। ये कंपनियाँ इसके जरिये ऋण देने से लेकर बीमा तक मुहैया करा रही हैं। दरअसल विकेन्द्रीकरण और पारदर्शिता की वजह से ब्लॉकचेन तकनीक काफी कारगर साबित हो रही है। लेकिन जहाँ निजी सूचना का मामला और जानकारियाँ सार्वजनिक होने पर नुकसान का डर हो, वहाँ इनका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। फिर भी पारदर्शिता बढ़ाने एवं साफ सुथरे लेन-देन और लेन-देन का इतिहास जानने के नजरिए से ये बेहद शानदार हैं। ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल निम्नलिखित क्षेत्रों में भी किया जा सकता है-

- ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर किसान से लेकर उपभोक्ता तक विश्वसनीय सूचनाएँ पहुँचा कर विपणन तंत्र को सक्षम किया जा सकता है। इससे खाद्य आधारित मूल्य श्रृंखलाओं में पारदर्शिता बढ़ सकती है और जटिलताएँ कम हो सकती हैं।
- ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग डेटा को संशोधित करने तथा नेटवर्क, डेटा केन्द्रों एवं हार्डवेयर उपकरणों जैसे कई उपकरण संसाधनों तक पहुँच को विकेंद्रित करने के लिए किया जा सकता है।
- ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग पारदर्शिता बढ़ाने तथा भ्रष्टाचार की जाँच में भी किया जा सकता है।
- पेयजल की आपूर्ति की निगरानी करने के लिए स्मार्ट ट्रैकिंग मीटर का उपयोग किया जा सकता है। ब्लॉकचेन द्वारा व्यापार अनुबंधों का आसानी से सत्यापन किया जा सकता है जो जल आपूर्ति प्रबंधन को स्वचालित करने में मदद कर सकते हैं।
- वातावरण में कार्बन का उत्सर्जन करने वाली कंपनियों द्वारा उत्सर्जित गैसों की मात्रा का आकलन करने के लिए ब्लॉकचेन आधारित प्रबंधन प्रणाली बनायी गई है जो समय-समय पर ब्लॉकचेन नेटवर्क पर उन्हें रिकॉर्ड करती हैं।
- ब्लॉकचेन तकनीक क्रिप्टोग्राफी की मदद से न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य को सुरक्षित रख सकता है तथा उसकी गोपनीयता को भी बरकरार रखा जा सकता है। इससे न्यायालय में साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की घटना को रोकने में मदद मिल सकती है।

चुनौतियाँ

- ब्लॉकचेन के सामने कुछ कठिनाइयाँ भी हैं। इससे जुड़े लेन-देन के लिए बड़ी मात्रा में कम्प्यूटिंग पावर और ऊर्जा की जरूरत है, जबकि इसके मौजूदा नेटवर्क एक दिन में सीमित लेन-देन ही कर सकते हैं।
- ब्लॉकचेन की कानूनी स्थिति भी अभी अस्पष्ट है, क्योंकि नियामक कानून अभी इसे मान्यता नहीं दे रहे हैं।
- ब्लॉकचेन यह गारंटी भी नहीं देते कि जो सूचनाएँ उनमें दर्ज की गई हैं, वे सटीक हैं। इसकी जगह वे यह दिखाते हैं कि सूचनाओं के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। ऐसे में उनको बनाते समय ही झूठी सूचनाएँ दर्ज करने की संभावना रहती है।
- दुनियाभर में तकनीक के दम पर वित्तीय कारोबार तेजी से डिजिटल हुए हैं, लेकिन भारत में इसकी रफ्तार धीमी है। इसकी कई सुरक्षात्मक वजहें हैं और साथ ही जरूरी कानूनों की कमी भी है।
- डिजिटल लेन-देन बढ़ने के साथ ही देश में अवैध शुल्क वसूली और अतिरिक्त शुल्क, धनराशि गायब होने आदि की शिकायतें भी बढ़ी हैं। इसके अतिरिक्त नागरिक सूचनाओं की चोरी, साइबर उत्पीड़न, औद्योगिक जासूसी, फ्रॉड भुगतान और गैर कानूनी लेन-देन के मामले भी बढ़े हैं।
- ई-वॉलेट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ हैं, इसलिए उन पर बैंकों के नियम लागू नहीं

होते और वित्तीय क्षेत्र की तकनीकी कंपनियाँ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के दायरे में हैं, जाहिर है किसी भी अनियमितता से निपटने के लिए कानून का बुनियादी ढाँचा नदारद है।

- मौजूदा कानूनी तंत्र पर नजर डालें तो साइबर कानून के दायरे में कम्प्यूटर, इंटरनेट और साइबर स्पेस आते हैं। इससे निपटने के लिए सन् 2000 में आईटी एक्ट बनाया गया। इसके जरिये भारतीय दण्ड संहिता, 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, बैंकिंग साक्ष्य कानून, 1891 और रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में भी जरूरी बदलाव किये गए हैं। किन्तु तकनीक की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव आ चुके हैं और ये सब कानून नाकाफी हैं।
- बैंक के डिजिटल लेन-देन कई वजहों से गलत हो सकते हैं, इनमें से अधिकांश मामलों में ग्राहक की कोई गलती नहीं होती है। डेबिट कार्ड और बैंक खाते का हैक होना कोई नहीं बात नहीं है। इसके अलावा गलत कैश ट्रांसफर और ट्रांजेक्शन हुए बिना पैसे कट जाने के मामले भी हैं। इन सभी मामलों में कैश ट्रेल (Cash Trail) यानी भुगतान के रिकॉर्ड की सही जाँच या चोरी पकड़ पाना आसान नहीं है।

आगे की राह

दो दशक पहले तक हम वित्तीय लेन-देन में सिर्फ नकदी का ही इस्तेमाल करते थे, किन्तु जैसे-जैसे वित्तीय सेवाओं का स्वरूप बदला लेन-देन के तौर तरीकों में भी क्रांतिकारी बदलाव हुए। इंटरनेट की सुपर कनेक्टिविटी ने वित्तीय सेवाओं में नई तकनीक के इस्तेमाल के नये अवसर खोले और दुनिया के तमाम देशों के साथ-साथ भारत ने भी कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने की ओर कदम बढ़ा दिए। अगर भारत सरकार ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों पर अमल करती है तो इससे सरकारी योजनाओं का प्रसार बिना भ्रष्टाचार और बिचौलियों के आम लोगों तक पहुँचाने में मदद मिलेगी। हालांकि भारत में इस पर अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है, किन्तु वर्तमान समय की माँग है कि इस तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाया जाए। इसके अतिरिक्त इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि बिटकॉइन जैसे ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को रैनसमवेयर हमलों का सामना करना पड़ सकता है। अतः इसका विनियमन बड़ी सावधानी से करने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव।
- सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कम्प्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टैक्नोलॉजी, बायो-टैक्नोलॉजी और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

मृत्युदंड : उचित या अनुचित

प्र. किसी भी सभ्य समाज में मृत्युदंड का प्रावधान कितना उचित है? क्या यह जघन्य अपराधों के न्यूनीकरण में अपनी प्रासंगिकता सिद्ध कर पा रहा है? विश्लेषण कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- मृत्युदंड के पक्ष में तर्क
- मृत्युदंड के विपक्ष में तर्क
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने घुमंतू जनजाति (Nomadic Tribe) के तीन लोगों को जिन्हें मृत्युदंड की सजा मिली हुई थी, उसे रद्द कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि इन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सुबूत नहीं हैं, इस प्रकार बहस का एक नया मुद्दा प्रकाश में आ गया है कि क्या भारत में मृत्युदंड देना प्रासंगिक है अथवा नहीं।

परिचय

- सन् 2003 में महाराष्ट्र के बोखरधन कस्बे में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या व एक 15 साल की लड़की की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गयी थी। पुलिस ने इस जघन्य अपराध के लिए महाराष्ट्र की घुमंतू जनजाति के 6 लोगों को गिरफ्तार किया।
- इसके बाद सेशन कोर्ट ने इन सभी 6 लोगों को मृत्युदंड दिया और फिर हाई कोर्ट ने इन 6 लोगों में से 3 लोगों की सजा को मृत्युदंड में ही बरकरार रखा परंतु 3 लोगों की सजा को कुछ कम करके उम्रकैद में तब्दील कर दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले पर सन् 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2009 के सुनाए गए निर्णय के संबंध में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने पूर्व के निर्णय (2009) को पलट दिया।

मृत्युदंड के पक्ष में तर्क

- भारत में मृत्युदंड जैसी कठोर सजा का बना रहना आवश्यक समझा जाता है। दक्षिण एशिया में भारत के पड़ोसी देश भारत को अस्थिर करने के लगातार प्रयास करते रहते हैं। पाकिस्तान की आतंकवाद समर्थन की नीति भारत की आंतरिक व बाह्य दोनों सुरक्षा को खतरे में डालती है। इसीलिए विधि आयोग ने भी भारत में मृत्युदंड बने रहने का समर्थन किया है।

मृत्युदंड के विपक्ष में तर्क

- किसी भी सभ्य समाज में सजा/दण्ड का मुख्य उद्देश्य अपराधियों को सुधारने का होता है, इसलिए जब उन्हें मृत्युदंड सुनाया जाता है तो सजा/दण्ड का उपर्युक्त उद्देश्य पूरा नहीं होता है और अपराधी के सुधरने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं।

निष्कर्ष

- सरकार को मृत्युदंड के संबंध में एक उपयुक्त नीति बनानी होगी, ताकि ऐसे संवेदनशील मामलों में एकरूपता लाई जा सके। इसके अलावा, भारतीय न्यायिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ता प्रदान करनी होगी, जिससे कि त्वरित व त्रुटिपूर्ण निर्णय प्राप्त हो सकें। सरकार को जाँच एजेंसियों की भी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए ताकि कोई भी प्राधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके निर्दोष व्यक्ति को फँसा न सके। ■

जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का बढ़ता प्रभाव

प्र. भारत में गलत जीवन शैली से जुड़ी बीमारियाँ देश के शहरी क्षेत्रों के अलावा अब ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में भी फैल रही हैं। समीक्षा कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- गलत जीवन शैली के रोग व उनके कारण
- सरकारी प्रयास
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में जारी 'जीओक्यूआईआई' (GOQII) की नवीनतम रिपोर्ट 'India Fit Report' के अनुसार भारत की लगभग 57% जनसंख्या जो भारत के प्रमुख शहरों जैसे- दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई आदि में रहती है, मोटापे और अधिक वजन से ग्रसित हैं। मधुमेह से संबंधित मरीजों की संख्या 2017 में जहाँ 3.6% थी, वहीं 2018 में बढ़कर 5.1% हो गई है। कोलेस्ट्रॉल से संबंधित मरीजों की संख्या जहाँ 2017 में 5.2% थी, वहीं 2018 में बढ़कर 12.1% हो गई है। उच्च रक्त चाप से ग्रसित लोगों की संख्या जहाँ 2017 में 4.9% थी, वहीं 2018 में बढ़कर 9.4% हो गई है।

परिचय

- जीवन शैली से जुड़ी बिमारियाँ भारत में लगातार बढ़ती जा रही हैं।

ये वे पुरानी बिमारियाँ हैं, जिनको आसानी से रोका जा सकता था लेकिन अस्वास्थ्यकर विकल्पों के कारण ये बिमारियाँ लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। बदलते जीवन शैली और आहार विकल्पों में बदलाव के कारण मोटापा, टाइप 2 मधुमेह, उच्च रक्त चाप, डिस्लिपीडेमिया, स्लीप-एपनिया, ऑस्टियो ऑर्थराइटिस तथा कैंसर जैसी बिमारियाँ हाल के वर्षो में बढ़ी हैं। कुल रोगों में इन रोगों से मरने वालों की संख्या 42% से अधिक है।

गलत जीवन शैली के रोग व उनके कारण

- इस तरह के रोग काफी हद तक आपके जीवन शैली से संबंधित होते हैं- जैसे कि आप किस तरह से अपनी प्रतिदिन की जिंदगी जी रहे हैं। जब हम अपनी जिंदगी को लापरवाही के साथ जी रहे होते हैं, जैसे कि जंक फूड का सेवन, अल्कोहल का सेवन, सिगरेट या बीड़ी पीना और सबसे ऊपर आप किसी भी तरह का शारीरिक श्रम नहीं कर रहे होते हैं- यह सभी कारण जीवन शैली से संबंधित रोगों को उत्पन्न कर सकते हैं। जीवन शैली के रोगों में डायबिटीज, कैंसर, हृदयाघात, हृदय से संबंधित अन्य रोग आदि शामिल हैं।

सरकारी प्रयास

- नए क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों को मान्यता। इन केंद्रों को 5 करोड़ रुपए का एकबारगी अनुदान दिया जाता है।
- पहले से विद्यमान क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों को मजबूत बनाना। इन केंद्रों को 3 करोड़ रुपए का एकबारगी अनुदान दिया जाता है।
- ओंकोलॉजी विभाग की स्थापना के लिए सरकारी संस्थानों (मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों) को दिए जाने वाले अनुदान की राशि बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दी गई है।
- जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, इन्हें दिए जाने वाले अनुदान की रकम बढ़ाकर 90 लाख रुपए कर दी गई है जिसे 5 वर्षों में दिया जाएगा।
- विकेंद्रीकृत गैर-सरकारी संगठन स्कीम, सूचना, शिक्षा और संपर्क गतिविधियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को प्रति शिविर 8 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

चुनौतियाँ

- आधुनिक जीवन शैली से संबंधित रोगों के बढ़ने के पीछे चिकित्सा सुविधाओं की कमी, अल्प आय, गलत खान-पान, शिक्षा का अभाव, शारीरिक श्रम अथवा व्यायाम का अभाव जैसे प्रमुख कारण हैं।
- इसके साथ ही स्वास्थ्य के बारे में सामान्य जानकारी का अभाव भी जीवन शैली के रोगों के बढ़ने के पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि पढ़े-लिखे लोगों के मध्य भी इस तरह के रोग काफी तेजी से बढ़ रहे हैं।

आगे की राह

- योग/ध्यान जैसी गतिविधियों को अपनाने की जरूरत है।
- लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की जरूरत है।
- नियमित रूप से हरी सब्जियाँ, ताजे फल, मोटे अनाज तथा डेयरी उत्पादों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- अधिक मात्रा में तेल, भुने व्यंजन और फास्टफूड खाद्य पदार्थों से परहेज किया जाना चाहिए।
- सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में शारीरिक श्रम को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। ■

ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट बनाम सूचना का अधिकार

प्र. ''भारत का ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट, 1923 अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र का घोर विरोधी है।'' आप कहाँ तक सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट के प्रमुख प्रावधान
- ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट के उल्लंघन के मामले
- इस परिप्रेक्ष्य में विभिन्न समितियों की राय
- ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट (ओएसए) का विश्लेषण
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय खण्डपीठ ने राफेल डील से जुड़ी गुप्त दस्तावेजों की चोरी और प्रकाशन से संबंधित मामलों पर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा था कि राफेल से संबंधित कागजात सार्वजनिक हो गये हैं और उन्हीं दस्तावेजों को आधार बनाकर याचिका लगाई गई हैं। ध्यातव्य है कि अंग्रेजी अखबार द हिंदू में राफेल से जुड़े विषयों को सार्वजनिक किया गया था, जिसके बाद सरकार और मीडिया संस्थानों के बीच टकराव बढ़ा है।

परिचय

- अंग्रेजों ने 1889 में इंडियन ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट (Act XIV) नाम से कानून बनाया था। इसका मुख्य उद्देश्य उस दौरान देश में छपने वाले अखबारों की आवाज को दबाना था, क्योंकि अखबार लगातार लोगों के भीतर राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा दे रहे थे और यह अंग्रेजी राज के लिए खतरा बन रहा था। उस दौर में ब्रिटिश हुकूमत ने इस कानून की मदद से विभिन्न भाषा में छपने वाले कई अखबारों का गला घोंट दिया और कई संपादकों को जेल में बंद कर दिया।

ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट के प्रमुख प्रावधान

- यदि कोई व्यक्ति किसी गुप्त जानकारी को एकत्र, रिकॉर्ड, प्रकाशित या कोई गुप्त कोड या पासवर्ड, स्केच, योजना, मॉडल, आलेख या नोट या अन्य दस्तावेज को किसी ऐसे व्यक्ति को भेजता है जिससे कि देश की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करने की संभावना से संबंधित है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- यदि भारत सरकार या राज्य सरकार का कोई कर्मचारी जिसको सरकार की ओर से कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया गया हो और वह अपने पद या ऑफिस से संबंधित जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करता है जिसके साथ उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं है, तो वह अपराधी माना जायेगा।

ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट के उल्लंघन के मामले

- 1985 में इस कानून का इस्तेमाल सर्वप्रथम कोमार नारायण (Coomar Narain) जासूसी केस में किया गया तथा 2002 में उन 12 सदस्यों को 10 साल की सजा सुनाई गई जो प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति भवन में कार्यरत थे। इन लोगों को दूसरे देशों को गोपनीय दस्तावेज साझा करने का दोषी पाया गया। इसके अलावा एक और मामला सामने आया, जिसमें इसरो में जासूसी की बात सामने आई। इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायण (Nambi Narayan) को भी ओएसए के तहत ट्रायल से गुजरना पड़ा।

इस परिप्रेक्ष्य में विभिन्न समितियों की राय

- 1952 में न्यायमूर्ति जे.एस. राजाध्यक्ष (J.S. Rajadhyaksha) की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रेस आयोग ने पहली बार अपने अध्ययन रिपोर्ट में शासकीय गोपनीयता कानून-1923 को साम्राज्यवादी परिपाटी की कड़ी बताते हुए समाप्त करने की सिफारिश की थी, जिस पर तत्कालीन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। हालाँकि, 1963 में भारत सरकार ने शासकीय गोपनीयता कानून- 1923 में कुछ संशोधन जरूर किया, जिससे लोकतंत्र के तीन स्तंभों (विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका) में से पहले और अंतिम स्तंभों को गोपनीयता के बंधन से मुक्त कर दिया, लेकिन दूसरे स्तंभ- कार्यपालिका को मुक्ति नहीं मिली।

ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट (ओएसए) का विश्लेषण

- ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी औपनिवेशिक सत्ता को किसी भी दशा में बनाये रखने तथा अपने कारनामों को छुपाने के लिए 1923 में शासकीय गोपनीयता कानून (ओएसए) को प्रभावी तरीके से लागू किया। यह कानून मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है, पहला जासूसी और दूसरा गुप्तचरी से सम्बन्धित है। इस अधिनियम की धारा- 3 के अंतर्गत जासूसी तथा धारा- 5 के अंतर्गत गुप्तचरी (जिसे सरकार गुप्त मानती है) का प्रावधान किया गया है।

आगे की राह

- यह कानून अंग्रेजों के समय 1923 में बनाया गया था, इसलिए बदलते परिप्रेक्ष्य में इसमें परिवर्तन करना जरूरी हो गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस कानून के प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए जुलाई 2017 में कैबिनेट सचिवालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा और आधिकारिक गोपनीयता के नाम पर मनमाने ढंग से संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जानने के अधिकार को दबाने से बचना होगा, ताकि भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का उचित रीति से परिरक्षण किया जा सके। ■

इस्लामिक सहयोग संगठन और भारत का दृष्टिकोण

प्र. हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन की 46वीं बैठक अबुधाबी में संपन्न हुई जिसमें भारत को 'गेस्ट ऑफ ऑनर' के रूप में आमंत्रित किया गया था। इस संदर्भ में क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत को इस संगठन में शामिल होना चाहिए? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- ओआईसी के उद्देश्य
- इस्लामिक सहयोग संगठन और भारत
- भारत का महत्त्व क्यों
- लाभ
- ओआईसी के भीतर राजनीति
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन (Organisation of Islamic Cooperation) के विदेश मंत्रियों की परिषद का 46वाँ सत्र का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबुधाबी में किया गया। भारत की तरफ से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस बैठक में भाग लिया।

परिचय

- ओआईसी इस्लामिक देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 25 सितंबर, 1969 को मोरक्को के रबात में आयोजित शिखर सम्मेलन में की गई थी। इसका मुख्यालय सऊदी अरब के जेद्दा में स्थित है। इस संगठन में कुल 57 सदस्य देश हैं जिनका विस्तार 4 महाद्वीपों यथा अफ्रीका (27 देश), एशिया (25 देश), यूरोप (3 देश) तथा दक्षिण अमेरिका (2 देश) तक है।

ओआईसी के उद्देश्य

- ओआईसी अपने सदस्य देशों के मध्य, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इस्लामिक एकजुटता को प्रोत्साहन देता है।
- यह संगठन किसी भी रूप में विद्यमान साम्राज्यवाद, नव-उपनिवेशवाद या उपनिवेशवाद की समाप्ति तथा जातीय अलगाव और भेदभाव की समाप्ति के लिए प्रयास करता है।

इस्लामिक सहयोग संगठन और भारत

- यह एक अच्छी खबर थी कि पहली बार इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआइसी) के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भारत की विदेश मंत्री विशेष निमंत्रण पर पहुँची थीं। वहाँ उन्होंने इस्लामिक देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। इस बैठक की खासियत यह थी कि एशिया की बदलती परिस्थितियों में मेजबान देश ने न तो भारत को नाराज किया और न ही पाकिस्तान को।

भारत का महत्त्व क्यों

- ओआईसी में सऊदी अरब एवं संयुक्त अरब अमीरात की अहम भूमिका रही है। इसके पीछे कई कारण हैं- दोनों देश निश्चित तौर पर पाकिस्तान को नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर दोनों देश चिंतित हैं।

लाभ

- चूँकि भारत ओआईसी का सदस्य नहीं है इसलिए भारत की अनुपस्थिति

का लाभ उठाकर पाकिस्तान किसी तरह के प्रस्ताव को पारित करा लेता है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण कश्मीर मुद्दा है। इस प्रकार देखा जाए तो भारत अगर इस संगठन का सदस्य होगा तो पाकिस्तान अपनी मर्जी का प्रस्ताव पारित नहीं करा पाएगा, साथ ही आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर भारत और दबाव बना पायेगा।

ओआईसी के भीतर राजनीति

- सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात का जोरदार विरोध कतर से है। ईरान और सऊदी अरब के बीच जंग जगजाहिर है। दोनों देश यमन में एक-दूसरे के सामने सैन्य टकराव की स्थिति में हैं, साथ ही दोनों के बीच शिया-सुन्नी विवाद भी तनाव का बड़ा कारण है।

आगे की राह

- वर्तमान में भारत के द्वारा ओआईसी के सदस्य देशों की अनदेखी नहीं की जा सकती, जिनमें से अधिकांश के साथ भारत के आर्थिक हित विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। ऐसे में भारत को बेहद सावधानीपूर्वक और बेहतर कूटनीतिक संबंध स्थापित करना होगा। ■

स्टॉक एक्सचेंज और अर्थव्यवस्था : एक विश्लेषण

प्र. स्टॉक एक्सचेंज की अर्थव्यवस्था में भूमिका और सीमाओं को स्पष्ट करने के साथ-साथ यह भी बताएँ कि इसके उतार-चढ़ाव से किस प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं?

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- स्टॉक एक्सचेंज की भूमिका
- स्टॉक एक्सचेंज की सीमाएँ
- स्टॉक एक्सचेंज में उतार-चढ़ाव के कारण
- स्टॉक एक्सचेंज के उतार-चढ़ाव का प्रभाव
- सुझाव

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव से दोनों देशों के स्टॉक एक्सचेंज के संवेदी सूचकांकों में गिरावट देखने को मिली। ज्ञातव्य है कि अकसर स्टॉक एक्सचेंज के संवेदी सूचकांक के उतार-चढ़ाव के बारे में खबरें आती रहती हैं।

पृष्ठभूमि

- किसी भी देश के आर्थिक विकास में वित्त बाजार (Financial Market) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह न केवल स्वतंत्र रूप से बचत और निवेश को बढ़ावा देता है, बल्कि बचतों को निवेश में परिवर्तित करके देश के पूँजी निर्माण, जीडीपी और रोजगार आदि में महत्वपूर्ण योगदान करता है। भारत में वित्त बाजार की संरचना को दो भागों में बाँटा जा सकता है- मुद्रा बाजार (Money Market) और पूँजी बाजार (Capital Market)।

स्टॉक एक्सचेंज की भूमिका

- स्टॉक एक्सचेंज अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर होता है। इस बात की पुष्टि ब्रोकरेज फर्म 'क्रेडिट सुइस' (Credit Suisse) की एक रिपोर्ट से भी होती है।
- विभिन्न प्रकार के बिजनेस के लिए पूँजी का प्रबंध करना।

स्टॉक एक्सचेंज की सीमाएँ

- कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक किसी भी अर्थव्यवस्था का वास्तविक पैमाना नहीं होता है। इससे किसी क्षेत्र विशेष की व्यष्टि/सूक्ष्म अर्थव्यवस्था (Mirco Economy) के बारे में ही जाना जा सकता है। संवेदी सूचकांक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की समष्टि (Macro) गतिविधियों के बारे में स्थितियाँ स्पष्ट नहीं कर पाता है।

स्टॉक एक्सचेंज में उतार-चढ़ाव के कारण

- आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा (ब्याज दरों में कमी या वृद्धि), सरकार की राजकोषीय नीति, वाणिज्य नीति, औद्योगिक नीति, कृषि नीति आदि में किसी भी तरह के बदलाव की वजह से इन क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियों के शेयरों के भाव में उतार-चढ़ाव होता है।

स्टॉक एक्सचेंज के उतार-चढ़ाव का प्रभाव

- स्टॉक एक्सचेंज उतार-चढ़ाव का मुख्य प्रभाव आर्थिक गतिविधियों पर पड़ता है। जब स्टॉक एक्सचेंज में बढ़ोतरी होती है तो अर्थव्यवस्था में निवेश की मात्रा में इजाफा होता है और उत्पादन की गतिविधियाँ बढ़ती हैं, जिससे नए रोजगारों का सृजन होता है और रोजगार युक्त समाज देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, राजनैतिक व प्रशासनिक आदि सभी पक्षों पर सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है।

सुझाव

- करारोपण तथा सार्वजनिक ऋण को अर्थव्यवस्था के अनुकूल बनाना।
- बैंक दर, रेपो रेट, नगद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) तथा सांविधिक तरलता अनुपात आदि में आवश्यकतानुसार बदलाव करना। ■

'जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंसेज' का भारत पर प्रभाव

प्र. जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंसेज (जीएसपी) क्या है? यदि अमेरिका द्वारा जीएसपी का दर्जा भारत से वापस ले लिया गया तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस तरह के प्रभाव पड़ेंगे? विश्लेषण कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- जीएसपी से विकासशील व पिछड़े देशों को लाभ
- जीएसपी दर्जा वापस लेने से भारत को नुकसान
- भारत के पास विकल्प

- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने काँग्रेस (अमेरिका की विधायिका) को पत्र लिखा है कि भारत से जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंसेज (Generalised System of Preferences -GSP) के दर्जे (Status) को वापस ले लिया जाये।

परिचय

- जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंसेज (जीएसपी) एक प्रकार का वरीयता/तरजीही टैरिफ सिस्टम है, इसको अमेरिका ने 'व्यापार अधिनियम, 1974' (Trade Act, 1974) के द्वारा 1976 में स्थापित किया था। इस व्यवस्था को लाने का उद्देश्य था कि दुनिया के गरीब देशों को अमेरिका के साथ व्यापार करने का अवसर प्रदान किया जाये ताकि वे अपनी अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ता प्रदान कर सकें।

जीएसपी से विकासशील व पिछड़े देशों को लाभ

- जीएसपी सूची में शामिल वस्तुओं पर विकसित देश न्यून मात्रा में आयात शुल्क अधिरोपित करते हैं, इसलिए विकासशील देशों की वस्तुएँ विकसित देशों की बाजार में अपेक्षाकृत सस्ती व प्रतिस्पर्द्धात्मक (Competitive) हो जाती हैं। फलस्वरूप विकसित देशों के निर्यात में वृद्धि होती है।

जीएसपी दर्जा वापस लेने से भारत को नुकसान

- अमेरिका को जितनी भी वस्तुएँ भारत निर्यात करता है, उनमें से बहुत कम वस्तुएँ ही जीएसपी की सूची में शामिल हैं अर्थात् भारत के निर्यात का बहुत कम हिस्सा ही जीएसपी के दायरे में आता है। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, भारत द्वारा जीएसपी के अन्तर्गत अमेरिका के लिए कुल निर्यात 5.6 बिलियन डॉलर है, जिससे लगभग 190 मिलियन डॉलर का ही मुनाफा होता है।

भारत के पास विकल्प

- भारत, अमेरिकी सरकार के फैसले के विपरीत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में जा सकता है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के नियम कहते हैं कि कोई भी देश अन्य सभी देशों के साथ समान व्यवहार करेगा, जबकि वर्तमान में अमेरिका ने जीएसपी का दर्जा कई विकासशील देशों को दिया हुआ है किन्तु भारत पर वह इसको लेकर अनुचित दबाव बना रहा है।

आगे की राह

- भारत और अमेरिका दोनों ही आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों को वरीयता देते हैं तथा दोनों के बीच व्यापार की असीम सम्भावनाएँ हैं, जिन्हें तलाश करने और अमल में लाने की जरूरत है। ■

ब्लॉकचेन तकनीक : संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ

प्र. भारत में ब्लॉकचेन तकनीक का प्रचार-प्रसार तेजी से हो रहा है। इस संदर्भ में बताएँ कि यह तकनीक किस प्रकार अर्थव्यवस्था, गवर्नेंस व डेटाबेस को वितरित करने की क्षमता रखती है? साथ ही इससे जुड़ी सुरक्षा चिंताओं की भी चर्चा करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- ब्लॉकचेन तकनीक
- भारत में ब्लॉकचेन तकनीक की स्थिति
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में अमेरिका के कानूनविदों ने राज्यों में जल अधिकार प्रबंधन में ब्लॉकचेन तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया है।

पृष्ठभूमि

- क्रिप्टोग्राफी की सुरक्षितशृंखला पर पहला काम 1991 में स्टुअर्ट हैबर व डब्ल्यू. स्कॉट रूटोर्नेटा ने किया। 1992 में बायर, हेबर और स्टोर्नेटा ने इसके डिजाइन में सुधार किया।

ब्लॉकचेन तकनीक

- ब्लॉकचेन भविष्य की ऐसी तकनीक है जो एक सुरक्षित एवं आसानी से सुलभ नेटवर्क पर लेन-देन का एक विकेंद्रीकृत डाटाबेस तैयार करती है।

भारत में ब्लॉकचेन तकनीक की स्थिति

- भारत में एक अंतर-मंत्रिस्तरीय समिति इसे विनियमित करने के लिये विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है। इसे बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के भुगतान विनियामक बोर्ड के तहत लाने पर विचार किया जा रहा है।

चुनौतियाँ

- ब्लॉकचेन के सामने कुछ कठिनाइयाँ भी हैं। इससे जुड़े लेन-देन के लिए बड़ी मात्रा में कम्प्यूटिंग पावर और ऊर्जा की जरूरत है, जबकि इसके मौजूदा नेटवर्क एक दिन में सीमित लेन-देन ही कर सकते हैं।
- ब्लॉकचेन की कानूनी स्थिति भी अभी अस्पष्ट है, क्योंकि नियामक कानून अभी इसे मान्यता नहीं दे रहे हैं।
- ब्लॉकचेन यह गारंटी भी नहीं देते कि जो सूचनाएँ उनमें दर्ज की गई हैं, वे सटीक हैं। इसकी जगह वे यह दिखाते हैं कि सूचनाओं के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। ऐसे में उनको बनाते समय ही झूठी सूचनाएँ दर्ज करने की संभावना रहती है।

आगे की राह

- अगर भारत सरकार ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों पर अमल करती है तो इससे सरकारी योजनाओं का प्रसार बिना भ्रष्टाचार और बिचौलियों के आम लोगों तक पहुँचाने में मदद मिलेगी। हालांकि भारत में इस पर अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है, किन्तु वर्तमान समय की माँग है कि इस तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाया जाए। ■

सात महत्वपूर्ण खबरें

1. केपलर 1658 बी

हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने केपलर अंतरिक्ष टेलिस्कोप के लॉन्च के 10 साल बाद उसके द्वारा पता लगाए गए पहले गैर सौरीय (सौरमंडल के बाहर स्थित) ग्रह के सच में मौजूद होने की पुष्टि हुई है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के अनुसंधानकर्ताओं ने बताया कि केपलर-1658 बी के तौर पर पहचाना जाने वाला यह बाहरी ग्रह विशाल गर्म बृहस्पति ग्रह के समान है जो हर 3.85 दिन में अपने ग्रह के ईर्द-गिर्द घूमता है। उन्होंने बताया कि सतह से यह ग्रह सूरज के व्यास से 60 गुणा ज्यादा बड़ा मालूम होता है। केपलर 2009 में लॉन्च किए जाने के बाद से पारगमन विधि के माध्यम से हजारों बाहरी ग्रहों की खोज कर चुका है। इस तरीके में किसी ग्रह के सामने से गुजरने के दौरान सितारे की चमक में आई मामूली कमी को दर्ज किया जाता है।

एस्ट्रोनॉमिकल पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक अन्य वस्तुएं इस तरीके की नकल कर सकती हैं इसलिए केपलर डेटा ग्रहों जैसे लगने वाली वस्तुओं की पहचान करता है लेकिन उन्हें सचमुच ग्रह साबित करने के लिए और अधिक विश्लेषण की जरूरत पड़ती है। केपलर द्वारा 2011 में खोजा गया पहला ग्रह होने के बावजूद केपलर-1658 बी की पुष्टि की राह बहुत मुश्किल भरी रही। अनुसंधानकर्ताओं का कहना है कि यह ग्रह सूर्य से तीन गुणा ज्यादा बड़ा एवं 50 प्रतिशत ज्यादा विशाल है। ■

2. सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन

हाल ही में सरकार ने घोषणा की है कि सेना में महिलाओं के लिए एक विशेष कैडर का निर्माण कर उन्हें कई क्षेत्रों में स्थायी कमीशन देने की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। महिलाओं की लड़ाकू भूमिका छोड़कर बाकी भूमिकाओं में स्थायी कमीशन दिया जायेगा। सेना की ओर से जारी सूचना में कहा गया कि साइबर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, सैन्य पुलिस कोर और सेवा चयन बोर्ड में विभिन्न पदों सहित कई क्षेत्रों में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने पर विचार किया जा रहा है।

इस समय सेना महिलाओं को केवल सेना शिक्षा कोर (एईसी) और न्यायाधीश महाधिवक्ता (जेएजी) विभाग में ही स्थायी कमीशन देती है। सेना में अधिकतर महिलाओं की भर्ती शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) अधिकारियों के रूप में होती है और उनका कार्यकाल अधिकतम 14

साल का होता है। वायुसेना में महिलाएं पहले ही लड़ाकू पायलट की भूमिका में आ चुकी हैं, जिसे सबसे महत्वपूर्ण स्थिति के तौर पर देखा जाता है जबकि सेना में महिलाएं अभी महत्वपूर्ण पदों पर नहीं दिखती हैं। महिलाओं को सेना में समान अवसर प्रदान करने के लिए वर्ष 2008-09 में नौसेना कंस्ट्रक्टर काडर तथा एजुकेशन ब्रांच की शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स बैच से सात महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिए जाने की स्वीकृति दी गई।

स्थायी कमीशन

सेना में स्थायी कमीशन का अर्थ है कि उक्त अधिकारी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक वह सेवानिवृत न हो जाये। स्थायी कमीशन के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे, राष्ट्रीय सेना अकादमी देहरादून अथवा ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी - गया को ज्वाइन करना होता है।

यहां से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ही सेना में स्थायी कमीशन मिलता है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से पास होने के उपरांत, सेना के कैडेट्स को उनके चयन के अनुसार भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून; नौसेना के कैडेट्स को भारतीय नौसेना अकादमी, एझिमाला और वायु सेना के कैडेट्स को वायु सेना अकादमी, हैदराबाद में भेज दिया जाता है। ■

3. नारी शक्ति पुरस्कार

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 08 मार्च 2019 को महिला सशक्तीकरण में विशेष योगदान करने के लिए 44 महिलाओं और संस्थानों को नारी शक्ति पुरस्कार 2018 प्रदान किये। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में देश में महिलाओं का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'नारी शक्ति पुरस्कार 2018' प्रदान किये गये।

यह पुरस्कार महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए महिलाओं और संस्थानों को दिया जाता है जिन्होंने महिला सशक्तीकरण और सामाजिक कल्याण में उल्लेखनीय योगदान किया हो. इस वर्ष इन पुरस्कारों के लिए लगभग एक हजार नामांकन में से 44 महिलाओं और संस्थानों का चयन किया गया है।

केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय महिला सशक्तीकरण और सामाजिक कल्याण के लिए अथक सेवा करने वाली महिलाओं और संस्थाओं को पुरस्कृत करता है। इस वर्ष नारी शक्ति पुरस्कार के लिए एक वन स्टॉप सेंटर और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बाल लिंग अनुपात सुधारने में उल्लेखनीय प्रगति दिखाने वाले एक राज्य को भी चुना गया है। वन स्टॉप सेंटर हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आश्रय देने और उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने के केन्द्र के रूप में कार्य करता है।

नारी शक्ति पुरस्कार:

- नारी शक्ति पुरस्कार भारत का राष्ट्रीय सम्मान की एक शृंखला है, जो अपनी असाधारण उपलब्धि के लिए व्यक्तिगत महिलाओं को प्रदान किया जाता है।
- यह पुरस्कार महिलाओं और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा छह श्रेणियों में दिया गया है।
- यह कठिन परिस्थितियों में एक महिला की हिम्मत की भावना को पहचानता है, जिसने अपने निजी या पेशेवर जीवन में साहस की भावना स्थापित की है।
- यह पुरस्कार महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं के मुद्दों को बढ़ाने में एक व्यक्ति के अग्रणी योगदान को भी पहचानता है।
- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वर्ष नई दिल्ली में 8 मार्च को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में एक लाख रुपये और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है।
- नारी शक्ति पुरस्कार की शुरूआत वर्ष 1999 में हुई थी। ■

4. जम्मू-कश्मीर सरकार की पुनर्वास नीति

आतंकवादियों की वापसी के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा एक ड्राफ्ट नीति तैयार किया जा रहा है। इस ड्राफ्ट नीति के द्वारा सुधार के लिए कदम तथा आजीविका के लिए अवसरों की उपलब्धता पर फोकस किया जायेगा। इन ड्राफ्ट नीति में आतंकवाद छोड़ कर अन्य आतंकवादियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 6000 रुपये का मासिक स्टाईपेंड प्रदान किया जाएगा। इस नीति का लाभ इन आतंकवादियों को नहीं मिलेगा जिन्होंने गंभीर अपराधों को अंजाम दिया है।

2004 की पुनर्वास नीति

2004 की पुनर्वास नीति का लाभ उन आतंकवादियों को दिया गया था जिन्होंने आतंकवाद व हिंसा का मार्ग छोड़ कर भारत की अखंडता तथा भारतीय संविधान को स्वीकार किया। इस नीति में आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था थी, उन्हें 2000 रुपये का मासिक स्टाईपेंड भी प्रदान किया गया। इस नीति में काउन्सलिंग केन्द्रों की स्थापना की व्यवस्था थी, जहाँ पर आत्मसमर्पण करने वाले आतंकियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को रखा जा सकता था परन्तु इन काउन्सलिंग केन्द्रों का निर्माण नहीं किया जा सका। यह नीति आतंकवादियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करने में काफी कारगर सिद्ध हुई।

2010 की पुनर्वास नीति

2010 की पुनर्वास नीति का लाभ उन आतंकवादियों को दिया गया जिन्होंने जनवरी 1989 तथा दिसम्बर 2009 के बीच आतंकवाद का मार्ग अपनाया परन्तु बाद में उग्रवादी गतिविधियों को त्याग दिया। ■

5. वायु गुणवत्ता सूचकांक

हाल ही में ग्रीनपीस द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक में वायु में PM 2.5 महीन कण की मौजूदगी का अध्ययन किया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

विश्व के 10 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में भारत के 7 शहरों को शामिल किया गया है। विश्व के 5 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों का क्रम क्रमशः गुरूग्राम, गाजियाबाद, फैसलाबाद, फरीदाबाद, भिवानी है। 2018 में गुरुग्राम प्रदूषण के सभी मानकों में काफी आगे रहा। जबकि विश्व के 30 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में से 22 शहर भारत में, पांच चीन में, दो पाकिस्तान में तथा एक बांग्लादेश में स्थित हैं। एक जमाने में विश्व के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में शुमार रहा चीन का बीजिंग शहर इस वर्ष 122वें स्थान पर है। टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहरों में तीन गैर भारतीय शहर लाहौर, फैसलाबाद तथा होतान हैं। 3000 शहरों में 64% शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी महीन कण PM 2.5 के दिशानिर्देशों से अधिक प्रदूषित हैं। अफ्रीका तथा मध्य पूर्व में सभी शहरों में प्रदूषण का स्तर WHO द्वारा दिशानिर्देशों से अधिक है। जबकि दक्षिण एशिया में यह दर 99%, दक्षिण पूर्व एशिया में 95% तथा पूर्वी एशिया में 89% है। इस रिपोर्ट में प्रदूषण के कुछ एक स्त्रोतों को चिन्हित किया गया है। इसमें उद्योगों, घरों, कारों व ट्रकों से उत्सर्जित किये जाने वाले वायु प्रदूषक प्रमुख हैं। ■

6. राज्यों को 9,400 शत्रु संपत्तियों का उपयोग करने की अनुमति

हाल ही में केंद्र सरकार ने बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए या फिर 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद चीन चले गए लोगों द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों के सार्वजनिक इस्तेमाल की इजाजत राज्य सरकारों को दे दी है।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक शत्रु संपत्ति आदेश, 2018 के निस्तारण के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा शत्रु संपत्ति का इस्तेमाल सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकेगा।

किसे कहते हैं शत्रु संपत्ति

बंटवारे के बाद पाकिस्तान में जा बसे लोगों और 1962 के युद्ध के बाद के चीन चले गए लोगों की भारत में स्थिति संपत्ति को शत्रु संपत्ति कहा

जाता है। 1968 में संसद द्वारा पारित शत्रु संपत्ति अधिनियम के बाद इन संपत्तियों पर भारत सरकार का कब्जा हो गया था। तब से इन संपत्तियों की देखभाल गृह मंत्रालय कर रहा था। देश के कई राज्यों में शत्रु संपत्ति है। लंबे समय से कई संगठन इन संपत्तियों के सार्वजनिक इस्तेमाल की मांग कर रहे थे। केन्द्र सरकार ने अब जाकर इन संपत्तियों के सार्वजनिक इस्तेमाला की अनुमति दी है। 2017 में सरकार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम में बदलाव कर इन लोगों का संपत्ति से अधिकार खत्म कर दिया था। ■

7. इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत हथियार आयात करने वाले देशों में दूसरे स्थान पर आता है। SIPRI द्वारा प्रकाशित इस रिपोर्ट को Trends in International Arms Transfers-2018 शीर्षक के तहत प्रकाशित किया गया। रिपोर्ट में वर्ष 2014 से 2018 का अध्ययन किया गया है तथा इसी आधार पर रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन वर्षों के दौरान सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन कर उभरा है जबकि भारत दूसरे स्थान पर रहा। लगभग 10 वर्षों तक भारत इस सूची में प्रथम स्थान पर रहा था।

दुनिया के 46 फीसदी हथियार एशिया और ऑस्ट्रेलिया में बिकते हैं और इधर पांच बरस में हथियारों की यह बिक्री 26 फीसदी बढ़ी है। भारत, सऊदी अरब, चीन, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया यह पांच देश ऐसे हैं, जो दुनिया के 34 फीसदी हथियार आयात कर लेते हैं। इस कुल आयात में सबसे अधिक 33 फीसदी आयात अमेरिका से ही आता है, जिसमें सबसे बड़ा ग्राहक देश सऊदी अरब है, जबकि 25 फीसदी आयात के साथ रूस दूसरे क्रम पर और तकरीबन 6 फीसदी की खरीदी के साथ चीन तीसरे स्थान पर है।

चीन की रणनीति हथियार आयात की बजाय हथियार निर्यातक बनने की है। वर्ष 2006-10 के दौरान दुनियाभर के कुल निर्यात में चीन की हिस्सेदारी 3.6 फीसदी थी, जो वर्ष 2011-15 में बढ़कर 5.9 फीसदी हो गई। चीन में बने हथियारों का सबसे बड़ा खरीददार पाकिस्तान है। चीन तकरीबन 35 फीसदी हथियार पाकिस्तान को निर्यात करता है। चीन द्वारा पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में हथियार बेचे जाने पर भारत कई बार अपनी ओर से कठोर आपत्ति दर्ज करवा चुका है, किंतु सभी जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान के बीच निकटता की वजह रणनीतिक के अलावा आर्थिक भी है।

हथियार निर्यातक देश दुनिया के किसी भी आयातक देश को सैन्य उपकरण और हथियार तो बेच देते हैं, किन्तु अपनी प्रौद्योगिकी को बचाए रखते हैं। किसी भी देश की कोई भी सरकार तकनीक को अपना रणनीतिक-सौदा समझती है, इसलिए तकनीक के निर्यात पर नियंत्रण भी सरकार का ही होता है। ऐसी दयनीय स्थिति में भारत के समक्ष एकमात्र उपाय यही हो सकता है कि सैन्य-उपकरणों आदि के संदर्भ में हमें आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत द्वारा बड़ी मात्रा में हथियार आयात करने का एकमात्र कारण यही रहा है कि भारतीय हथियार उद्योग अभी तक स्वदेशी डिजाइन वाले प्रतिस्पर्धी हथियार बनाने में सफलता अर्जित नहीं कर सके हैं। अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा 96 देशों को हथियार निर्यात करता है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अवधि में सऊदी अरब ने वैश्विक स्तर पर खरीदे गए हथियारों का 12 फीसदी हिस्सा अपने नाम किया।
- हथियारों पर देश की निर्भरता को कम करने की कोशिशों के कारण 2009-2013 और 2014-2018 के बीच भारत के हथियारों के आयात में भारी कमी आई है।
- भारत के आयात में इस गिरावट का एक कारण आंशिक रूप से विदेशी निर्यातकों से लाइसेंस प्राप्त हथियारों की डिलीवरी में देरी भी रही।
- वर्ष 2014-18 में दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातकों में अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी और चीन रहे जबकि सऊदी अरब, भारत, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और अलजीरिया सबसे बड़े आयातकों में शामिल रहे।
- वर्ष 2009 से 2018 के बीच हथियारों के वैश्विक निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 30% से बढ़कर 36% हो गई।
- वर्ष 2009-13 और वर्ष 2014-18 की अवधि के दौरान पाकिस्तान में हथियारों का आयात 39% तक घटा है।
- भारत 9.5 फीसदी के साथ इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर काबिज रहा।
- इस सूची में 4.2% हथियारों के आयात के साथ चीन विश्व का छठा सबसे बड़ा हथियार आयातक है।

रूस से घटा आयात

- सीपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2009-13 के बीच भारत के कुल हथियार आयात में रूस से आयातित हथियारों का हिस्सा 76 फीसदी था जो 2014-18 में घटकर 58 फीसदी रह गया।
- रिपोर्ट के अनुसार 2009-13 के मुकाबले 2014-18 में देश में हथियारों का कुल आयात 24 प्रतिशत घटा है।
- हथियारों की देर से होने वाली डिलीवरी इसका सबसे बड़ा कारण है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2001 में रूस से लड़ाकू विमान और 2008 में फ्रांस से पनडुब्बी खरीदने का समझौता हुआ था, लेकिन अभी तक इनकी डिलीवरी नहीं हुई है। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

पनबिजली क्षेत्र को बढ़ावा

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पनबिजली क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपायों को मंज़ूरी दे दी है। इनमें गैर-सोलर अक्षय ऊर्जा क्रय बाध्यता (आरपीओ) के हिस्से के रूप में बड़ी पनबिजली परियोजनाओं की घोषणा शामिल है।

पृष्ठभूमि

2.1 भारत में लगभग 1,45,320 मेगावॉट पनबिजली क्षमता की संभावना है, किंतु अब तक केवल लगभग 45,400 मेगावॉट का ही इस्तेमाल हो रहा है।

2.2 पिछले 10 वर्षों में पनबिजली क्षमता में केवल लगभग 10,000 मेगावॉट की वृद्धि की गयी है। फिलहाल पनबिजली क्षेत्र एक चुनौतीपूर्ण चरण से गुजर रहा है और कुल क्षमता में पनबिजली की हिस्सेदारी वर्ष 1960 के 50.36 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में लगभग 13 प्रतिशत रह गयी है।

कैबिनेट द्वारा अनुमोदित उपाय

3.1 बड़ी पनबिजली परियोजनाओं की घोषणा अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में की जायेगी (मौजूदा प्रचलन के अनुसार, केवल 25 मेगावॉट से कम क्षमता वाले पनबिजली परियोजनाओं को अक्षय ऊर्जा के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है)।

3.2 इन उपायों की अधिसूचना के बाद शुरू की गई बड़ी पनबिजली योजनाओं में गैर-सोलर अक्षय ऊर्जा क्रय बाध्यता के तहत पनबिजली योजना शामिल होंगी (लघु पनबिजली परियोजनाएँ पहले से ही इनमें शामिल हैं)।

3.3 पनबिजली क्षेत्र में अतिरिक्त परियोजना क्षमता के आधार पर विद्युत मंत्रालय द्वारा बड़ी पनबिजली परियोजनाओं के वार्षिक लक्ष्यों के बारे में अधिसूचित किया जायेगा। बड़ी पनबिजली परियोजनाओं के संचालन के लिये शुल्क नीति और शुल्क नियमनों में आवश्यक संशोधन किये जायेंगे।

3.4 परियोजना काल को 40 वर्ष तक बढ़ाने के बाद शुल्क की बैक लोडिंग द्वारा शुल्क निर्धारित करने के लिये डेवलपरों को लचीलापन प्रदान करने, ऋण भुगतान की अवधि को 18 वर्ष तक बढ़ाने और 2 प्रतिशत शुल्क बढ़ाने सहित शुल्क को युक्तिसंगत बनाना।

3.5 मामले के आधार पर पनबिजली परियोजनाओं फ्लड मोडरेशन घटक वित्तपोषण के आधार पर बजटीय सहायता प्रदान करना।

3.6 सड़कों और पुलों जैसी आधारभूत सुविधाओं के निर्माण में आर्थिक लागत पूरी करने के लिये बजटीय सहायता प्रदान करना।

पनबिजली की विशेषताएँ

4.1 पर्यावरण अनुकूल होने के साथ-साथ, पनबिजली की अन्य कई महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं, जैसे उत्पादन, प्रचालन, लागत इत्यादि।

4.2 इन विशेषताओं के बल पर यह पीकिंग पावर, स्पीनिंग रिजर्व और ग्रिड संतुलन के लिये एक आदर्श है।

4.3 अधिकांश पनबिजली परियोजनाएँ हिमालय की ऊँचाइयों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित हैं।

प्रभाव

5.1 इससे परिवहन, पर्यटन और अन्य छोटे कारोबारी क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रोजगार/उद्यमिता के अवसर भी उपलब्ध होंगे।

5.2 इसका एक अतिरिक्त लाभ यह भी होगा कि सौर और पवन जैसे ऊर्जा स्रोतों से वर्ष 2022 तक लगभग 160 गीगावॉट क्षमता का एक स्थाई ग्रिड उपलब्ध हो जायेगा।

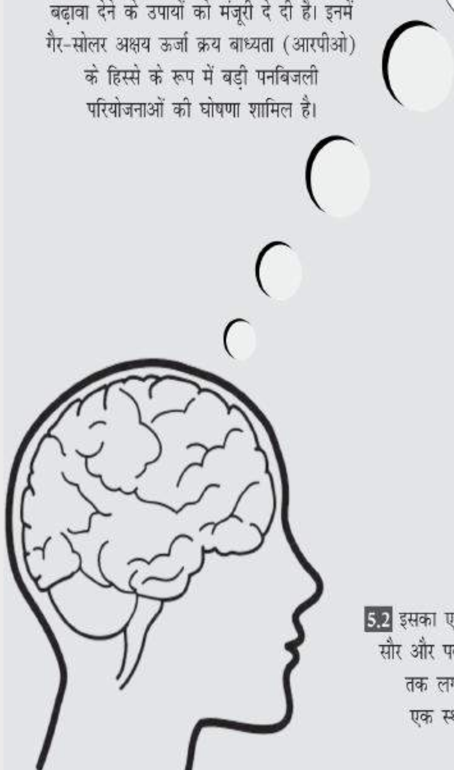

स्पाइस 2000 स्मार्ट बम

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में भारतीय वायुसेना ने मिराज फाइटर प्लेन के जरिये स्पाइस 2000 स्मार्ट बमों को पाकिस्तान में बालाकोट स्थित आतंकवादी शिविरों में गिराया था।

स्पाइस 2000

2.1 स्पाइस 2000 को डीकैपिटेटिंग वेपन कहा जाता है जो सटीक हमले के जरिये दुश्मन के अड्डे को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है।

2.2 इजरायल निर्मित स्पाइस (स्मार्ट सटीक प्रभाव और लागत प्रभावी) बम सबसे बड़ा बम है, जिसका इस्तेमाल भारतीय वायु सेना करती है।

विशेषताएँ

3.1 स्पाइस-2000 की खासियत यह है कि यह केवल एक बम नहीं है, बाल्कि यह एक गाइडेंस किट है जो एक स्टैंडर्डस वारहेड या बम से जुड़ी होती है।

3.2 स्पाइस गाइडेंस किट में दो पार्ट्स होते हैं। एक भाग बम के आगे के हिस्से से जुड़ा होता है और दूसरा इसके अंत में होता है। किट के पहले भाग की नोक पर एक कैमरा लगा होता है, जबकि दूसरे भाग में एक पिन यानी डेटा चिप होती है, जो स्पाइस-2000 को बम छोड़ने का सही वक्त बताती है।

3.3 डेटा में लक्ष्य के निर्धारण के लिए जीपीएस व टारगेट की सही तस्वीर और टारगेट से जुड़ी तमाम जानकारियाँ होती हैं, ताकि बम को सही दिशा में छोड़ा जाए और टारगेट तक पहुँचाया जाए।

3.4 यह मजबूत से मजबूत रक्षा कवच को भेदने की क्षमता रखता है, इसके अतिरिक्त यह एक साथ कई टारगेट को हिट कर सकता है।

3.5 जैमर प्रूफ होने की वजह से स्पाइस 2000 स्मार्ट बम को पकड़ पाना बेहद मुश्किल है। स्पाइस 2000 रात, दिन, खराब मौसम या घने बादलों में भी अपने लक्ष्य को भेद सकता है।

कार्यप्रणाली

4.1 जब मिशन के दौरान एक बार फाइटर जेट पूर्व निर्धारित स्थान और ऊँचाई पर पहुँच जाता है तो वहाँ से वो इन स्मार्ट बमों (स्पाइस-2000) को गिरा देता है।

4.2 इस क्रम में स्पाइस-2000 ऑनबोर्ड कंप्यूटर द्वारा मेमोरी चिप में स्टोरेज डेटा की मदद से टारगेट पर दागा जाता है। किट में लगे कैमरे की मदद से टारगेट की लाइव तस्वीरें खींची जाती हैं, तस्वीरों से ये पता चलता है कि बम किधर जा रहा है।

4.3 अगर बम टारगेट से अलग दिशा में जाता है तो तुरंत ऑनबोर्ड कंप्यूटर की मदद से ऑपरेट कर उसे सही दिशा में भेज दिया जाता है। इसलिए इस स्पाइस 2000 बम को टारगेट तक पहुँचाना आसान होता है।

निर्माण

5.1 स्पाइस बम पोपेया एजीएम-142 हैव नैप मिसाइल का ही एक दूसरा रूप है, जो हवा से सतह पर मार करने में सक्षम है। इसे साल 2003 में इजरायल ने पहली बार अपने एफ-16 लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल किया था।

स्पाइस बम बनाम अन्य लेजर गाइडेड बम

6.1 स्पाइस बम अन्य लेजर गाइडेड बमों से काफी उन्नत है, ये उपग्रह के जरिये भी गाइड होता है और छुपे हुए लक्ष्यों को हिट करने में सक्षम है।

6.2 लम्बी दूरी से हिट करने की क्षमता होने की वजह से इसे दुश्मन के इलाके में गए बगैर, दूर से ही इसे छोड़ा जा सकता है।

अन्य गैर परमाणु बम

7.1 मदर ऑफ ऑल बम को अप्रैल 2017 में अमेरिका ने अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत नांगरहार में गिराया। यह दुनिया के सबसे बड़े और गैर परमाणु बमों में से एक है।

7.2 इसे जीपीएस से संचालित किया जाता है। इस बम में एल्युमीनियम का पतला आवरण होता है, इसे खासतौर पर ब्लास्ट के रेडियस को अधिकतम रखने के लिए तैयार किया जाता है।

7.3 फादर ऑफ ऑल बम का निर्माण रूस ने किया है, यह बम मदर ऑफ ऑल बम से चार गुना ज्यादा ताकतवर है।

7.4 यह एक थर्मोफेब्रिक (Thermofabric) बम है, जो फटने के बाद हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा लेता है।

7.5 इस बम में इतनी ऊर्जा और ताप निकलती है कि बम के झटके कई किमी. दूर तक महसूस किये जा सकते हैं।

अटल नवाचार मिशन

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल नवाचार मिशन (एआईएम) को वर्ष 2019-20 तक जारी रखने को अपनी मंज़ूरी दे दी है।

पृष्ठभूमि

2.1 वर्ष 2015 के बजट भाषण में वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार, इस मिशन को नीति आयोग के तहत स्थापित किया गया है।

विवरण

3.1 अटल नवाचार मिशन के तहत देश में नवाचार को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिये बहुविध कार्यक्रम शामिल हैं।

3.2 हजारों स्कूलों में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किये जा रहे हैं। विश्वविद्यालयों और उद्योगों के लिये विश्वस्तरीय अटल इंक्यूबेशन केंद्र (एआईसी) और अटल कम्युनिटी इनोवेशन केंद्र (एसीआईसी) स्थापित किये जा रहे हैं।

3.3 अटल न्यू इंडिया चैलेंज (एएनआईसी) के माध्यम से राष्ट्रीय प्रासंगिकता और सामाजिक महत्त्व के क्षेत्रों में उत्पाद विकास को बढ़ावा देना है।

रणनीति का कार्यान्वयन

4.1 अटल टिंकरिंग लैबों और अटल इंक्यूबेशन केंद्रों आदि में क्षमता निर्माण के लिये मौजूद अटल नवाचार मिशन के विशेषज्ञ और नेटवर्क से देश भर में अनेक प्रकार की जनसंख्या आपस में जुड़ती है।

4.2 इसके अलावा, कंपनियाँ और अंतर्राष्ट्रीय साझेदार भी अटल नवाचार मिशन के लाभार्थियों से जुड़े हैं, जिससे शिक्षा जगत, नवाचार और स्टार्टअप प्रणाली के बीच सूचना और प्रौद्योगिकी का प्रवाह सुनिश्चित होने के साथ-साथ अटल नवाचार मिशन की पहलों की सफलता सुनिश्चित होती हैं।

4.3 अब तक, देश भर में 5441 अटल टिंकरिंग लैबों का चयन किया गया है, जिनमें से 623 जिलों के 2171 अटल टिंकरिंग लैबों को अपने संबंधित स्कूलों में लैबों की स्थापना के लिये अनुदान राशि की पहली किस्त का भुगतान हो चुका है।

4.4 देश भर में 24 अटल न्यू इंडिया चैलेंज (एएनआईसी) की शुरूआत की गयी है और 800 से अधिक आवेदन प्राप्त किये गये हैं।

लक्ष्य

5.1 अटल नवाचार मिशन का लक्ष्य देश भर के स्कूलों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और उद्योगों में नवाचार और उद्यमिता का एक वातावरण तैयार करना और उसे बढ़ावा देना है।

5.2 अटल नवाचार मिशन के तहत एक ऐसे सहयोगात्मक पारितंत्र की परिकल्पना की गई है जिसके तहत विद्यार्थी, शिक्षक, मार्गदर्शक एवं औद्योगिक साझेदार आपस में सहयोग कर नवाचार को सुविधाजनक बनाएंगे, वैज्ञानिक सोच के साथ-साथ आज के बच्चों में उद्यमिता की भावना को भी बढ़ावा देंगे जो आने वाले समय में राष्ट्र निर्माण में सफलतापूर्वक योगदान करेंगे।

प्रभाव

6.1 अटल नवाचार मिशन की मदद और तकनीकी सहायता से भारत सरकार के कई मंत्रालयों/विभागों ने नवाचार से जुड़ी गतिविधियाँ शुरू की हैं।

6.2 मंत्रालयों के माध्यम से समर्थित अन्य कार्यक्रमों से और भी अधिक लोग लाभान्वित होंगे।

6.3 इस प्रकार 100 से अधिक इंक्यूबेटरों की स्थापना से 5,000-6,000 नवाचार स्टार्टअपों का पोषण हो सकेगा और नये इंक्यूबेटरों की स्थापना से इसकी संख्या में और अधिक वृद्धि होगी।

6.4 इन नवाचार चालित स्टार्टअपों से रोजगार की अत्यधिक संभावना है।

6.5 अटल टिंकरिंग लैब कार्यक्रम के तहत, 2020 तक 10,000 से अधिक स्कूलों में इन लैबों की स्थापना होने की संभावना है।

उत्प्रवास विधेयक, 2019

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में भारत सरकार ने यूएई में कुछ भारतीय समूह से, आव्रजन कानून में संशोधन को लेकर कुछ सुझाव माँगे थे।

पृष्ठभूमि

2.1 भारतीय नागरिकों के उत्प्रवास से संबंधित सभी मामलों के लिए मौजूदा विधायी ढाँचे का निर्धारण उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के द्वारा किया जाता है।

2.2 उत्प्रवास अधिनियम, खाड़ी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भारतीय कामगारों के उत्प्रवास के सन्दर्भ में किया गया था।

आवश्यकता क्यों

3.1 इस अधिनियम की समसामयिक प्रवास प्रवृत्तियों को संबोधित करने का दायरा कुछ मायनों में सीमित है।

3.2 उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की सीमाओं से कई बार मौजूदा संसाधनों के उप-इष्टतम उपयोग, अवैध एजेंटों पर मुकदमा चलाने में विलम्ब, विभिन्न कार्यक्रमों जैसे- प्रस्थान-पूर्व अनुकूलन, कौशल उन्नयन तथा प्रवासी कामगारों के कल्याण एवं संरक्षण के उद्देश्य से किये गए अन्य उपायों के लिए प्रभावी रूपरेखा तैयार करने में विधायी प्रावधानों की कमी परिलक्षित होती है।

मुख्य पहलू

4.1 विकसित देशों में जाने वाले हमारे कौशल प्राप्त व्यावसायियों, विदेशों में उच्च अध्ययन हेतु जाने वाले छात्रों का व्यापक पैमाने पर प्रवास तथा रोजगार हेतु खाड़ी देशों में हमारे नागरिकों की बढ़ती मौजूदगी, कुछ मुख्य गतिविधियाँ हैं।

4.2 सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास पर बल दिया जा रहा है। इस प्रकार एक सुदृढ़ विधायी ढाँचे की आवश्यकता है जो समसामयिक वास्तविकताओं और संगत अंतर्राष्ट्रीय परिपाटियों के अनुरूप हो।

उत्प्रवास प्रबंधन प्राधिकरण

5.1 यह प्राधिकरण प्रवास प्रबंधन से जुड़े मामलों पर नीतिगत मार्गदर्शन करने, व्यापक समीक्षा करने एवं पूर्वा लोकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्राधिकरण होगा।

5.2 विदेश मंत्रालय प्रवास से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है तथा इसमें गृह एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्रतिनिधित्व होगा।

5.3 इसमें क्रमवार राज्यों एवं भर्ती एजेंसियों का भी प्रतिनिधित्व होगा।

लाभ

6.1 इस विधेयक में आवश्यक प्रावधानों को शामिल किया गया है जिससे कुछेक श्रेणियों को जरूरत पड़ने पर अनिवार्य पंजीकरण से बाहर रखा जा सकता है।

6.2 भर्ती एजेंसियों एवं छात्र नामांकन एजेंसियों का पंजीकरण अनिवार्य बना दिया गया है।

6.3 यह एक सक्षम विधायी ढाँचे का निर्माण करने में सहायक होगा, जिसकी परिकल्पना प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से की गयी है और आने वाले दशकों में देश की सेवा करता रहेगा।

कल्याण एवं सुरक्षा

7.1 विधेयक में व्यापक प्रावधान किए गए हैं, जिनमें बीमा, प्रस्थान-पूर्व दिशा-निर्देश, कौशल उन्नयन, कानूनी सहायता, प्रवासी सहायता केन्द्र, हेल्प डेस्क, प्रवास एवं मोबिलिटी साझेदारियाँ, श्रमिक एवं मानवशक्ति सहयोग करार/समझौता ज्ञापन आदि शामिल हैं जिनका उद्देश्य विदेशों में भारतीय कामगारों का कल्याण एवं सुरक्षा को सुदृढ़ करना है।

अपराध एवं दंड

8.1 प्रस्तावित विधेयक मानव तस्करी, अवैध भर्ती, ड्रग्स की अवैध तस्करी, भर्ती की आड़ में अपराधियों को शरण देने या बिना उचित प्रक्रिया के उत्प्रवास सेवाओं की पेशकश करने जैसे अपराधों को अपने दायरे में निहित करता है।

8.2 यह विधेयक इन गतिविधियों विशेषत: महिलाओं और बच्चों से संबंधित उग्र रूप वाले अपराधों के लिए कड़ा दंड देने का प्रावधान करता है।

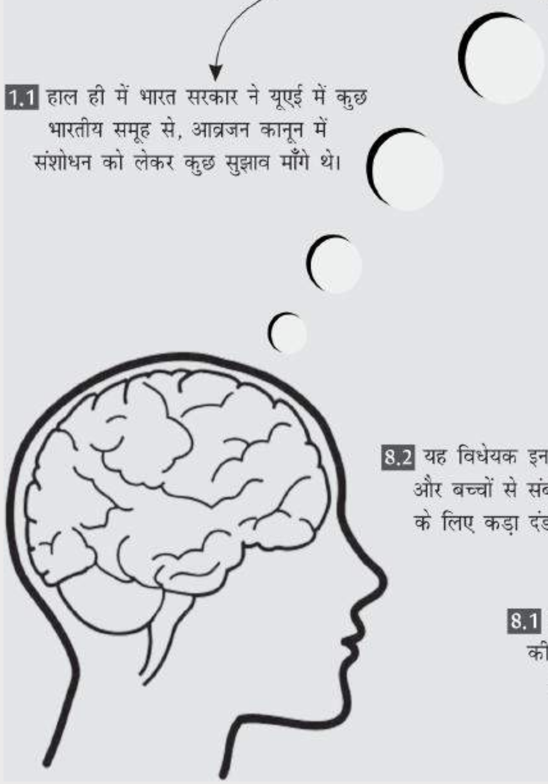

अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम

पृष्ठभूमि

2.1 सरकार ने पूर्ववर्ती प्लास्टिक कचरा (प्रबंधन एवं संचालन) नियम, 2011 को दरकिनार कर उसके स्थान पर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, 2016 अधिसूचित किये थे।

महत्वपूर्ण परिवर्तन

3.1 विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और निर्यात उन्मुखी इकाईयों (ईओयू) द्वारा ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट के आयात पर प्रतिबंध को इसमें शामिल किया गया है।

3.2 कारोबार में सुगमता और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने पर विचार करते हुए यह संशोधन किया गया है।

वर्तमान स्थिति

4.1 भारत में हर दिन 15000 टन प्लास्टिक कचरा सृजित होता है, जिसमें से 9000 टन को एकत्र एवं प्रोसेस किया जाता है, लेकिन 6000 टन प्लास्टिक कचरे को एकत्रित नहीं किया जा रहा है।

4.2 पीईटी (Polyethylene Terephthalate) बोतलों की आमद 2017 से 2018 तक चौगुनी हो गई है।

4.3 भारतीय फर्म रीसाइक्लिंग के लिए चीन, इटली, जापान और मलावी से प्लास्टिक स्क्रैप आयात कर रही हैं और पीईटी बोतल स्क्रैप और फ्लेक्स का आयात वर्ष 2016-17 में 12,000 टन से बढ़कर 2017-18 में 48,000 टन हो गया है जो लगभग 290 प्रतिशत वृद्धि के बराबर है।

चर्चा का कारण

1.2 पर्यावरण मंत्रालय ने देश में खतरनाक अपशिष्ट के सही तरह से प्रबंधन के क्रियान्वयन को मजबूत करने के लिए एक आदेश के जरिये यह संशोधन किया है।

1.1 हाल ही में भारत सरकार ने खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में संशोधन किया है।

आवश्यकता क्यों

5.1 भारत में प्लास्टिक कचरा स्वयं में एक समस्या बनी हुई है।

5.2 विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स (ईओयू) सहित देश में ठोस प्लास्टिक कचरे के निदान एवं संबंधित नियमों का अभाव था।

संशोधित प्रावधान

6.1 मानवीय एवं पशु के शारीरिक अपशिष्ट, उपचार एवं अनुसंधान की प्रक्रिया में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में प्रयोग किये जाने वाले उपचार उपकरण जैसे सुइयाँ, सिरिंज और अन्य सामग्रियों को बायोमेडिकल कचरा कहा जाता है।

6.2 रेशम अपशिष्ट के निर्यातकों को अब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुमति लेने से छूट दी गई है।

6.3 सतत विकास के सिद्धान्त को बरकरार रखा गया है, इसके साथ ही इस बात पर भी ध्यान रखा गया है कि पर्यावरण पर न्यूनतम असर हो।

6.4 भारत में निर्मित इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को निर्यात के एक वर्ष के अंदर किसी खराबी की स्थिति में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुमति के बगैर वापस लाया जा सकता है।

6.5 जो उद्योग हानिकारक और अन्य अपशिष्ट, अधिकृत उपयोगकर्त्ताओं, अपशिष्ट संग्राहकों या निपटान करने वालों को सौंप देते हैं उन्हें वायु एवं जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

उद्देश्य

7.4 जो नियम पहले नगर निगम के क्षेत्रों तक ही स्वीकार्य थे, उन्हें अब सभी गाँवों तक बढ़ा दिया गया है।

7.3 प्लास्टिक कैरी बैग के उत्पादकों, आयातकों एवं इन्हें बेचने वाले वेंडरों के पूर्व-पंजीकरण के माध्यम से प्लास्टिक कचरा प्रबंधन शुल्क के संग्रह की शुरुआत करना।

7.2 नियमों पर अमल के दायरे को नगरपालिका क्षेत्र से बढ़ा कर ग्रामीण क्षेत्रों तक कर देना, क्योंकि प्लास्टिक ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुँच गया है।

7.1 प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई को 40 माइक्रॉन से बढ़ाकर 50 माइक्रॉन करना।

आचार संहिता

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव, 2019 के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है, इसके साथ ही चुनाव आयोग ने तत्काल प्रभाव से देश भर में आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी है।

1.2 आचार संहिता के दौरान किसी व्यक्ति, पार्टी या संगठन के लिए कुछ सामाजिक व्यवहार, नियम एवं उत्तरदायित्वों को निर्धारित किया जाता है और इन्हीं को आचरण संहिता अथवा आचार संहिता (code of conduct) कहा जाता है।

आचार संहिता क्या है

2.1 आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा जारी कुछ नियमों की एक विस्तृत सूची होती है। इस दौरान राजनेताओं को नियमों का पालन करना होता है।

2.2 आचार संहिता में चुनाव प्रक्रिया के दौरान उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस बारे में बताया जाता है।

2.3 इन नियमों का पालन चुनावी उम्मीदवारों को ना सिर्फ अपने भाषणों में करना होता है बल्कि सभी प्रकार के चुनावी प्रचार और यहां तक कि उनके घोषणापत्रों में भी करना होता है।

आचार संहिता कब लागू होती है

3.1 चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा किये जाने के तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक आचार संहिता लागू रहती है।

3.2 संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष और निर्विवाद चुनाव संपन्न कराये। इस दौरान सभी राजनेताओं और चुनावी उम्मीदवारों को इन सभी नियमों का पालन करना होता है।

3.3 आचार संहिता लागू होने के बाद अगर कोई नेता या चुनावी उम्मीदवार मतदाताओं को रिश्वत देते हुए या किसी तरह के अनैतिक कार्य करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है।

प्रमुख प्रावधान

4.1 आचार संहिता के तहत कोई भी राजनीतिक पार्टी मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने पद या प्रतिष्ठा का उपयोग नहीं कर सकती है।

4.2 राजनीतिक पार्टियों को अपने प्रतिद्वंद्वी पार्टियों की उनके पिछले रिकॉर्ड के आधार पर ही आलोचना करनी होगी।

4.3 वोटरों को लुभाने के लिए जाति, सम्प्रदाय अथवा धार्मिक स्थलों का उपयोग नहीं किया जायेगा।

4.4 चुनावी पार्टियों को किसी भी बैठक अथवा सभा करने से पूर्व उस क्षेत्र की स्थानीय पुलिस को इसकी पूरी जानकारी देनी होगी ताकि वहां सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जा सके।

4.5 सत्ता में बैठी पार्टी चुनावों में सरकारी मशीनरी और ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकती।

4.6 अखबारों और मीडिया में सरकारी खजाने से विज्ञापन जारी करना भी आचार संहिता के तहत अपराध माना जाता है।

4.7 राजनीतिक दलों के आचरण और क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग पर्यवेक्षक नियुक्त करता है।

आचार संहिता में मतदान के दिन संबंधी नियम

5.1 राजनीतिक दलों द्वारा अधिकृत कार्यकर्त्ताओं को बिल्ले या पहचान पत्र दिए जाने चाहिए।

5.2 मतदाताओं को पोलिंग बूथ से पहले दी जाने वाली पर्ची सादे कागज पर होनी चाहिए तथा उस पर पार्टी का प्रतीक चिह्न, अभ्यर्थी या दल का नाम आदि लिखा नहीं होना चाहिए।

5.3 मतदान के दिन अथवा इससे 24 घंटे पूर्व राजनीतिक दलों द्वारा किसी को शराब वितरित नहीं की जानी चाहिए।

5.4 मतदान केन्द्रों के पास किसी प्रकार की सभा, लाउडस्पीकर या भीड़ नहीं होनी चाहिए।

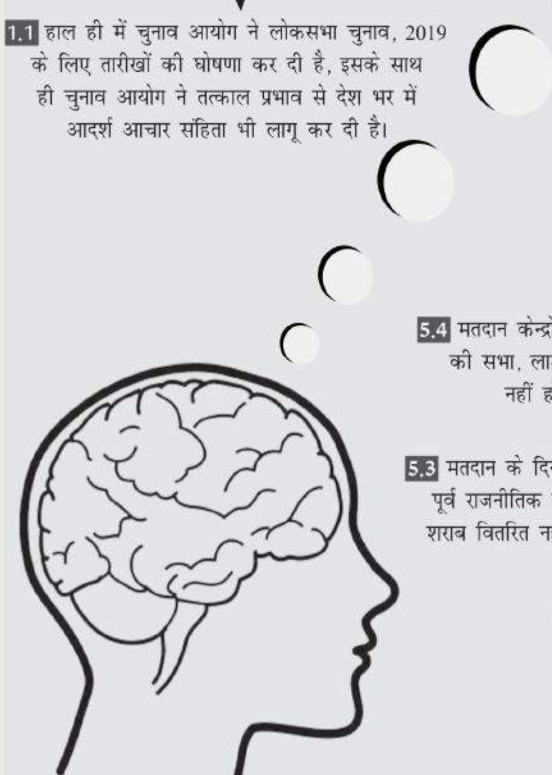

कृत्रिम वर्षा

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में कर्नाटक सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने राज्य में कृत्रिम वर्षा करवाने की योजना बनायी है।

पृष्ठभूमि

2.1 भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अर्थव्यवस्था पूर्णतः कृषि पर निर्भर करती है।

2.2 इसलिए वैज्ञानिकों ने बारिश की अनिश्चितता या कम बारिश की समस्या से निपटने के लिए कृत्रिम वर्षा के बारे में सोचा है।

कृत्रिम वर्षा

3.1 कृत्रिम वर्षा का सबसे जाना-पहचाना तरीका क्लाउड सीडिंग कहलाता है। इसमें उन बादलों का चयन किया जाता है जिनमें पहले से कुछ नमी मौजूद होती है, फिर प्लेन की मदद से उन बादलों पर सिल्वर आयोडाइड, कॉमन सॉल्ट, ड्राइ आइस या इससे संबंधित अन्य चीजें डाली जाती हैं।

3.2 इनकी वजह से बादलों में मौजूद नमी एक साथ एकत्र हो जाती है, जिससे बारिश होती है। क्लाउड सीडिंग के दो प्रमुख तरीके हैं- पहला कोल्ड क्लाउड सीडिंग और दूसरा वॉर्म क्लाउड सीडिंग।

कृत्रिम वर्षा की आवश्यकता क्यों

4.1 कृत्रिम वर्षा का सहारा उन जगहों पर लेना पड़ता है जहां बारिश कम हुई होती है। इसकी मदद से बारिश से फसलें खराब नहीं होती हैं। कई इलाकों में बन रहे तूफान को शांत करने के लिए भी कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है।

कृत्रिम वर्षा कराने के लिए प्रक्रिया

5.1 पहले चरण में रसायनों का इस्तेमाल करके वांछित इलाके के ऊपर वायु के द्रव्यमान को ऊपर की तरफ भेजा जाता है जिससे वे वर्षा के बादल बना सकें। इस प्रक्रिया में कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, नमक और यूरिया के यौगिक और यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट के यौगिक का प्रयोग किया जाता है। ये यौगिक हवा से जलवाष्प को सोख लेते हैं और संघनन की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं।

5.2 दूसरे चरण में बादलों के द्रव्यमान को नमक, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, सूखी बर्फ और कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग करके बढ़ाया जाता है।

5.3 तीसरे चरण की प्रक्रिया तब की जाती है जब या तो बादल पहले से बने हुए हों या मनुष्य द्वारा बनाये गए हों। सिल्वर आयोडाइड को निर्धारित बादलों में प्रत्यारोपित करने के लिए हवाई जहाज, विस्फोटक रॉकेट्स (Explosive Rockets) या गुब्बारे का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक को 1945 में विकसित किया गया था और आज लगभग 40 देशों में इसका प्रयोग हो रहा है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए इसी प्रक्रिया का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है।

सामान्य वर्षा

6.1 साधारणतः वर्षा तब होती है जब सूरज की गर्मी से हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर उठती है, ऊपर उठी हुई हवा का दबाव कम हो जाता है और आसमान में एक ऊँचाई पर पहुँचने के बाद वह ठंडी हो जाती है।

6.2 जब इस हवा में और सघनता बढ़ जाती है तो वर्षा की बूँदें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वे कुछ और वक्त तक हवा में लटकी नहीं रह पाती हैं, इस कारण वे बारिश के रूप में नीचे गिरने लगती हैं। इसे ही सामान्य वर्षा कहते हैं। कृत्रिम वर्षा में इस प्रकार की परिस्थितियाँ मानव द्वारा पैदा की जाती हैं।

नुकसान

7.1 कई शोध संस्थानों का कहना है सिल्वर आयोडाइड जीव-जंतुओं को नुकसान पहुँचाता है।

7.2 यह मौसम को खराब कर सकता है, साथ ही इसमें खर्चा भी बहुत होता है, इसके अलावा इससे बाढ़ का खतरा भी होता है।

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. पनबिजली क्षेत्र को बढ़ावा

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत की अधिकांश पनबिजली परियोजनाएँ दक्षिण भारत और पूर्वी तटीय क्षेत्र में स्थित हैं।
2. केवल 25 मेगावॉट से कम क्षमता वाले पनबिजली परियोजनाओं को अक्षय ऊर्जा के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (b)

व्याख्याः भारत की अधिकांश पनबिजली परियोजनाएँ हिमालय की ऊँचाइयों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित हैं। भारत में लगभग 1,45,320 मेगावॉट पनबिजली क्षमता की संभावना है किंतु अब तक केवल लगभग 45,400 मेगावॉट का ही इस्तेमाल हो रहा है। मौजूदा प्रचलन के अनुसार, केवल 25 मेगावॉट से कम क्षमता वाले पनबिजली परियोजनाओं को अक्षय ऊर्जा के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। इस प्रकार कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 सही है। ■

2. स्पाइस 2000 स्मार्ट बम

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. स्पाइस-2000, एक गाइडेंस किट है जो एक स्टैंडर्ड वॉरहेड या बम से जुड़ी होती है।
2. जैमर प्रूफ न होने की वजह से स्पाइस 2000 स्मार्ट बम को पकड़ना आसान है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

उत्तरः (a)

व्याख्याः इजरायल निर्मित स्पाइस बम सटीक लक्ष्य भेदने के लिए प्रसिद्ध है। स्पाइस बम अन्य लेजर गाइडेड बमों से काफी उन्नत है, ये उपग्रह के जरिये भी गाइड होता है और छुपे हुए लक्ष्यों को मार करने में सक्षम है। जैमर प्रूफ होने की वजह से स्पाइस 2000 को पकड़ पाना बेहद मुश्किल है। यह रात, दिन, खराब मौसम या घने बादलों में भी अपने लक्ष्य को भेद सकता है। इस प्रकार कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 गलत है। ■

3. अटल नवाचार मिशन

प्र. अटल नवाचार मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. अटल नवाचार मिशन के तहत एक ऐसे सहयोगात्मक पारितंत्र की परिकल्पना की गई है जिसके तहत विद्यार्थी, शिक्षक, मार्गदर्शक एवं औद्योगिक साझेदार आपस में सहयोग कर नवाचार को सुविधाजनक बनाएंगे
2. इन नवाचार चालित स्टार्टअपों से रोजगार की अत्यधिक संभावना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल नवाचार मिशन (एआईएम) को वर्ष 2019-20 तक जारी रखने को अपनी मंजूरी दे दी है। हजारों स्कूलों में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किये जा रहे हैं। विश्वविद्यालयों और उद्योगों के लिये विश्वस्तरीय अटल इंक्यूबेशन केंद्र (एआईसी) और अटल कम्युनिटी इनोवेशन केंद्र (एसीआईसी) स्थापित किये जा रहे हैं। इन नवाचार चालित स्टार्टअपों से रोजगार की अत्यधिक संभावना है। इस प्रकार दोनों ही कथन सही हैं। ■

4. उत्प्रवास विधेयक, 2019

प्र. उत्प्रवास विधेयक 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हाल ही में भारत सरकार ने यूएई में कुछ भारतीय समूह से, आव्रजन कानून में संशोधन को लेकर कुछ सुझाव माँग थे।
2. भारतीय नागरिकों के उत्प्रवास से संबंधित सभी मामलों के लिए मौजूदा विधायी ढाँचे का निर्धारण उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के द्वारा किया जाता है।
3. प्रस्तावित विधेयक मानव तस्करी, अवैध भर्ती, ड्रग्स की अवैध तस्करी, भर्ती की आड़ में अपराधियों को शरण देने या बिना उचित प्रक्रिया के उत्प्रवास सेवाओं की पेशकश करने जैसे अपराधों को अपने दायरे में निहित नहीं करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/ हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 व 3

(c) केवल 1 और 2 (d) केवल 3

उत्तरः (c)

व्याख्याः प्रस्तावित विधेयक मानव तस्करी, अवैध भर्ती, ड्रग्स की अवैध तस्करी, भर्ती की आड़ में अपराधियों को शरण देने या बिना उचित प्रक्रिया के उत्प्रवास सेवाओं की पेशकश करने जैसे अपराधों को अपने दायरे में निहित करता है। यह विधेयक इन गतिविधियों विशेषत: महिलाओं और बच्चों से संबंधित उग्र रूप वाले अपराधों के लिए कड़ा दंड देने का प्रावधान करता है। इस प्रकार कथन 3 गलत है, जबकि अन्य कथन सही हैं। ■

5. अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम

प्र. अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई को 50 माइक्रॉन से घटाकर 40 माइक्रॉन कर दिया गया है।
2. भारत में पीईटी बोतलों की आमद 2017 से 2018 तक 10 गुनी हो गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (d)

व्याख्याः पर्यावरण मंत्रालय ने देश में खतरनाक अपशिष्ट के सही तरह से प्रबंधन के क्रियान्वयन को मजबूत करने के लिए एक आदेश के जरिये अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन किया है। विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और निर्यात उन्मुखी इकाईयों (ईओयू) द्वारा ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट के आयात पर प्रतिबंध को इसमें शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई को 40 माइक्रॉन से बढ़ाकर 50 माइक्रॉन कर दिया है। भारत में प्लास्टिक कचरा स्वयं में एक समस्या बनी हुई है। इसके अलावा पीईटी बोतलों की आमद 2017 से 2018 तक चौगुनी हो गई है। इस प्रकार दोनों ही कथन सही नहीं हैं। ■

6. आचार संहिता

प्र. आचार संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. आचार संहिता के दौरान किसी व्यक्ति, पार्टी या संगठन के लिए कुछ सामाजिक व्यवहार, नियम एवं उत्तरदायित्वों को निर्धारित किया जाता है और इन्हीं को आचरण संहिता अथवा आचार संहिता (code of conduct) कहा जाता है।
2. अखबारों और मीडिया में सरकारी खजाने से विज्ञापन जारी करना आचार संहिता के तहत अपराध नहीं माना जाता है।
3. 17वीं लोकसभा चुनाव में आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रत्याशियों को नामांकन भरने के बाद आपराधिक मामलों का विज्ञापन देना होगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) केवल 1 और 2 (d) केवल 3

उत्तरः (b)

व्याख्याः हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग ने 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया है। ईवीएम को लेकर राजनीतिक दलों की आशंकाएँ दूर करने के लिए इस बार प्रत्येक मतदान केन्द्र पर वीवीपीएटी (VVPAT) मशीन युक्त ईवीएम इस्तेमाल की जाएँगी। आचार संहिता के दौरान अखबार और मीडिया में सरकारी खजाने से विज्ञापन जारी करना भी आचार संहिता के तहत अपराध माना जाता है। इस प्रकार कथन 2 गलत है, जबकि अन्य कथन सही हैं। ■

7. कृत्रिम वर्षा

प्र. कृत्रिम वर्षा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. कृत्रिम वर्षा का सबसे प्रचलित तरीका क्लाउड सीडिंग कहलाता है।
2. कृत्रिम वर्षा का उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जिन क्षेत्रों में बारिश कम होती है।
3. कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड, कॉमन साल्ट, ड्राई आइस आदि रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) 1, 2 और 3 (d) केवल 3

उत्तरः (a)

व्याख्याः हाल ही में कर्नाटक सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने राज्य में कृत्रिम वर्षा कराने की योजना बनायी है। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की कृषि लगभग-लगभग वर्षा पर ही निर्भर है। इसलिए कृत्रिम वर्षा उन क्षेत्रों में कराई जाती है जहाँ बारिश कम होती है। कृत्रिम वर्षा का सबसे प्रचलित तरीका क्लाउड सीडिंग कहलाता है, कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड कॉमन साल्ट आदि रसायनों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार कथन 3 गलत है जबकि अन्य कथन सही हैं। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. हाल ही में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई)विभाग ने देश भर में कितने जीपीएस स्टेशनों की स्थापना की है?

-22

2. किस राज्य में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कीरू पनबिजली परियोजना में निवेश को मंजूरी दी है?

-जम्मू-कश्मीर

3. इसरो द्वारा हाल ही में स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष संबंधी कार्यक्रमों के साथ जोड़ने के लिए चलाए गये कार्यक्रम का क्या नाम है?

-युविका (YUVIKA)

4. हाल ही में किसे फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री चुना गया है?

-महमूद अब्बास

5. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में कौन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया है?

-इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान

6. प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में किस स्थान से 'वन नेशन, वन कार्ड' योजना का शुभारंभ किया गया?

-अहमदाबाद

7. किस देश में साल 2013 में आधिकारिक तौर पर लुप्त घोषित की गई चीते की फॉर्मोसन क्लाउडेड प्रजाति करीब 36 साल बाद देखी गई है?

-ताइवान

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी

1. पल्स पोलियो कार्यक्रम–2019

- हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर देशव्यापी पल्स पोलियो कार्यक्रम–2019 की शुरूआत की।
- देश से पोलियो उन्मूलन के लिए टीकाकरण अभियान के तहत 5 वर्ष से कम उम्र के 17 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो की दवा दी जाएगी।
- टीकाकरण अभियान का उद्देश्य बच्चों को पहले की अपेक्षा 5 से अधिक बीमारियों से पूरी तरह सुरक्षित करना है। इसके लिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट, रोटावायरस और मिजिल्स रूबेला जैसे नए टीके शुरू किए गए हैं।
- सरकार ने बच्चों को अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए इंजेक्शन के जरिये पोलियो की दवा देने के लिए अपने नियमित टीकाकरण अभियान में इनएक्टिवेटेड पोलियो टीका को भी शामिल किया है।
- भारत सरकार ने सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान के साथ ही देश में मिशन इंद्रधनुष की भी शुरूआत की है ताकि 90 प्रतिशत से ज्यादा बच्चों को टीकाकरण के दायरे में लाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।
- मिशन इंद्रधनुष के तहत अब तक 3.39 करोड़ बच्चों और 87 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा चुका है।
- सरकार के अनुसार टीकाकरण अभियान की मजबूती से देश में शिशु मृत्यु दर काफी घट गई है।
- वर्ष 2014 में जहाँ ये प्रति हजार 39 शिशु थी, वहीं 2017 में यह घटकर प्रति हजार 32 शिशु रह गई है।
- पोलियो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राज्य सरकारें , विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और रोटरी इंटरनेशनल आदि जैसे संगठन देश को पोलियो मुक्त रखने के लिए प्रयासों में लगी हुई हैं।
- पोलियो या पोलियोमेलाइटिस एक संक्रामक रोग है जो आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति मे संक्रमित तरीके जैसे कि कफ, मल, मूत्र, दूषित जल तथा खाद्य पदार्थों के माध्यम से फैलता है।
- पोलियो वैक्सीन – IPV1, IPV2, IPV3 वैक्सीन (Polio vaccine IPV) पोलियो का टीका शिशु को पोलियो के संक्रमण के खतरे से बचाता है।

2. जन–औषधि दिवस

- हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा की है कि भारत में जेनेरिक दवाओं के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक वर्ष 07 मार्च को जन–औषधि दिवस मनाया जायेगा।
- देश के सभी ब्लॉकों में 2020 तक कम से कम एक प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) केंद्र स्थापित किया जायेगा।
- प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना की शुरूआत 01 जुलाई, 2015 को की गयी थी।
- इस योजना में सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक (Generic) दवाइयों के दाम बाजार मूल्य से कम किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा जन औषधि स्टोर बनाए गए हैं, जहाँ जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
- प्रधानमंत्री जन औषधि अभियान मूलत: जनता को जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है ताकि जनता समझ सके कि ब्रांडेड मेडिसिन की तुलना में जेनेरिक मेडिसिन कम मूल्य पर उपलब्ध हैं, साथ ही इसकी गुणवत्ता में किसी तरह की कमी नहीं हैं।
- प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के माध्यम से स्थायी और नियमित कमाई के साथ स्वरोजगार का स्रोत भी उपलब्ध हो रहा है।

3. ई-धरती ऐप

- हाल ही में आवास एवं शहरी मंत्रालय ने ई-धरती ऐप लॉन्च किया है।
- यह एक नई ऑनलाइन प्रणाली है जहाँ सभी तीन मुख्य मॉड्यूल यानी परिवर्तन, प्रतिस्थापन और दाखिल खारिज (Conversion, Substitution and Mutation) को ऑनलाइन किया गया है।
- ई-धरती जियो पोर्टल एक अन्य महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है जिस पर एल एंड डीओ (L & DO) ने काम करना शुरू किया है। यह जीआईएस आधारित 65000 संपत्तियों की मैपिंग पर आधारित है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से एल एंड डीओ के तहत प्रत्येक सरकारी संपत्ति, चाहे वह आवंटित हो या खाली पड़ी हो, को ई-धरती जियो पोर्टल नामक पोर्टल पर मैप किया जाना प्रस्तावित है।
- भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) उन सार्वजनिक आवेदनों को निपटाता है जो मुख्य तौर पर लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन, कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम का प्रतिस्थापन और खरीददार के नाम पर दाखिल खारिज आदि से संबंधित होते हैं।
- एल एंड डीओ में भुगतान प्रणाली को भी पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। जनता अब एल एंड डीओ वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकती है।
- अत: अब लोगों को आवेदन जमा करने और उसके बाद की प्रक्रियाओं एवं पूछताछ के लिए कार्यालय में आने की जरूरत नहीं होगी।
- व्यवस्था को कहीं अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, कुशल और प्रभावी बनाने के लिए इस कार्यालय द्वारा तमाम पहल की गई हैं, ताकि आम जनता, विशेषकर वृद्ध, गरीब, बीमार और वंचित व्यक्तियों के साथ-साथ महिलाओं और विधवाओं को भी इसका फायदा मिल सके।
- इस पोर्टल के माध्यम से संपत्ति के पट्टेदार अपनी संपत्ति के मानचित्र सहित मूल विवरण देख सकेंगे। पट्टेदार को इस कार्यालय से उनकी संपत्ति के बारे में एक संपत्ति कार्ड भी जारी किया जा सकता है बशर्ते वह इसकी माँग करे।
- पूरी दिल्ली में जीआईएस आधारित मानचित्र पर 35,000 से अधिक संपत्तियों की रूपरेखा तैयार की गई है।
- इस एप्लीकेशन से न केवल जनता को लाभ होगा बल्कि सरकार को भी खाली पड़ी संपत्तियों की जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी। साथ ही इसके जरिये पता लगाया जा सकता है कि खाली पड़ी सरकारी संपत्तियों पर किसी तरह का अतिक्रमण आदि तो नहीं हो रहा।

4. गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवॉर्ड

- हाल ही में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय को टीवी सिनेमा स्पॉट श्रेणी में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय 'गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवॉर्ड, 2019' का प्रथम पुरस्कार मिला है। भारत को यह पुरस्कार टीवी सिनेमा स्पॉट श्रेणी में दिया गया।
- पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न श्रेणियों में प्रतिवर्ष गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म मल्टी-मीडिया पुरस्कार दिए जाते हैं।
- 'गोल्डन सिटी गेट' देशों, महानगरों, क्षेत्रों और होटलों के लिए एक सृजनात्मक मल्टी-मीडिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। प्राप्त की गई प्रविष्टियों के आधार पर फिल्में और पर्यटन क्षेत्रों के अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी द्वारा पुरस्कार देने का निर्णय लिया जाता है।
- आईटीबी, बर्लिन में यह पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाता है। ज्ञातव्य है कि पर्यटन मंत्रालय ने सितम्बर, 2017 में अतुल्य भारत 2.0 अभियान शुरू किया था।
- अतुल्य भारत 2.0 अभियान भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय का अभियान है।
- इस अभियान के तहत भारत के दर्शनीय अभियान के तहत भारत के दर्शनीय स्थलों के विज्ञापनों के द्वारा पर्यटकों को भारत में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस अभियान के तहत योग, वन्य जीवन, भोजन इत्यादि विषयों पर विज्ञान तैयार किये जाते हैं।
- 2.0 अभियान विश्वभर में जेनेरिक प्रमोशनों से बाजार आधारित प्रमोशनल योजनाओं एवं विषय-सामग्री सृजन में बदलाव का प्रतीक है।

5. माइक्रोवेव ओवन और वॉशिंग मशीनों के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम

- हाल ही में बिजली मंत्रालय ने देश में माइक्रोवेव ओवन और वॉशिंग मशीनों के लिए मानक तय करने के संबंध में स्टार रेटिंग जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरूआत की है।
- आरंभ में यह कार्यक्रम स्वैच्छिक आधार पर चलाया जायेगा और इसकी वैधानिकता 31 दिसंबर 2010 तक होगी।
- सरकार ने कहा है कि बिजली से चलने वाले घरेलू उपकरणों की ऊर्जा कुशलता बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में कमी आ सके।
- इस पहल से प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने में प्रोत्साहन मिलेगा और माइक्रोवेव ओवन तथा वॉशिंग मशीनों की बिजली खपत में कमी आएगी।

- इस उपाय से 2030 तक तीन अरब से अधिक यूनिट बिजली की बचत होने की संभावना है।
- उल्लेखनीय है कि ऊर्जा कुशलता ब्यूरो ने भारत में ऊर्जा कुशलता को बढ़ावा देने के लिए एक देशव्यापी रणनीति तैयार की है और इस संबंध में एक दस्तावेज भी जारी किया है।
- इस दस्तावेज में भारत के पर्यावरण संबंधी समस्याओं और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए एक समग्र रोडमैप तैयार किया गया है, जिसमें ऊर्जा कुशलता महत्वपूर्ण है।

6. ट्यूटोरियल वीडियो

- हाल ही में केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने नई दिल्ली में स्कूली छात्रों और जीआई वेबसाइट के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों पर एक ट्यूटोरियल वीडियो लॉन्च किया।
- ट्यूटोरियल वीडियो सीआईपीएएम के यू-ट्यूब चैनलों पर उपलब्ध है और यह सीआईपीएएम की आधिकारिक वेबसाइट www.cipam.gov.in पर भी उपलब्ध होगा, जो आम लोगों के लिए मुफ्त रहेगा।
- सीआईपीएएम के पास जीआई के माध्यम से इस विविधता की रक्षा करने और बढ़ावा देने का दायित्व है।
- यह वेबसाइट रचनात्मकता को बढ़ावा देने में मदद करेगी और भारत के अधिक कुशल कारीगरों को जीआई पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित भी करेगी।
- जीआई विभिन्न शिल्पों में भारत के गहन ज्ञान और कौशल का प्रकटीकरण है और इस ज्ञान की रक्षा से लोगों को आविष्कार, निर्माण और नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- भारत न केवल ट्रिप्स (TRIPS) समझौते का एक हस्ताक्षरकर्त्ता है, बल्कि उसने नए कानूनों को भी लागू किया है, मौजूदा कानूनों में संशोधन किया है और डब्ल्यूटीओ ट्रिप्स समझौते के साथ सामंजस्य को पूरा करने के लिए घरेलू कानूनी ढाँचे को भी मजबूत किया है।
- देशों के आईपीआर को उन्नत (अपग्रेड) करने के लिए नए कानून भी बनाए गए हैं।
- भारत का पहला बौद्धिक संपदा (आईपी) शुभंकर, 'आईपी नानी', बच्चों के बीच आईपीआर के महत्त्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कई छोटे एनिमेटेड वीडियो बनाया गया है।
- ट्यूटोरियल वीडियो का उपयोग शिक्षकों या विशेषज्ञों के किसी भी बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्कूलों में किया जा सकता है और बड़ी संख्या में स्कूलों और छात्रों तक इसे पहुंचने में सहायता करेगा, जिससे बैंडविड्थ और सीमित संसाधनों पर भी काबू पाया जा सके।

7. गुणवत्ता आश्वासन योजना

- हाल ही में एनएबीएल ने बेसिक कंपोजिट (बीसी) चिकित्सा प्रयोगशालाओं (प्रवेश स्तर) के लिए गुणवत्ता आश्वासन योजना (क्यूएएस) नामक एक अन्य स्वैच्छिक योजना का शुभारंभ किया है।
- ब्लड ग्लूकोज, ब्लड काउंट्स, सामान्य संक्रमणों के लिए त्वरित परीक्षण, लिवर और गुर्दे के कार्य परीक्षण तथा मूत्र के नियमित परीक्षण जैसे ही बुनियादी नियमित परीक्षण करने वाली प्रयोगशालाएँ इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र होंगी।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम दस्तावेज और नाममात्र का शुल्क निर्धारित किया गया है।
- यह योजना भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में, जहाँ प्रयोगशालाएँ अपनी सभी प्रक्रियाओं में गुणवत्ता की अनिवार्यताओं का अनुपालन करती हैं। जमीनी स्तर पर गुणवत्ता लाने में मदद करेगी।
- इससे गुणवत्ता की आदत विकसित होने के साथ-साथ प्रयोगशालाओं को एक निश्चित समय में ISO-15189 की बेंच मार्क मान्यता प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।
- प्रयोगशालाएँ किसी भी निश्चित समय में ISO-15189 के अनुसार मान्यता प्राप्ति के लिए अपग्रेड की जा सकती हैं।
- देश के दूर-दराज के हिस्सों में स्थित अधिक से अधिक छोटी प्रयोगशालाओं को प्रोत्साहित करने और इस योजना का लाभ उठाने के लिए एनएबीएल देश के विभिन्न शहरों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगी।
- इस योजना के माध्यम से प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों, समुदाय स्वास्थ्य केंद्रों, डॉक्टरों के क्लीनिकों, छोटी प्रयोगशालाओं और छोटे नर्सिंग होम की प्रयोगशालाओं को भी गुणवत्ता युक्त प्रयोगशाला के परिणामों तक पहुँच उपलब्ध होगी।
- इस योजना के तहत सरकार ने 1,50,000 कल्याण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है।

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से

1. जी-20

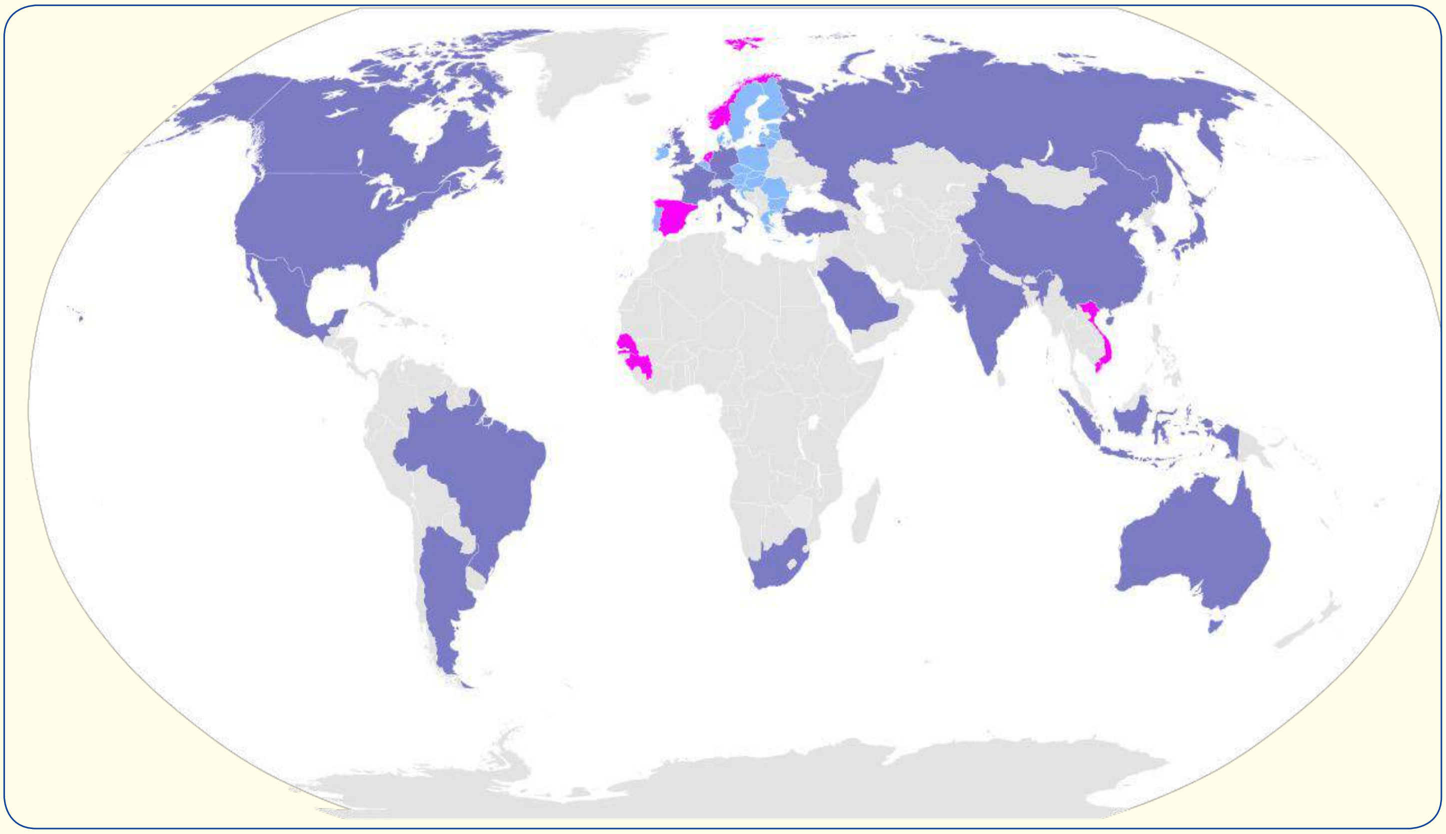

Member Countries in the G-20 Members of the European Union not individually represented 2018 Guests Countries

महत्वपूर्ण तथ्य

- सितंबर 1999 में जी-7 देशों के वित्त मंत्रियों ने जी-20 का गठन एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के तौर पर किया था।
- वर्ष 2008 में जी-20 के नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था।
- यह मंच अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के साथ ब्रेटनवुड्स संस्थागत प्रणाली की रूपरेखा के भीतर आने वाले महत्वपूर्ण देशों के बीच अनौपचारिक बातचीत एवं सहयोग को बढ़ावा देता है।
- यह समूह (जी-20) अपने सदस्यों के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और कुछ मुद्दों पर निर्णय करने के लिए एक प्रमुख मंच है। इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। जी-20 के नेता वर्ष में एक बार साथ मिलते हैं और बैठक करते हैं।
- जी-20 वित्तीय स्थिरता बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन के साथ मिलकर काम करता है।
- साल 2022 में होने वाला जी-20 शिखर सम्मेलन भारत में होगा।
- 30 नवंबर से 1 दिसंबर, 2018 के मध्य जी-20 का 13वाँ शिखर सम्मेलन ब्यूनस आयर्स (अर्जेंटीना) में संपन्न हुआ था।

2. बिम्सटेक

महत्वपूर्ण तथ्य

- बिम्सटेक का गठन 6 जून, 1997 को बैंकॉक घोषणा के बाद किया गया।
- बिम्सटेक का पूरा नाम 'बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीसेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन' है यह बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या निकटवर्ती देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है।
- सात सदस्य देशों में से, पाँच दक्षिण एशिया के देश हैं - बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका और दो दक्षिण-पूर्व एशिया के देश म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं।
- इसका स्थायी सचिवालय ढाका (बांग्लादेश) में स्थित है।
- पाँचवां बिम्सटेक शिखर सम्मेलन श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा।
- चौथा बिम्सटेक शिखर सम्मेलन 2018 में नेपाल में आयोजित किया गया था।
- सदस्य देशों को बिम्सटेक की सदस्यता उनके नाम के प्रथम अक्षर के क्रम के अनुसार मिलती है।

3. आसियान

महत्वपूर्ण तथ्य

- आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। उस समय इस संगठन में थाईलैंड के अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपींस तथा सिंगापुर थे।
- ब्रुनेई 1984 में और वियतनाम को 1995 में शामिल किया गया था। फिर 1997 में लाओस और म्यांमार को इसका हिस्सा बनाया गया।
- 1999 में कंबोडिया को इसका सदस्य बनाया गया। 1976 में आसियान की पहली बैठक हुई जिसका एजेंडा शांति और सहयोग था।
- इस संगठन का उद्देश्य सभी 10 देशों के बीच आर्थिक साझेदारी और व्यापार को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करना है।
- इस संगठन का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है।

mage: ASEAN

4. ब्रिक्स

महत्वपूर्ण तथ्य

- ब्रिक्स दुनिया की पाँच उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इसमें B-ब्राजील, R-रूस, I-इंडिया, C-चीन और S-साउथ अफ्रीका शामिल हैं।
- ब्रिक्स की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य देशों की सहायता करना है।
- ये देश एक दूसरे के विकास के लिए वित्तीय, तकनीक और व्यापार के क्षेत्र में एक दूसरे की सहायता करते हैं।
- ब्रिक्स देशों के पास खुद का एक बैंक भी है। इसका कार्य सदस्य देशों और अन्य देशों को कर्ज के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- पिछले 10 वर्षों में उभरते बाजारों और विकासशील देशों के बीच सहयोग के लिए ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है।
- ब्रिक्स देशों के पास दुनिया की जीडीपी का 22.53 फीसदी हिस्सा है। विश्व का 18 प्रतिशत व्यापार यहीं देश करते हैं।
- 10वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) में 25 जुलाई 2018 को संपन्न हुआ था।

5. दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन

महत्वपूर्ण तथ्य

- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) दक्षिण एशिया के आठ देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है।
- इसकी स्थापना 8 दिसम्बर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। अप्रैल 2007 में संघ के 14 वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका आठवाँ सदस्य बना।
- दक्षिण एशिया में सहयोग का यह एक बड़ा मंच है, लेकिन इसके दो प्रमुख सदस्य देशों भारत और पाकिस्तान के आपसी तनाव ने इसे लगातार कमजोर किया है।
- कश्मीर के उड़ी में 18 सितंबर, 2016 को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में आयोजित सार्क देशों की शिखर बैठक में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था।
- सार्क के उद्देश्यों में शामिल हैं- दक्षिण एशिया में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने और सभी व्यक्तियों को स्वाभिमान के साथ रहने और अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने का अवसर प्रदान करना इसका मुख्य ध्येय है।

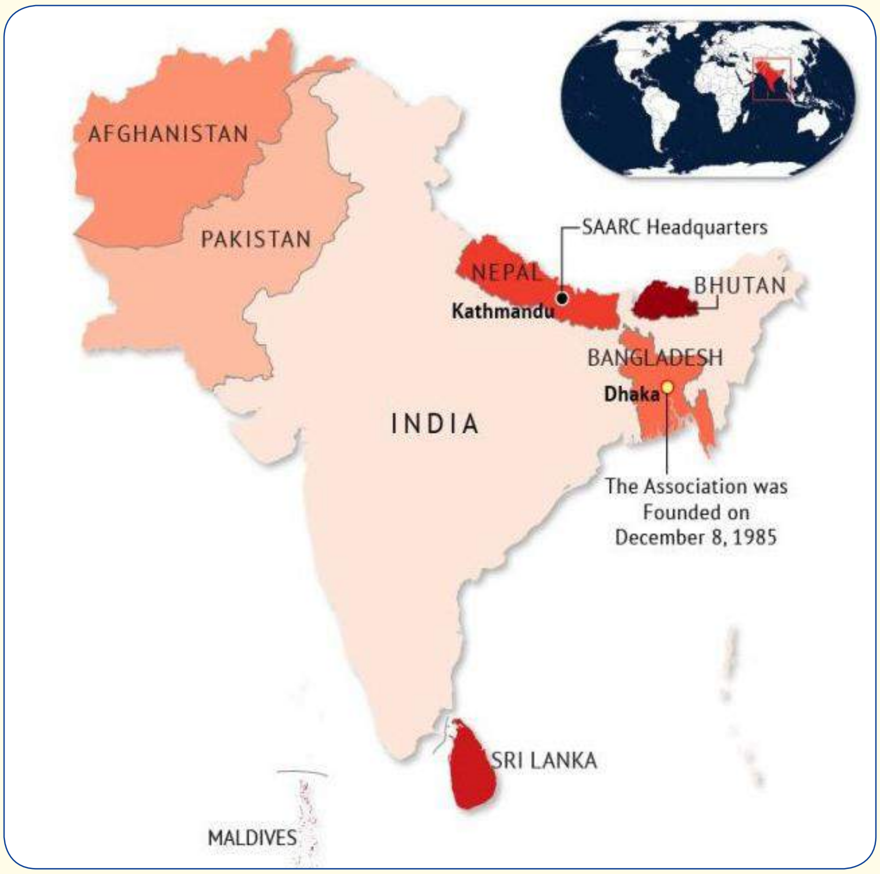

6. शंघाई सहयोग संगठन

महत्वपूर्ण तथ्य

- शंघाई सहयोग संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसका गठन 2001 में शंघाई में किया गया। प्रारंभ के सदस्य देश चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और ताजिकिस्तान थे।
- वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान को भी इसमें शामिल कर लिया गया और संगठन का नाम बदलकर शंघाई सहयोग संगठन रख दिया गया।
- वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान को स्थायी सदस्यता प्राप्त हो जाने के बाद स्थायी सदस्यों की संख्या की 8 हो गई है।
- इस संगठन का मुख्य कार्य मध्य एशिया में स्थिरता को मजबूत बनाना है, पर यह आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध को प्रगाढ़ करने की दिशा में भी काम करता है।
- आपदा के समय सदस्य देशों में सूचनाओं का आदान-प्रदान करना, एक-दूसरे को विशेष उपकरण उपलब्ध कराना, नागरिक सुविधाओं में एक-दूसरे की मदद करना, वित्तीय-आर्थिक-सामरिक और मानवीय सहायता देना भी इसके महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल हैं।
- वर्ष 2018 में शंघाई सहयोग संगठन का 18वाँ शिखर सम्मेलन चीन के किंगदाओ में आयोजित हुआ था।

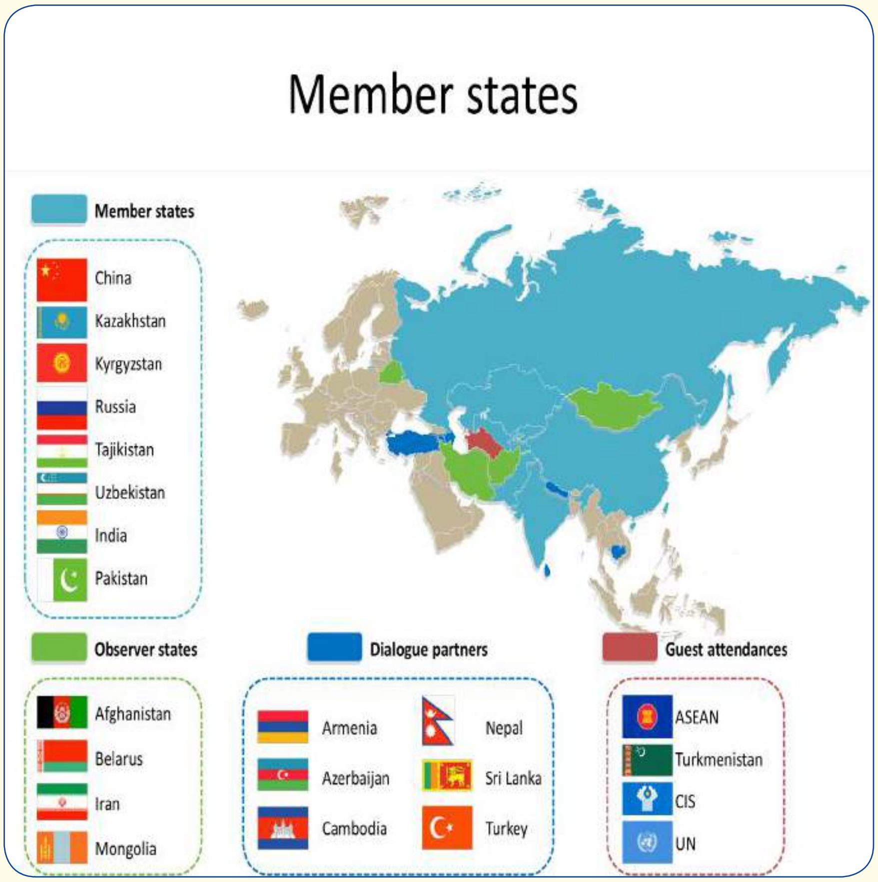

7. हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन

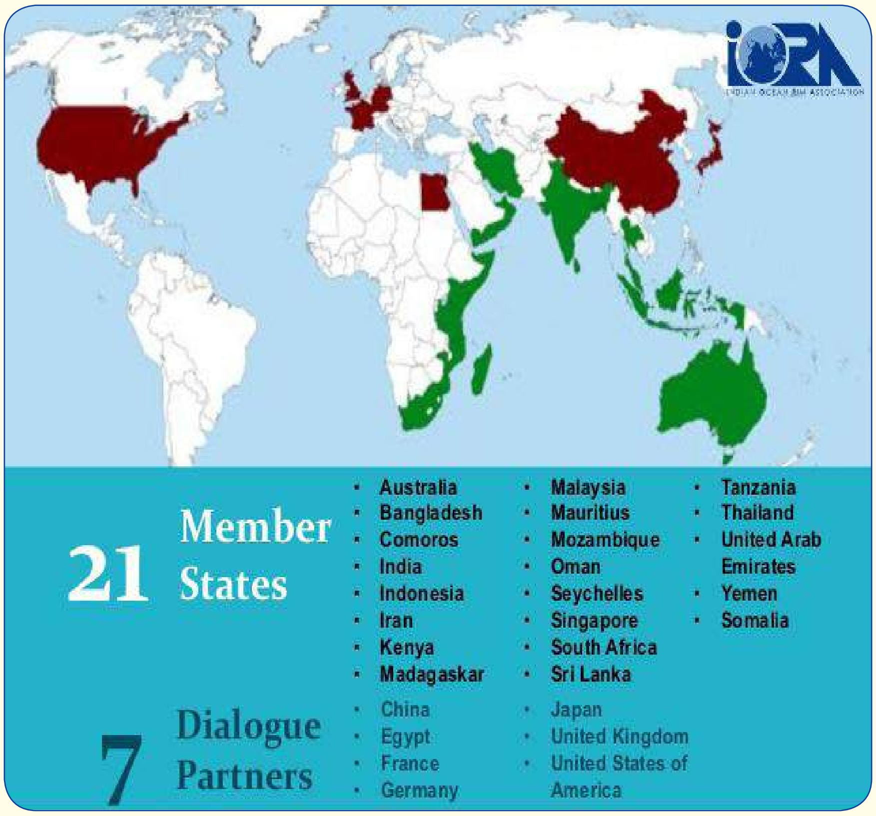

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह संघ क्षेत्रीय सहयोग और अंतर्महाद्वीपीय व्यापार में तेजी लाने के उद्देश्य से हिंद महासागर के तीन प्रायद्वीपों- एशिया, अफ्रीका और आस्ट्रेलिया को एक मंच पर लाता है।
- हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन (हिमतक्षेस) 5 मार्च, 1997 को पोर्ट लुईस मॉरीशस में अस्तित्व में आया था। ये वर्तमान में 21 सदस्य देश हैं।
- हिंद महासागर तटीय सदस्य देशों में आर्थिक सहयोग, विशेषकर उन क्षेत्रों में, जो सामूहिक हितों और पारस्परिक लाभों को विकसित करने के अधिकतम अवसर प्रदान करते हैं, को संभालकर रखना हिमतक्षेस का अन्य उद्देश्य है।
- ऐसे कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं-निवेश- प्रोत्साहन, वैज्ञानिक और तकनीकी आदान-प्रदान पर्यटन और मानव संसाधन और मौलिक आर्थिक ढांचे का विकास और भेदभाव रहित आधार पर लोगों को सेवा प्रदान करना।
- 5-6 फरवरी, 2019 के मध्य हिन्द महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। यह बैठक आपदा जोखिम प्रबंधन पर विचार-विमर्श हेतु आयोजित की गई।

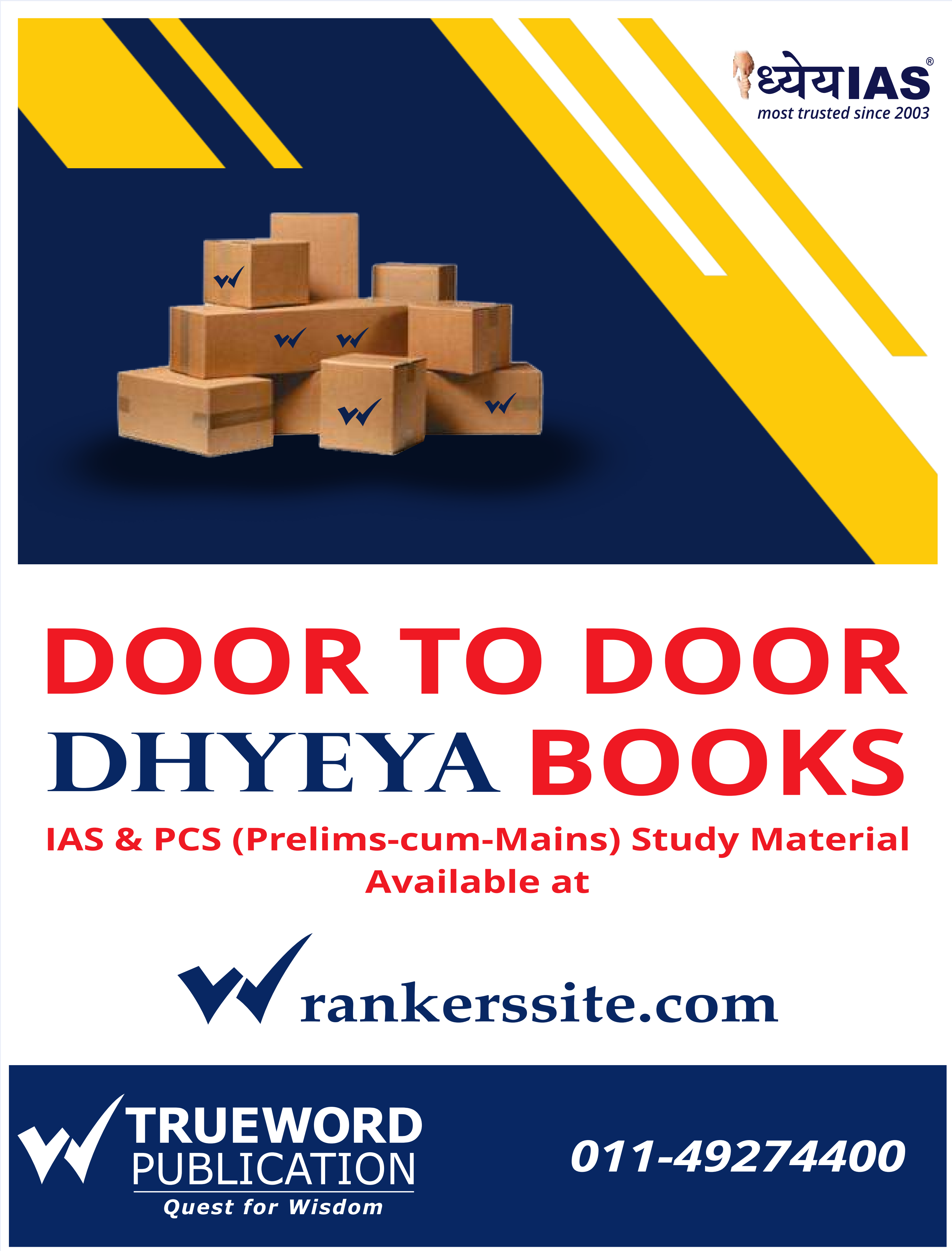

ध्येय IAS®
most trusted since 2003
DOOR TO DOOR
DHYEYA BOOKS
IAS & PCS (Prelims-cum-Mains) Study Material
Available at
rankerssite.com
TRUEWORD
PUBLICATION
Quest for Wisdom
011-49274400

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centre

MUKHERJEE NAGAR : 011-49274400 | 9205274741, **RAJENDRA NAGAR** : 011-41251555 | 9205274743, **LAXMI NAGAR** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW** : 0522-4025825 | 9506256789, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **JAMMU & KASHMIR :** 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centre

BIHAR- PATNA, **CHANDIGARH**, **DELHI & NCR-** FARIDABAD, **GUJRAT**- AHMEDABAD, **HARYANA-** HISAR, KURUKSHETRA, **MADHYA PRADESH-** GWALIOR, JABALPUR, REWA, **MAHARASHTRA-** MUMBAI, **PUNJAB-** JALANDHAR, PATIALA, LUDHIANA, **RAJASTHAN-** JODHPUR, **UTTARAKHAND**- HALDWANI, **UTTAR PRADESH-** ALIGARH, AZAMGAR, BAHRAICH, BAREILLY, GORAKHPUR, KANPUR, LUCKNOW (ALAMBAGH), LUCKNOW (GOMTI NAGAR), MORADABAD, VARANASI

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

ध्येय IAS अब व्हाट्सएप पर
Dhyeya IAS Now on Whatsapp

ध्येय IAS **के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए 9205336069 पर "Hi Dhyeya IAS" लिख कर मैसेज करें**

आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी जुड सकते हैं

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

ध्येय IAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400